# Bachelor of Arts

## (B.A.)

# BA - 302

# HINDI COMPULSORY

**Directorate of Distance Education**
**Guru Jambheshwar University of Science & Technology**
**HISAR-125001**

# विषय सूची


| No. | Title | Author | Page |
|---|---|---|---|
| 1. | हरियाणावी भाषा का विकास और लोक साहित्य | Dr. Vibha Malik | 3 |
| 2 | हरियाणावी भाषा का आधुनिक साहित्य | Dr. Vibha Malik | 22 |
| 3 | संक्षेपण और पल्लवन | Dr. Vibha Malik | 42 |
| 4 | पत्रकारिता | Dr. Vibha Malik | 63 |
| 5 | फीचर लेखन | Dr. Vibha Malik | 106 |

## Subject: Hindi Compulsory

| Course Code : BA 302 | Author : Vibha Malik |
|---|---|
| अध्याय संख्या : 1 | |

# हरियाणावी भाषा का विकास और लोक साहित्य

अध्याय की संरचना


1.0 अधिगम उद्देश्य

1.2 परिचय

1.3 अध्याय के मुख्य बिन्दु

1.3.1 हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास

1.3.2 हरियाणवी भाषा की बोलियाँ

(i) बाँगरू

(ii) कौरवी

(iii) अहीरवाटी

(iv) मेवाती

(v) ब्रजबोली

(vi) बागड़ी

1.4 पाठ के आगे का मुख्य भाग

1.4.1 हरियाणा की सांग परम्परा

1.4.2 सांग परम्परा का उद्भव व विकास

(i) आरम्भिक काल

(ii) विकास काल

(iii) उत्कर्ष काल (स्वर्ण युग)

(iv) आधुनिक काल

1.5 स्वयं प्रगति जाँच / जांचें

1.6 सारांश

1.7 शब्दावली

1.8 स्वयं मूल्यांकन परीक्षा

1.9 प्रगति समीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर देखें

1.10 संदर्भ ग्रंथ

## 1.0 अधिगम उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद निम्न में सक्षम हो सकेंगे–

- हरियाणवी भाषा की पहचान करना।
- हरियाणवी की उपलब्धियों को जानना।
- हरियाणवी लोक साहित्य को जानना।

## 1.1 परिचय

हरियाणवी भारत के हरियाणा प्रान्त में बोली जाने वाली भाषा है, वैसे तो हरियाणा में कई लहजे हैं साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में बोलियों की भिन्नता है। लेकिन मोटे रूप से इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक उत्तर हरियाणा में बोले जाने वाली तथा दूसरी दक्षिण हरियाणा में बोली जाने वाली। उत्तर हरियाणा में बोले जाने वाली थोड़ा सरल होती है, दक्षिण हरियाणा में बोले जाने वाली ढेठ हरियाणवी कहलाई जाती है। यह हिन्दी भाषा की उपभाषा है। इसे खड़ी बोली का ही दूसरा रूप कहा जाता है। यह व्यापक रूप से उत्तर भारतीय राज्य हरियाणा के साथ–साथ दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में आमबोल चाल में भी प्रयुक्त होती है। वर्तमान समय में शहरों में भी अनौपचारिकता बातचीत में इसका प्रयोग होता रहा है। समय–समय पर विभिन्न विद्वानों ने हरियाणवी भाषा को विविध नामों से अभिहित किया है, जिसमें बांगरू, दक्षिणी हिन्दी, जाटू, खड़ी बोली आदि प्रमुख हैं। हरियाणवी भाषा वर्तमान में पश्चिमी हिन्दी (उपभाषा) की पाँच बोलियों में से एक प्रमुख बोली है। हरियाणावी बोली में लोक साहित्य का अपना समृद्ध भण्डार है। हरियाणवी बोली की लिपि देवनागरी है। बहला बोली होने के कारण 'न' ध्वनि प्रायः ण के रूप में प्रयुक्त होती है।

## 1.3 अध्ययन के मुख्य बिन्दु

### 1.3.1 हरियाणवी भाषा का उद्‌भव और विकास

हरियाणवी शब्द हरियाणा प्रदेश के निवासियों तथा उनके द्वारा बोले जानी वाली भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। 'हरियाणा' शब्द दो शब्दों के योग से बना है। हरि+यान । 'हरि' शब्द का मानक हिन्दी कोषगत अर्थ है – हरा, हरापन लिए पीला, पीत, पिंगल, विष्णु, इन्द्र, शिव ब्रह्मा, यम, सूर्य, चन्द्रमा, एक पर्वत, एक लोक, एक भू–भाग। 'यान' शब्द, 'सवारी, वाहन, गमन, जाना, अभियान, आक्रमण,' आदि का वाचक है।

हरियाणा में नंदी या वृषभ को राजा के समान सम्मान देते हैं। (नंदी भगवान् शंकर का वाहन है) हर (शिव) पार्वती के भक्ति के किस्से साधारण आदमी की जबान पर आज भी हैं। हर (शिव) के यान के खुरों से यह भूमि पावन होती है। इस दृष्टि के हरयाणा नाम सही बैठता है। इसलिए इस क्षेत्र का नाम हरयाना या हरयाणा सार्थक जान पड़ता है।

'हरियाना' शब्द से ही हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। हरियाणा शब्दों के 'वी' प्रत्यय लगाने से हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति हुई है। विद्वान मानते हैं कि हरियाणावी भाषा आर्यों की मूल भाषा थी जो 1500 ई. पूर्व भारत में आई थी।

हरियाणा के भाषा वैज्ञानिक डॉ. जगदेव सिंह ने भी इसे बाँगरू–बाँगडू या हरियाणवी कहा है, इसका उल्लेख उनकी, "'A Descriptive Grammar of Bangru' में मिलता है।

हरियाणवी भाषा वर्तमान में पश्चिमी हिन्दी की पाँच बोलियों में से एक प्रमुख बोली है। पश्चिमी हिन्दी उपभाषा का विकास विद्वानों ने शौरसेनी से माना है, जो प्राकृत भाषा के प्रचलन के समय से एक क्षेत्रीय बोली थी। अतः स्पष्ट है कि हरियाणवी भाषा का विकास शौरसेनी भाषा से हुआ है। हरियाणा भाषा के विकास में संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणवी ने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से शब्दों को ग्रहण किया है।

डॉ. नरेश मिश्र ने इसे बाँगरू का नाम दिया है। डॉ. नरेश मिश्र के मातानुसार, ''बाँगरू नाम एक क्षेत्र विशेष, जो ऊँची भूमि से सम्बन्धित हो उसे 'बांगर' कहते हैं, के आधार पर हुआ है। इसे जादू, देसाड़ी और हरियाणवी नाम से सम्बोधित किया जाता है। आजकल इसे हरियाणवी कहते हैं। हरियाणा का उद्‌भव भी हिन्दी को इसी बोली हरियाणवी के आधार पर हुआ है।''

डॉ. जयनारायण कौशिक के अनुसार इस क्षेत्र की भाषा के लिए बाँगरू, देसी, देसड़ी, देहलवी, ऊँची बोली, खड़ी बोली, जाटू, हरियाणवी, हरियाणी, हरयानवी आदि कई नाम दिए हैं। कुछ का सम्बन्ध भूमि की विशेषता, भाषा

की प्रकृति, जाति की बहुलता से है। यहाँ हरियाणवी नाम अधिक उचित है। सरकारी प्रचार–प्रसार में भी 'हरियाणवी' नाम को ही प्रोत्साहित किया जाता है।

डॉ. जयनारायण कौशिक के अनुसार, 'बांगरू का अर्थ है, 'ऊर्ध्व भूमि'। जमना के निम्नतल की अपेक्षा, जिसे हरियाणा का 'खादर क्षेत्र' कहा जाता है, करनाल रोहतक, जींद, हिसार और भिवानी आदि जिलों के क्षेत्र 'ऊर्ध्व' हैं। इसलिए उन्होंने इस समस्त क्षेत्र को 'बांगर' की संज्ञा प्रदान की तथा इस क्षेत्र की भाषा को 'बांगरू' कहा। बांगरू जब कहा जाता था जब 'हरियाणा' एक अलग इकाई के रूप में नहीं था। अब 'हरियाणा' एक अलग राज्य है और इसके इस क्षेत्र की भाषा दूर–दूर तक अर्थात् हरियणा के अहीरवाटी, मेवात, खादर और बांगर आदि सभी उपक्षेत्रों में अपना प्रभुत्व जमाये हुए है तब इसे हरियाणा की मुख्य भाषा मानते हुए 'हरियाणवी' नाम देना तर्कसंगत जान पड़ता है।

'बांगरू' पश्चिमी प्रदेशों की एक उपभाषा है। इसे ही हरियाणवी, हरियाणी और जाटू नामों से जाना जाता है। डॉ. सोमदत्त का भी यही मत है, 'बांगरू का अभिप्राय उस जन भाषा से लिया गया है जिसे भाषा वैज्ञानिकों ने पश्चिमी हिन्दी की एक उपभाषा बताया है, जो हरियाणवी, हरियाणी, जाटू आदि विभिन्न नामों से पुकारी जाती है।

यहाँ इस क्षेत्र की भाषा को हरियाणा की प्रमुख भाषा मानते हुए इसे 'हरियाणवी' कहना ही तर्कसंगत समझा है। हरियाणा का उद्भव भी इसी नाम के कारण हुआ था। इसलिए इसे 'हरियाणवी' कहना ही उचित होगा। अतः हरियाणा प्रदेश की भाषा को 'हरियाणवी' नाम ही दिया गया। हरियाणवी भाषा का सीमावर्ती भाषा व बोलियों से शैली की दृष्टि से एक भाषाई इकाई के रूप में कोई विशेष अन्तर नहीं है। हरियाणवी भाषा एक लोकभाषा है। इसकी धारा निरन्तर प्रवाहमान रही है। अतः यहाँ की भाषाओं की धारा सदैव शिष्ट भाषा के समानान्तर प्रवाहित रही है। लोक भाषाओं की धारा सदैव शिष्ट भाषा के समानान्तर प्रवाहित रही है। कोई भाषा एकाएक साहित्यक रूप में प्रतिष्ठि नहीं हो जाती अपितु लोक–भाषा के सुधरे हुए रूप से ही साहित्यिक बनकर सामने आती है। यह बात हरियाणवी भाषा पर भी लागू होती है। किसी भी भाषा के विकास में लोक साहित्य का योगदान अवश्य रहता है और लोक साहित्य वहां की जनभावनाओं व लोक संस्कृति का प्रतिबिम्ब होता है। हरियाणा का लोक साहित्य भी इसका अपवाद नहीं। इसी दृष्टि से प्रादेशिक भाषा बोलियों में रचे गए साहित्य के अध्ययन से उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए डॉ. परमानन्द ने लिखा है, ''क्षेत्रीय भाषा की महत्ता को जाने बिना क्षेत्रीय संस्कृतियों व क्षेत्रीय परम्पराओं का भी विशिष्ट अध्ययन नहीं हो सकता। भाषाएं लोक व्यवहार की दर्पण होती हैं। इसके एक–एक शब्द में संस्कृति एवं ऐतिहासिक परम्पराओं को प्रतिबिम्ब रहता है।'' हरियाणा विभाग के लोक साहित्य में भी हरियाणा की संस्कृति के पूर्ण दर्शन होते हैं। हरियाणवी भाषा का यही लोक साहित्य उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हरियाणवी लोक साहित्य के अन्तर्गत आने वाले लोक गीतों, लोक कथाओं, लोक सुभाषितों, भजनों,

सांगों, आधुनिक काव्य, भक्ति काव्य, भक्ति साहित्य, कहानी, उपन्यासों आदि ने हरियाणवी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है व उसके शब्द भण्डार को समृद्ध किया है।

हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां के लोग कर्मठ हैं। खानपान व रहन–सहन सरल है। यहां के रहन–सहन, पर्व, विवाह शादी, अध्यात्मिक विश्वास, हास्य–व्यंग्य व विभिन्न ऋतुओं पर गाए जाने वाले गीत हरियाणवी संस्कृति में देखे जा सकते हैं। इन लोकगीतों विभिन्न अवसरों पर नारियों द्वारा गाया जाता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात दिखलाई पड़ती है कि विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों की लय व तर्ज भिन्न होती है। गऊ, ब्राह्मण और गुरूजनों का आदर यहां का मुख्य आदर्श रहा है।

**''माता–पिता और सन्त गऊ की कारणी सेवा चाहिए।**

**इन चारों के चरण पूज के सुरग लोक में जाइए।।''**

हरियाणवी लोक–साहित्य में प्रचलित लोक–कथाओं में परियों की कथाएं देव विषयक कथाएं, साहस और पराक्रम की कथाएं, वृत कथाएं, जादू–टोनों से सम्बन्धित कथाएं आदि अनेक रूपों में सदियों से चली आ रही है। इन लोक कथाओं का हरियाणवी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

लोक–सुभाषितों में लोक–प्रचलित हरियाणवी मुहावरों, कहावतों, सूक्तियों, बालकों के बूझ–बूझौवलों ने भी हरियाणवी भाषा के विकास में योगदान दिया है। हरियाणवी मुहावरों व लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में रोचकता व सारगर्भिता का समावेश हुआ है।

हरियाणवी भाषा में प्रचलित व लिखित इस विविधमुखी साहित्य के साथ–साथ न्यादर सिंह बेचैन तथा मटरू लाल गोयल 'मेरठी' द्वारा रचित अल्हा छंद भी मिलते हैं। इन आल्हा छंदो ने भी हरियाणवी भाषा के विकास में अपनी गहरी छाप छोड़ी है।

हरियाणवी भाषा के विकास में हरियाणा में रचित विविध प्रकार के भजन–साहित्य का भी योगदान रहा है। क्योंकि हरियाणा मूलतः धर्म में विश्वास रखने वाला राज्य है। झज्जर जिलमें में जन्मे पण्डित बस्तीराम को हरियाणवी भक्ति साहित्य, में तुलतसीदास कहा जाता है। इसी प्रकार शंकर दास, मान सिंह आदि भजन गायमों ने अपने भजन–साहित्य द्वारा हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाया है। उसकी शब्द–सम्पदा को समृद्ध किया है। आज भी विभिन्न धार्मिक अनुष्ठनों के अवसर पर हरियाणवी भजनों की गूँज सुनाई पड़ती है।

हरियाणवी भाषा में सांग परम्परा भी एक मजबूत परम्परा रही है। हरियाणा में लिखे जाने वाले सांगों का हरियाणवी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। यद्यपि हरियाणा में सांग परम्परा का आरम्भ तेरहवीं शताब्दी से माना जाता है, किन्तु पण्डित दीपचन्द ने सर्वप्रथम हरियाणवी सांग को साहित्यिक रूप प्रदान किया।

आगे चलकर पं. लखमीचन्द ने अपने सांगों के माध्यम से हरियाणवी भाषा को हरियाणा से बाहर निकालते हुए पूरे देश तक पहुँचाया।

अतः हरियाणावी भाषा का उद्भावना प्राचीन आर्य भाषाओं से हुआ है तथा समय के साथ–2 अन्य भाषाओं के आदान–प्रदान से अनेक रूप धारण करती हुई आगे बढ़ी है, किन्तु इसकी मूल आत्मा आज भी शाश्वत है। हरियाणा भाषा की भौगोलिक सीमाएं एक ओर दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, एवं सहारनपुर के भू–भाग की स्पर्श करती है तो दूसरी और अलवर, भरतपुर तक और तीसरी और गंगानगर व अबोहर–फाजिल्का का तक प्रदेश से जा टकराती है। इस प्रकार बांगरू, खादर अहीरवाटी, मेवाती पर तथा दिल्ली प्रदेश तक हरिवाणवी भाषा की भौगोलिक सीमाएं है।

## हरियाणवी भाषा की बोलियाँ

हरियाणा की बोलियों के समुच्चय को हरियाणवी का नाम दिया गया है। सरकार ने हरियाणा राज्य का नाम 'हरियाणा' स्वीकार किया है तथा यहाँ की लोक–भाषा का नाम 'हरियाणावी' रखा गया है। हरियाणवी भाषा का क्षेत्र हरियाणा राज्य की सीमाओं से बाहर भी है। ब्रिटिश सरकार ने जब सन् 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया तो दिल्ली की सुरक्षा हेतु हरियाणवी भाषा–भाषी गाँवों की भी दिल्ली प्रांत में ही रखा। इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की बोली हरियाणवी ही है। उधर यमुना पार मेरठ तक हरियाणवी की कौरवी बोली का वर्चस्व है तो हरियाणा से सटे राजस्थानी क्षेत्र भरतपुर तक हरियाणवी का भाव है।

पश्चिमी हिन्दी बोलियों के रूप में हरियाणा प्रदेश में हरियाणवी उपबोलियों में मुख्यतः निम्नलिखित बोलियाँ मानी जाती है।

(i) बाँगरू

(ii) कौरवी

(iii) अहीरवाटी

(iv) मेवाती

(v) ब्रज बोली

(vi) बागड़ी बोली

### 1. बाँगरू

हरियाणा की प्रमुख 'बाँगरू' मानी जाती है। डॉ. ग्रियसन ने इसे 'बाँगरू' यास 'बाँगडू' नाम दिया है। ग्रिर्यसन ने बाँगरू को पश्चिमी हिन्दी की उपभाषा माना है। ये पंजाब के दक्षिण–पूर्वीय भू–खण्ड तथा दिल्ली प्रदेश में बोली जाती है और उत्तर–पश्चिमी की ओर पंजाबी से उत्तर–पूर्व में खड़ी बोली से, दक्षिण–पश्चिमी में राजस्थानी से और दक्षिण–पूर्व में ब्रज से घिरी हैं। इन सीमावर्ती बोलियों का प्रभाव बाँगरू पर भी पड़ा है।

डॉ. ग्रिर्यसन ने इस धरती को ऊबड़–खाबड़ और शुष्क जानकर इसे 'बाँगर' की संज्ञा दी। यहाँ के लोग जो बोली बोलते हैं, उसे 'बाँगरू' के नाम से जाना जाता है।

'बाँगरू' जीन्द, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, करनाल, कैथल क्षेत्रों में बोली जाती है। बांगरू के तीन रूप देखे जाते हैं।

1. बाँगरू (खादरी)
2. बाँगरू (शुद्ध खादरी)
3. बाँगरू (खादरी)

अम्बाला जिले की तहसील अम्बाला, खरड़ रोपड़ तथा कुछ भाग नारायणगढ़ एवं जिला करनाल के नगर शाहबाद मारकण्डा तक में बोला जाने वाला रूप है।

बाँगरू (शुद्ध बाँगरू) जिला करनाल के दक्षिण भाग में तथा जींद के आस–पास वाले प्रदेश में बोला जाने वाला रूप ही है।

## 2. कौरवी

कौरवीहरियाणा की महत्वपूर्ण बोली है। यह बोली सम्पूर्ण अम्बाला एवं मेरठ कमिश्नरियों की बोली है। गंगा, यमुना बीच के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आदि के सम भू–भाग एवं गंगा के पूर्व में बिजनौर, करनाल, रोहतक, दिल्ली आदि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। उत्तर में देहरादून, और अम्बाला पूर्व में मुरादाबाद और रामपुर, दक्षिण में बुलन्दशहर और गुड़गांव के अधिकांश लोग यहीं बोली बोलते हैं। मेरठ लि की बागपत तहसील को टकसाली कौरवी का क्षेत्र स्वीकार किया गया है। कौरवी बोली पश्चिमी में पंजाबी, उत्तर में सहारपुर की खाड़ी बोली तथा दक्षिण में बांगरू बोली से घिरी हुई है।

## 3. अहीरवाटी

अहीरवाटी भी हरियाणवी की एक प्रमुख बोली है। यह बोली, जैसा कि नाम से विदित है कि अहीर जाति–बहुत क्षेत्र में बोली जाती है। साहित्य में अमीरों की बोली अपभ्रंश नाम से प्रसिद्ध है। डॉ. कृष्णचन्द्र यादव की मान्यता है कि आरम्भ में अमीरों की अपभ्रंश बड़ी सीधी–सादी एवं बोलचाल की भाषा थी, किन्तु थोड़े समय

पश्चात् अमीरों ने इसे बड़ा उन्नत कर लिया। इस बोली का विस्तार हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में है। हरियाणा में इसका प्रमुख क्षेत्र रेवाड़ी, कोसली, नारनौल, महेन्द्रगढ़, पटौदी तथा झज्जर जिले का खेड़ी खातीवास से सटा क्षेत्र है। भिवानी तथा गुड़गाँव के कुछ क्षेत्रों में भी इस बोली का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र के मोचनपुर के आस–पास रहने वाले अहीर जाति के लोग भी अहरीवाटी बोली बोलते हैं।

अतः स्पष्ट है कि अहरीवाटी बोली बांगरू, बागड़ी तथा मेवाती बोलियों से घिरी हुई है। डॉ. रामपत यादव का मत है कि अहरीवाटी में ब्रज का माधुर्य तथा राजस्थानी व हरियाणवी का ओज भी है।

## 4. मेवाती

हरियाणा में मेवाती भी एक प्रमुख बोली है। जैसा कि नाम से ही विदित है कि यह बोली मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेवात हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती उस मिश्रित क्षेत्र का नाम है, जहाँ मेव जाति के लोग निवास करते हैं। डॉ. कृष्णचन्द्र यादव ने मेवात की ऐतिहासिकता पर विचार करते हुए इसे 'मत्स्य प्रदेश का स्थानापन्न माना है। उनका विचार है कि मेवात का पूरा क्षेत्र प्राचीनकाल में मत्स्य प्रदेश कहलाता था।

भारत में इम्पीरियल गजेटियर में मेवात की सेनाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि दिल्ली के दक्षिण में स्थित यह भू–भाग जिसमें मथुरा और गुड़गांव जिले के कुछ भाग, अलवर को अधिकांश भाग और भरतपुर जिले का कुछ भाग शामिल है, मेवात कहलाता है।

हरियाणा राज्य में फिरोजपुर झिरका, नूह, सोहना, ताबडू, पिनगवां, बीसरू, हथीन, नगीना, बावल, नीम का तिलवारा, बिछौर, उजीना आदि स्थानों के निवासी मेवाती बोली का प्रयोग करते हैं। मेवाती एक सीमांत बोली है। इसके पूर्व में ब्रज, पश्चिम में जयपुरी–मारवाड़ी, उत्तर में अहीरवाटी और दक्षिण में डांगी बोली का प्रचलन है। इस बोली का हरियाणवी भाषा में महत्त्वपूर्ण स्थान है।

## 5. ब्रज बोली

वस्तुतः ब्रज के प्रमुख क्षेत्र उत्तर प्रदेश का ब्रज, वृंदावन, मथुरा आदि हैं। किन्तु इस बोली का प्रयोग हरियाणा में भी प्राचीनकाल से होता आ रहा है। ब्रज बोली भारत के विशाल भाग एवं साहित्य में प्रयुक्त होने वाली बोली है। किन्तु हरियाणा में इस बोली का प्रचलन बहादुरगढ़, पलवल, हसनपुर, होड़ल आदि क्षेत्रों में अत्यधिक है। ब्रज बोली मधुर बोली जाने वाली बोलियों में से एक है। इस बोली में कटु व कठोर वर्णों का अभाव रहता है। इसको सुनने वाले इसके प्रति आकृष्ट हुए बिना नहीं रहते। महाकवि सूदर्शन ने अपने काव्य में ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है।

## 6. बागड़ी बोली

यह बागड़ क्षेत्र की हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोली है। बागड़ी हरियाणा के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। इसका राजनीतिक सीमा की दृष्टि से अधिकाशं क्षेत्र राजस्थान में है। बागड़ शब्द वामर्ट, बागट, बग्गड़, बाग्बर आदि रूपों में शिलालेखों पर उत्कीर्ण मिलता है, बांगड़ शब्द विशाल जंगल और विस्तीर्ण नदी किनारे की ऊँची भूमि, जहाँ बाढ़ न आ सके, आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। हरियाणा के निवासी इसका अर्थ ऊँचे–नीचे रेतीले शुष्क टीले या थली के क्षेत्र के रूप में लेते हैं। हरियाणा का यह क्षेत्र उसके पश्चिमी भाग में है। हरियाणा के सन्दर्भ में जिस बागड़ी बोली का उल्लेख किया जा रहा है, वह राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र की न होकर बांगरू से प्रभावित बागड़ी है, क्योंकि ठेठ बागड़ी बोली इससे भिन्न है।

वस्तुतः बागड़ी बोली के क्षेत्र भिवानी के पश्चिमी क्षेत्र बहल से आरम्भ होकर हिसाब के पश्चिमी भाग में सिवानी, दडबा कलां, ऐलनाबाद, चौटाला, डबवाली और सिरसा के निकटवर्ती भागों में व्याप्त है। हरियाणवी भाषा की यह बोली बांगरू, अहीरवाटी शेखावटी और पंजाबी भाषा–भाषियों से घिरी हुई है। बागड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें 'ऋ' स्वर का अभाव है। इसका उच्चारण 'रि' के समान होता है। इनके लिए 'ड', 'ण', 'व', 'ल' आदि प्रिय ध्वनिया हैं। हरियाणवी के आकारान्त शब्द बागड़ी में ओकारान्त हो जाते हैं जैसे– स्याणा–स्याणों, काणा–काणों आदि।

## 1.4 पाठ के आगे का मुख्य भाग

### 1.4.1 हरियाणा की सांग परम्परा

दूसरे का रूप धारण करने के लिए जो वेश धारण किया जाता है, उसे स्वांग कहते हैं। दूसरे शब्दों में रूप धारण करने की जो क्रिया किसी रूप को आरोपित कर उसका प्रतिरूप प्रस्तुत करती है, उसे स्वांग कहते हैं। इन स्वांगों के अनुकरण में मूल की प्रतिच्छाया ही रहती है। डॉ. महेन्द्र भानावत ने लिखा है, '' अनुकरणकर्ता विवेकपूर्ण, वेशपूर्ण परिवर्तन करके अपने खेल–तमाशे इस ढंग से प्रदर्शित करता है कि कभी–कभी मूल और अनुकरण का भेद करना भी कठिन हो जाता है। धोखा देने के लिए ढोंग अथवा आडम्बर के रूप में जो वेश परिवर्तन किया जाता है, यह भी स्वांग कहलाता है। फिर 'स्वांग भरना, हिन्दी का प्रसिद्ध मुहावरा भी है जिसका अर्थ भी मूल की नकल करना ही है। खड़ी बोली के लोक जीवन में 'स्वांग' को ही सांग कहते हैं। जनता को यह बहुत प्रिय है। सांग हरियाणा का लोकप्रिय नाट्य है। जनरंजककारी यह विधा हरियाणा के लोकमानस पर जादू का सा प्रभाव डालती है। मंच के चारों ओर बैठे दर्शक रागनियों की स्वर–लहरियों में अनुस्यूत एवं बाद्य–संगीत आदि से परिपूर्ण कथा को सुनकर अथवा देखकर मंत्र–मुग्ध हो जाते हैं। सांग में पुरूष ही नायक–नायिका की भूमिका लिंगानुरूप वेशभूषा में निभाते हैं। सांगों को भी नाट्यकला की भाँति की कथानक, संवाद, पात्र चरित्र–चित्रण, रस–निरूपण, अभिनेयता, उद्देश्य आदि प्रमुख तत्व होते हैं।

## 1.4.2 सांग परम्परा का उद्‌भव व विकास

हरियाणा में सांग परम्परा एक प्राचीन एवं लम्बी परम्परा रही है। विद्वानों ने इस परम्परा के उद्‌भव एवं विकास को समझने के लिए इसका वर्गीकरण समय व इस परम्परा में हुए परिवर्तन के आधार पर किया है। हम यहां इस विधा के उद्‌गम एवं विकास का वर्णन सार रूप में प्रस्तुत करेंगे।

### (i) आरम्भिक काल

हरियाणा में लोकनाट्य व सांग रचना व उनका अभिनय करने की बहुत पुरानी परम्परा रही है। समय–समय पर इस परम्परा में परिवर्तन भी हुए हैं। किसी परम्परा में परिवर्तन शुभ की निशानी है। श्री रारम नारायण के अनुसार सांग का आरम्भिक युग 1200 ई. से 1750 ई तक माना जाता है। उनके मतानुसार ग्यारहवीं शती में पंजाब के मल्ल नामक जाट, रावत नामक राजपूत और रंगा नामक जुलाहे ने मिलकर एक स्वांग मण्डली बनाई। इस मण्डली ने गाँव–गाँव घूमकर जनता का मनोरंजन किया। कालांतर में यही स्वांग परम्परा हरियाणा सांग के नाम से प्रचलित हुई।

हरियाणा के महान सांगी पण्डित रामकिशन ब्यास ने तेरहवीं शताब्दी से हरियाणवी सांग का आरम्भ स्वीकार किया है। उन्होंने नारनौल निवासी गुजराती पण्डित बिहारीलाल से सांग का उद्‌भव स्वीकार किया है। उन्होंने अपने मत को इन शब्दों में व्यक्त कियसा है–

''नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था,
सांग शुरू किया सन् बारह सौ छह का साल था,
नाचै गावैं, चेतन चेला करै कमाल था,
सोहनी, सवैया, ठुमरी, सौरठा, गावै ख्याल था।।''

पं. बिहारीलाल के पश्चात् उनके प्रसिद्ध शिष्य चेतन ने सांग परम्परा को जीवित रखा। इसके बाद कहीं–कहीं सांग करने की परम्परा चलती रही, किन्तु औरंगजेब ने सांग करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फलस्वरूप इस परम्परा के विकास में अवरूद्ध उत्पन्न हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् कवि बालमुकुन्द तथा उनके शिष्य शिव कुमार ने इस सांग परम्परा को पुनः जीवन प्रदान किया। उनके दूसरे शिष्य किशनलाल भाट ने सांग परम्परा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और उसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया। इसलिए किशनलाल भाट को सांग परम्परा का भीष्म–पितामह कहा जाता है। कहने का भाव है कि हरियाणा की सांग परम्परा बहुत पुरानी है। सबसे पहला सांगी किशनलाल भाट को माना गया है। उसका समय लगभग सन् 1730 के आसपास माना गया है। उस समय एक व्यक्ति ढोलक बजाता था और दूसरा सारंगी। उनके आसपास पन्द्रह–सोलह दर्शक आकर खड़े हो

जाते थे। यह परम्परा कई वर्षों तक चलती रही। इस परम्परा में रामलाल खटीक और नेतराम के नाम लिए जा सकते हैं। यह परम्परा लगभग 170 वर्ष तक चलती रही।

### (ii) विकास काल

हरियाणवी सांग परम्परा के दूसरे काल को उसका विकास चरण कहा जाता सकता है, क्योंकि इस काल तक आते–आते सांग का स्वरूप कला के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। अब वह ढोलक व चिमटे वालों की मण्डली नहीं रह गई थी। इस युग में अनेक सांगियों ने सांग परम्परा को आगे बढाया और इसमें तरह–तरह के परिवर्तन करके इसे कलात्मक स्वरूप प्रदान किया। इस युग में नूह तहसील के गाँव अक्डेहा के सादुल्ला ने कई सांग लिखे और उनका सफलतापूर्वक अभिनय करके सांग परम्परा के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें मेवाती जन कवि होने का गौरव प्राप्त है। सादुल्ला–कृत मेवाती भाषा में महाभारत, जिसका शीर्षक है – 'पण्डून का कडा' बहुत ही चर्चित रही है। इस युग के दूसरे महान् सांगी बंसीलाल का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। उनके तीन सांग– 'गुरु गुग्गा', 'राजा गोपीचन्द' तथा 'राजा नल' बहुत ही लोकप्रिय रहे।

### (iii) उत्कर्ष काल (स्वर्ग युग)

यह वह समय था जब उच्च कोटि के सांग रचे व अभिनित किए गए। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे हरियाणवी सांग के इतिहास का स्वर्णकाल भी कहा है। यह बात तो निश्चित है कि इस काल में सांग में आशातीत विकास हुआ और अत्यन्त उत्तम कोटि के सांगों की रचना हुई। विद्वानों ने इस युग का समय 1850 ई. से 1950 ई. तक का माना है। इस युग के आरम्भ में भक्ति–भावना से ओत–प्रोत सांगों की रचना हुई है। इस युग में सर्वप्रथम अलीबख्श का नाम लिया जा सकता है। रेवाड़ी के क्षेत्र में उनके सांगों की धूम मची हुई थी। हजारों की संख्या में लोग उनके सांग देखने के लिए एकत्रित होते थे। इनके सांगों में 'श्रीकृष्ण–लीला', 'पद्मावत', 'फिसाने अजाइब' आदि प्रमुख हैं। अलीबख्श का निधन सन् 1899 में हुआ। इनके पश्चात् इनके धानिया–मानिया नामक शिष्यों ने सांग परम्परा के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया। इस युग के योगेश्वर बालकराम का नाम भी उनके सांगों के लिए बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने 'पूरमल भक्त' तथा 'निहालदे नर सुलतान' नामक सांगों की रचना की। इस युग के अहमद बख्श थानेसरी ने 'रामायण'ए 'जयमल फत्ता', 'गूंगा चौहान', 'सोरठ', 'चन्द्रीकरण' आदि सांगों की रचना करके सांग–परम्परा को आगे बढ़ाया। इसी काल में हीरादास उदासी ने एक सांग 'सांग रतन सैन राजा का' की रचना की। उन्नीसवीं शती के मध्य में ताऊ सांगी का नाम सांग लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहा है। उन्होंने 'रुक्मिणी विवाह' नामक पद्य–बद्ध सांग की रचना की। इस सांग में कुल 178 पद्य हैं।

पं. किशनलाल ने 'मोरध्वज', 'हरिचन्द्र', 'भक्त प्रहलात' तथा 'उषा–अनिरुद्ध नामक सांगों की रचना की। इसी युग में शादीराम ने हरियाणवी सांग परम्परा को आगे बढ़ाने में अपना महत्त्वपूर्ण योग दिया। उन्होंने 'रामायण' के अतिरिक्त अनेक भजनों व गजलों की भी रचना की है।

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में सांग के क्षेत्र में पण्डित दीपचन्द का अविर्भाव हुआ। पण्डित दीपचन्द काव्यशास्त्र एवं संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने सांग परम्परा में आमूल–चूल परिवर्तन करके उसे नई दिशा और नया मोड़ दिया। दीपचन्द ने अपनी ओजस्वी वाणी का प्रयोग करते हुए युवकों का अंग्रेज सेना में भर्ती होने की प्रेरणा दी। पण्डित दीपचन्द ने सांगों का अभिनय करने के लिए अपनी एक सांग मण्डली भी बनाई थी। पण्डित मांगेराम सांगी ने इस विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा है–

**''एक सौ सत्तर साल बाद फेद दीपचन्द होगा**

**साजिान्दे तो बजा दिये और घोड़े का नाच बंद हो गया।''**

पण्डित दीपचन्द के बाद सांगी हरदेवा का युग आता है। हरेदवा पण्डित दीपचन्द का चेला था। उसने दीपचन्द से अलग होकर अपनी सांग मण्डली का गठन किया। उसकी सांग शैली की प्रमुख विशेषता थी कि उसने सांग को अधिक सजह एवं स्वाभाविक रूप प्रदान किया। हरदेवा की सांग परम्परा को चर्तू–भर्तू ने आगे बढ़ाया। उन्होंने सांग में स्त्रीवेश में 'धारू की अंगिया' के स्थान पर कुर्त्ते का प्रचलन किया तथा 'काफिया' छनद के स्थान पर रागिनी का प्रयोग किया उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं– 'नल दमयन्ती', 'उत्तानपाद', 'ज्यानी चोर', 'सोरठ साणदे', 'राजा भोज', 'गोपीचन्द महाराज' आदि सांग परम्परा को आगे बढ़ाने में दीपचन्द के दो शि ष्यों सरूपचन्द व हरदेवा का प्रयास भी सराहनीय रहा है। इसी प्रकार हरदेवा के शिष्य बाजेराम ने भी कई सांग लिखकर इस परम्परा के विकास में अपना योगदान दिया।

सांग परम्परा में पण्डित लखमीचन्द को बड़े आदर से याद किया जाता है। उन्होंने हरियाणवी सांग परम्परा को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका समय 1923 ई. से 1944 ई. तक माना जाता है। वे अपनी सांग स्वयं ही लिखते थे। उनके आरम्भिक सांगों में श्रृंगार की अधिकता थी, किन्तु बाद में उनका ध्यान अध्यात्मक की ओर खिंच गया था। पण्डित लखमीचन्द ने नई–नई गायन शैलियों की रचना भी की थी। 'डोल्ली' उनकी प्रमुख गायन शैली थी। इस गायन शैली से गीतों में मधुरता का समावेश हुआ है। इनके गुरू भजनीक मानसिंह थे। इनकी परम्परा में मांगेराम, भाईचन्द, सुल्तान, पं. चन्दनलाल, आदि प्रमुख हैं। पं. लखमीचन्द कबीर की भाँति 'मासि कागद छुयी नहिं, कलम गहयो नहिं' बोलि कोटि के थे, किन्तु इनकी वाणी में सरस्वती का वास था। इनके मुख से निकले शब्द कविता का रूप धारण करते जाते थे। वे ज्ञानी और वेदान्ती थे। इनकी रागिनियाँ और सांग ज्ञान परिपूर्ण हैं। इनके काव्य इनके अनुभवों पर आधारित हैं। पं. लखमीचन्द ने हरियाणवी सांग–विधा को पारम्पिरिक रूढ़ियों से मुक्ति दिलाकर नई दिशा दी है।

पं. लखमीचन्द ने अठारह वर्ष की आयु में प्रथम बार सोहन के अखाड़े में अपने मधुर कण्ठ का परिचय दिया था। सन् 1924 में इन्होंने अपनी अलग सांग मण्डली बना ली थी। वे एक अच्छे गायक के साथ–साथ अच्छे अभिनेता भी थे। इन्होंने अपने सांगों में सदैव स्त्री–चरित्रों का अभिनय किया है। इन्हें आज भी सांग सम्राट माना जाता है।

### (iv) आधुनिक युग

हरियाणवी सांग परम्परा के इतिहास के चतुर्थ युग को विद्वानों ने आधुनिक युगव व स्वातन्त्र्योत्तर युग कहा है। इस युग का आरम्भ सन् 1950 से माना जाता है। इस युग में सर्वप्रथम पण्डित मांगेराम का नाम लिया जा सकता है। मांगेराम प. लखमीचन्द के शिष्य थे। उन्होंने लगभग चालीस सांगों की रचना की है। इनके सांगों में 'अमर सिंह राठौर', 'चाप सिंह', 'अजित सिंह राजबाला', 'छैल बाला', 'रूप–बंसत', 'हीर–रांझा', 'पिंगला–भरथरी', 'कृष्ण–सुदामा' आदि प्रसिद्ध है।

पं. मांगेराम के बाद श्री रामकिशन व्यास के महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। इन्होंने अनेक सांगों की रचना की। इनके सांगों में 'रूपकला–जादूखोरी', 'धर्म की जीत', 'कम्मो–कैलाश', 'सत्यवान–सावित्री', 'शशिकला–सुखबीर' आदि प्रमुख हैं।

आधुनिक युग में सांग परम्परा को गौरव प्रदान करने वलों में श्री धनपत सिंह का नाम भी आदर से लिया जाता है। उनके सांगों की हरियाणा व आस–पास के क्षेत्र में धूम मची रही। 'बणदेवी', 'लीलो–चमन', 'जारनी–चोर', 'गोपीचन्द' आदि इनके सुप्रसिद्ध सांग हैं। श्री धनपत सिंह के युग में चन्द्रलाल उर्फ चन्द्रबाड़ी तथा श्री कृष्ण शर्मा ने भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। सांगी माईचन्द ने 'मंगला', 'हाजरिया–रोशिनी', 'राधा–बिहारी' तथा फौजी मेहर सिंह ने 'सेठ तारा चन्द', 'सरवर नीर', 'अन्जना–पवन', 'सुभाषचन्द्र बोस', श्री कृष्णचन्द्र शर्मा ने 'नरसी का भात', 'श्रवण कुमार', 'द्रोपदी–स्वयंवर', 'हनुमान जन्म' आदि सांगों की रचना की। इसी प्रकार डॉ. रणबीर सिंह दहिया ने 'शहीद जसबीर सिंह', 'चम्पा–चमेली', 'जलियांवाला बाग' तथा भारतभूषण सांघीवाला ने 'सीता हरण', 'कृष्ण जन्म', 'कीचक वध', 'महाराणा प्रताप', आदि सांगों की रचना की है। श्री सुभाषचन्द्र शास्त्री जी का कार्य भी इस दिशा में सराहनीय रहा है। उन्होंने 'दुर्गा भाभी', 'नेता जी सुभाषचन्द्र बोस' आदि सांगों की रचना करके सांग परम्परा को आगे बढ़ाया।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा हा सका है कि हरियाणा प्रदेश में सांग मनोरंजन का ही साधन नहीं, अपितु जीवन के विविध पक्षों को उजागर करने वाली सशक्त विधा है। इसकी एक समृद्ध परम्परा है। विद्वान इस परम्परा का आरम्भ तेरहवीं शताब्दी से मानते हैं। इस परम्परा के चरम–विकास के बिन्दु उन्नीसवीं शताब्दी में देखे

जा सकते हैं। आज की फिल्मी दुनिया व दूरदर्शन के युग में इस परम्परा की गति निश्चित तौर पर धीमी पड़ गई है।

## 1.5 स्वंय प्रगति जाँच

अपनी प्रगति की समीक्षा करें–

(क) (i) हरियाणवी भाषा में किन दो प्राचीन भाषाओं के शब्द मिलते हैं ?

(ii) बांगरू बोली का यह नाम किस क्षेत्र के नाम पर पड़ा ?

(iii) उनहीरवाटी किन–किन बोलियों से घिरी हुई है ?

(iv) 'सांगों का पितामह' किसे कहा जाता है ?

(v) मेवाती जनकवि का क्या नाम है ?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए।

(i) जींद एवं रोहतक की बोली है –

(क) बांगरू (ख) मेवाती (ग) ब्रज (घ) अहीरवाटी

(ii) मुगल सम्राट ने सांगों पर प्रतिबन्ध लगाने वाला मुगल सम्राट था।

(क) शाहजहाँ (ख) अकबर (ग) औरंगजेब (घ) जहांगीर

(iii) हरियाणावी का सांग सम्राट कहा जाता है–

(क) पं. लखमीचन्द (ख) दीपचन्द

(ग) योगेश्वर बालकराम (घ) रामकिशन व्यास

(iv) हरदेवा के गुरू का नाम था –

(क) भजनीक मानसिंह (ख) दीपचन्द

(ग) योगेश्वर बालकराम (घ) रामकिशन व्यास

(v) फौजी मेहर सिंह का जन्म हुआ–

(क) 1911 (ख) 1918 (ग) 1920 (घ) 1923

## 1.6 सारांश

- हरियाणा शब्द प्रदेश के निवासियों व उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
- 'हरियाना' शब्द से ही हरियाणा शब्द की व्यत्पत्ति मानी जाती है। हरियाणा शब्द के 'वी' प्रत्यय लगाने से हरियाणवी शब्द ही उत्पत्ति हुई।
- हरियाणवी भाषा पश्चिमी हिन्दी की पांच बोलियों में से एक प्रमुख बोली है। विद्वानों के अनुसार इसका विकास शौर सेनी भाषा से हुआ है। इसके विकास में संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं का योगदान रहा है।
- हरियाणवी भाषा को बाँगरू, देसी, देसड़ी, देहलवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, हरियाणी, आदि कई नाम दिए गए। जिसमें से हरियाणा वासियों के लिए हरियाणवी शब्द का प्रयोग हुआ जिसे सरकार द्वारा भी प्रोत्सोहित किया जाता है।
- किसी भी भाषा के विकास में उसका अपना लोक साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हरियाणवी का लोक साहित्य भी हरियाणा की लोक संस्कृति को प्रतिबिम्बित करता है। हरियाणा के लोक साहित्य के अन्तर्गत आने वाले लोक गीतों, लोक कथाओं, लोक सुभाषितों, भजनों, सांगों, आधुनिक काव्य, भक्ति साहित्य, कहानी, उपन्यासों आदि ने हरियाणवी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है व उसके शब्द भण्डार को समृद्ध किया है।
- पश्चिमी हिन्दी बोलियों में मुख्यतया बांगरू, कौरवी, अहीरवाटी, मेवाती, ब्रजबोली, बागड़ी बोली आती हैं।
- बांगरू हरियाणवी भाषा की उपबोली है जो हरियाणा के जीन्द, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, पानीपत, हिसार व कैथल आदि जिलों में बोली जाती हैं। कौरवी बोली सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, करनाल, रोहतक, दिल्ली, देहरादून अम्बाला, मुरादाबाद और रामपुर, बुलन्दशहर और गुड़गांव के अधिकांश लोग यही बोली बोलते हैं।
- अहरीवाटी रेवाड़ी, कोसली, नारनौल महेन्द्रगढ़, पटौदी, भिवानी तथा गुड़गांव के कुछ क्षेत्रों में भी इस बोली का प्रयोग किया जाता है।
- मेवाती बोली फिरोजपुर झिरका, नूह, सोहना, तावडू, पिनगवां, बीसरू, हथीन, नगीना, बावल, नीम का तिलवारा बिछौर, उजीना आदि स्थानों पर बोली जाती है।
- हरियाणा में ब्रज बोली का प्रचलन बहादुरगढ़, पलवल, हसनपुर, होडल आदि में अध्यधिक है।

- बागड़ी बोली का क्षेत्र है भिवानी के पश्चिमी क्षेत्र बहल से आरम्भ होकर हिसार के सिवानी, दड़बा कलां, ऐलनाबाद, चौटाला, डबवाली और सिरसा तक फैला है।
- दूसरे का रूप धारण करने के लिए जो वेश धारण किया जाता है उसे स्वांग कहते हैं। सांग हरियाणा का लोकप्रिय नाट्य है। यह विधा हरियाणा के लोकमानस पर जादू का सा प्रभाव डालती है। सांग में पुरूष ही नर–नारी की भूमिका लिंगानुरूप वेशभूषा में निभाते हैं।
- हरियाणा में सांग की प्राचीन परम्परा रही है। विद्वानों ने इसके उद्भव और विकास समझने के लिए इसका वर्गीकरण समय व इसमें आये परिवर्तन के आधार पर किया है।
- श्री रामनारायण के अनुसार सांग का आरम्भिक युग 1200 से 1700 तक माना जाता है। ग्यारहवीं शताब्दी में पंजाब के मल्ल नामक जाट, रावत नामक राजपूत और रंगा नामक जुलाहे ने मिलकर एक स्वांग मण्डली बनाई। कालांतर में यही परम्परा हरियाणा के लोक साहित्य सांग के रूप में प्रचलित हुई।
- हरियाणा के महान सांगी पं. रामकिशन व्यास ने तेरहवीं शताब्दी से हरियाणवी सांग का आरम्भ स्वीकार किया है। उनके अनुसार गुजराती पं. बिहारीलाल से ही सांग परम्परा आरम्भ होती है और उनके शिष्य चेतन ने इस परम्परा को जीवित रखा। औरंगजेब ने सांग करने पर प्रतिबन्द लगा दिया था।
- औरंगजेब की मृत्यु के बाद कवि बालमुकुन्द गुप्त व उनके शिष्य शिव कुमार ने सांग परम्परा को पुनजीर्वित किया। उनके शिष्य किशनलाल भाट ने सांग परम्परा को परिवर्तित कर उसको व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इसलिए इन्हें सांग परम्परा का 'भीष्म पितामह' कहा जाता है।
- सबसे पहला सांगी किशनलाल भाट को माना गया है। उस समय एक व्यक्ति ढोलक बजाता था तथा दूसरा सांरगी। यह परम्परा करीब 170 वर्षों तक चली।
- सांग परम्परा के दूसरे काल को विकास काल का नाम दिया जा सकता है। इस युग में अनेक सांगियों ने सांग परम्परा को आगे बढ़ाया। इसमें तहर–2 के परिवर्तन किए। अब यह ढोलक–चिमटे तक सीमित नहीं। इसमें कई कलात्मक परिवर्तन किए गए। इस युग ने नूह के गाँव अक्डेहा के सादुल्ला ने कई सांग लिखे और उनका सफलतापूर्वक अभिनय कर सांग परम्परा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग के दूसरे महान सांगी बंसीलाल का नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है।
- सांग परम्परा के उत्कर्ष काल में उच्च कोटि के सांगों की रचना हुई। इस युग का समय 1850 ई. से 1950 ई. तक माना गया है। इस युग में आरम्भिक सांग भक्ति से ओत–प्रोत हैं। इस काल में अलीबख्श का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। इनके बाद इनके शिष्य धानिया–मानिया ने सांग परम्परा को आगे बढ़ाया।

इस युग के योगेश्वर, अहमद बख्श थानेसरी, हीरादास उदासी आदि के सांगों ने लोगों में अपनी जगह बनाई।

- उन्नीसवीं शदी के मध्य में ताऊ सांगी का नाम सांग लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पं. किशनलाल व शादीराम ने हरियाणवी सांग परम्परा के विकास में अपना योगदान दिया।
- बीसवीं शताब्दी में पं. दीपचन्द का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये काव्यशास्त्र व संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने सांग परम्परा में समयानुसार परिवर्तन कर इस परम्परा को नई दिशा प्रदान की। इन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से युवकों को प्रेरित किया।
- इसी युग में हरदेवा सांगी का भी नाम आता है जिन्होंने इस परम्परा में बदलाव कर नये आयाम प्रदान करें।
- सांग परम्परा में पं. लखमीचन्द का नाम बड़े आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। ये अपने सांग स्वयं लिखते थे। आरम्भिक सांगों में श्रृंगार की अधिकता थी। इन्होंने नई–नई गायन शैलियों की रचना की थी।
- हरियाणवी सांग के चतुर्थ युग को आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। इस युग का आरम्भ स्वतंत्रता के बाद् सन् 1950 से माना है। इस युग के पं. मांगेराम प्रमुख सांगी रहे हैं। ये पं. लखमीचन्द के शिष्य थे। पं. मांगेराम के बाद श्री रामकिशन व्यास का नाम लिया जा सकता है।
- आधुनिक युग में साँग परम्परा को गौरव प्रदान करने में श्री धनपत सिंह जी का नाम आदर के साथ लिया जा सकता है। इनके सांगों की हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों में धूम थी। इनके अतिरिक्त चन्द्रलाल, श्री कृष्ण शर्मा, मेहर सिंह, डॉ. रणबीर सिंह दहिया, भारत भूषण सांधीवाला, सुभाषचन्द्र शास्त्री ने इस परम्परा को आगे बढ़ाया। आज की फिल्मी चकाचौंध के कारण इसकी गति धीमी पड़ गई।

## 1.7 शब्दावली

| | | |
|---|---|---|
| हरियाणा | : | शिव व शिव के पुत्रों का निवास स्थान |
| हरि | : | हरा, हरापन लिए पीला, पीत। |
| यान | : | सवारी वाहन, गमन, अभियान |
| बांगर | : | एक क्षेत्र विशेष, जो ऊँची भूमि से सम्बन्धित हो। |
| समृद्ध | : | अत्यधिक संपन्नता |

| | | |
|---|---|---|
| विविध मुखी | : | विभिन्न प्रकार का |
| भू–खण्ड | : | भू भाग, भूक्षेत्र |
| शिलालेख | : | पत्थर पर खोदा गया लेख |
| स्वांग | : | दूसरे का रूप धारण करने के लिए जो वेश धारण किया जाए |
| कालांतर | : | अंतराल, अन्य समय |
| उत्कर्ष | : | उन्नति |

## 1.8 स्वयं मूल्यांकन परीक्षा

(i) हरियाणवी भाषा के उद्‌भव और विकास पर टिप्पणी कजिीए।

(ii) ''हरियाणवी लोक संस्कृति की सच्ची झलक हरियणवी लोक साहित्य में देखी जा सकती है'' इस कथन की पुष्टि कीजिए।

(iii) हरियाणवी की बागड़ी बोल का उल्लखे कीजिए।

(iv) हरियाणवी सांग परम्परा का आरम्भ कब हुआ था ? संक्षिप्त में वर्णन कीजिए।

(v) पं. लखमीचन्द के सांग साहित्य पर प्रकाश डालिए।

## 1.9 प्रगति समीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर देखें

(क) (i) संस्कृत एवं प्राकृत (ii) बांगरक्षेत्र (iii) बांगरू बागड़ी और मेवाती

(iv) किशन लाल भात (v) सादुल्ला

(ख) (i) (क) बांगरू (ii) (ग) औरंगजेब (iii) (क) पं. लखमीचन्द

(iv) दीपचन्द (v) (क) 1918

## 1.10 संदर्भग्रन्थ


1. श्री कृष्णचन्द्र शर्मा — हरियाणा के कवि सूर्य लख्मीचन्द
2. डॉ. पूर्णचन्द शर्मा — हरियाणवी साहित्य और संस्कृति
3. श्री देवी शंकर प्रभाकर — हरियाणाः एक सांस्कृतिक अध्ययन
4. डॉ. भीम सिंह मलिक — हरियाणा के लोक गीत

| | | |
|---|---|---|
| 5. | डॉ. भीम सिंह मलिक | हरियाणा के लोक साहित्यः सांस्कृति संदर्भ |
| 6. | श्री राजाराम शास्त्री | हरियाणा के लोकगीत |
| 7. | डॉ. शंकरलाल यादव | हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य |

## Subject: Hindi Compulsory

| Course Code : BA 302 | Author : Vibha Malik |
|---|---|
| अध्याय संख्या : 2 | |

# हरियाणावी भाषा का आधुनिक साहित्य

अध्याय की संरचना


2.1 अधिगम उद्देश्य

2.2 परिचय

2.3 अध्याय के मुख्य बिन्दु

2.3.1 हरियाणवी भाषा का आधुनिक साहित्य

2.3.2 हरियाणवी कविता : परिचय और विशेषताएँ

2.4 पाठ के आगे का मुख्य भाग

2.4.1 हरियाणवी उपन्यास

2.4.2 हरियाणवी कहानी

2.4.3 हरियाणवी नाट्क

2.5 स्वयं प्रगति जाँच/जांचें

2.6 सारांश

2.7 शब्दावली

2.8 स्वयं मूल्यांकन परीक्षा

2.9 प्रगति समीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर देखें

2.10 संदर्भ ग्रंथ


## 2.1 अधिगम उद्देश्य

(i) हरियाणवी कविता की विशेषेताओं से परिचित हो सकेंगे।

(ii) हरियाणवी उपन्यास के स्वरूप को जानना।

(iii) हरियाणवी कहानी की लेखन शैली की पहचान करना।

(iv) हरियाणा नाटकों की विषय वस्तुत को पहचानना।

## 2.2 परिचय

पिछले अध्याय में हमने हरियाणवी भाषा के विकास पर चर्चा की। हरियाणवी भाषा एक लोक भाषा है। इसकी धारा निरन्तर प्रवाहमान रही है। समय के साथ–साथ अन्य भाषाओं के परिवर्तित रूपों से इसका आदान–प्रदान चलता रहने से इसका भी विकास होता आ रहा है। यह भाषा अब तक हजारों वर्षों की यात्रा तय कर चुकी है। वर्तमान हरियाणवी भाषा में ऐसे प्राकृत शब्दों का समावेश जिनका प्रचलन पहली से पाचंवी शताब्दी की बीच था। हरियाणवी भाषा पर संस्कृत, पालि, प्राकृत व अपभ्रंश भाषाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। कहना न होगा कि इन भाषाओं का हरियाणवी भाषा के विकास में महत्त्वर्पूण योगदान रहा है। जहां तक हरियाणवी भाषा के साहित्य की बात है, हरियाणा के लोक साहित्य की लम्बी परम्परा रही है। साँगा, रागनियां, लोक नाटकों, लोग गीतों से हरियाणवी साहित्य समृद्ध है। इसके साथ–साथ वर्तमान समय में हरियाणवी भाषा में आधुनिक साहित्य कविता, उपन्यास, नाटक, कहानियां इत्यादि में साहित्यकारों ने अपना परचम लहरा कर हरियाणवी भाषा को समृद्ध करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है इस अध्याय में हरियाणवी भाषा के आधुनिक साहित्य पर चर्चा करेंगे।

## 2.3 अध्याय के मुख्य बिन्दु

### 2.3.1 हरियाणवी भाषा का आधुनिक साहित्य

भारत वर्ष 15 अगस्त, सन 1947 ई. को आजाद हुआ। भारतीय राष्ट्र के लिए यह एक अनूठा परिवर्तन था। राजनैतिक परिवर्तन का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बिंदुओं पर भी प्रभाव था। साहित्य भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। डॉ. हरिश्चन्द्र वर्मा ने राजनैतिक दृष्टि से अनास्थावादी बौद्धिक वर्ग का विकास नेहुरू युग से माना है। नेहरू युग सन 1938 ई. से 1964 तक माना जाता है। इस प्रकार स्वतंत्रता के उपरांत आधुनिक साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। इस युग में, ऐसे साहित्य की अधिकता है जिसमें आधुनिकता की निराशा, कुंठा, वासनाओं का नग्न चित्रण अश्लीलता आदि का बोलबाला रहा है। इनमें आधुनिकता का विकृत रूप अभिव्यक्त हुआ है। इस युग का कवि वैयक्तिक,पारिवारिक, सामाजिक एवं नारी चेतना से जुड़ा है। उसकी संवेदना बहुआयामी एवं व्यापक होते हुए भी अंतर्मुखी है। वह समाज, परिवार के मध्य रहते हुए भी स्वयं को अजनबी पाता है। किंतु इसके साथ–साथ आधुनिक युग में श्रेष्ठ साहित्य का सृजन भी हुआ है। इस संबंध में डॉ. हरिश्चंद्र वर्मा ने हिंदी साहित्य

का इहितास में लिखा है – ''आधुनिकता अपने स्वरूप रूप में परंपरा की अपेक्षा नहीं करती। वह संस्कृति की विकासोन्मुखता की सूचक प्रगतिशील जीवन दृष्टि है जो समूची जीवन–व्यवस्था को दिशा और गति प्रदान करती है। आधुनिकता अतीत से प्रेरित, वर्तमान के प्रति सचेत तथा भविष्य के प्रति उन्मुख दृष्टि है।''

हिन्दी के आधुनिक साहित्य में हरियाणवी साहित्य का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणवी कवियों ने भावबोध के साथ–साथ काव्य शिल्प प्रसंगों तथा काव्यगत नवीन विधाओं को क्षेत्र में नूतन एवं आंचलिक प्रयोग किए हैं।

आधुनिक साहित्य में गद्य विधाओं का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ है। शायद इसीलिए विद्वानों ने आधुनिक युग को गद्य युग की संज्ञा से अभिहित किया है। आधुनिक युग में निबन्ध, उपन्यास, कहानी, एकांकी, नाटक इत्यादि में प्रचूर साहित्य लिखा गया। आधुनिक हरियाणा के गद्य साहित्य में उपन्यास कहानी व नाटकों की महत्त्वपर्ण भूमिका हरियाणवी रही है।

## 2.3.2 हरियाणवी कविता : परिचय और विशेषताएँ।

आधनुनिक हरियाणवी कवियों की कविताओं में देश–प्रेम की अनूठी भाषा का चित्रण हुआ है। देवीशंकर प्रभाकर, राधारी खटकड़, तारादत्त विलक्षण, ओ.पी. हरियाणवी, गणपत राम, गोवर्धनदास, जयनारायण कौशिक, रामपाल शर्मा, डॉ. विश्वबंधु शर्मा आदि कवियों ने देश प्रेम का परिचय दिया है। विश्वंबधु शर्मा की 'माटी के स्वर' कामान देश–प्रेम की भावना से ओत–प्रोत कविता है। कामान कविता की कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं –

भगवान भारत देश में बलवान पैदा हौं।

जो राखैं भारत देश की वो शान पैदा हौं।

गोतम बुद्ध, वशिष्ट, ऋषि जैसे तपधारी हौं।

विश्वामित्र, व्यास पुत्र शुक आज्ञाकारी हौं।

अत्री सै घरबारी घरबारी ऋषि भगवान पैदा हौं।

राम लखन और भरत जीसा सब भाई चारा हौं।

अर्जुन के लिये गीता जी का सही ईमारा हौं।

कृष्ण जैसे प्यारे रथवान पैदा हौं।

उदयभानु हंस को हरियाणा का राजकवि माना जाता है। उनकी 'देसा मँह देस हरियाणा' देश–प्रेम की अनूठी रचना है जिसमें कवि ने राष्ट्र भक्ति का परिचय देते हुए हरियाणा की सभ्यता संस्कृति का अंनूठा चित्रण किया है।

कविता साहित्य की प्राचीनतम एवं सरस विधा है। अतः सदा से ही साहित्यकारों ने इसकी रचना पर बल दिया है। हरियाणवी कविता का इतिहास भी हिन्दी कविता के समानान्तर अग्रसर रहा है श्री राजाराम शास्त्री ने तो हरियाणवी कविता को खींचकर सातवीं–आठवीं शताब्दी से जोड़ने का प्रयास किया है। भले ही शास्त्री जी के प्रयास में अतिशयोक्ति प्रतीत होती हो, किन्तु उनका मत सत्य से कोरा भी नहीं है। हरियाणवी कविता की धारा गुरू गोरखनाथ के काव्य से लेकर आज तक निरन्तर बहती आ रही है। कभी सन्तकाल–काव्य एवं सूफी–काव्य के रूप में तो कभी राम–काव्य, कृष्ण काव्य और कभी सुधारवादी काव्य के रूप में। आधुनिक काल में इसका राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण रूप भी खूब लुभावना रहा है।

हरियाणा में आजकल अनेक कवि हरियाणवी कविताएं लिख रहे हैं, जो हरियाणा की पत्र–पत्रिकाओं में निरन्तर स्थान पा रही हैं। आधुनिक हरियाणवी कवियों में श्री. ओ.पी. हरियाणवी, कंबल हरियाणवी, कुन्दन लाल 'हमदर्द, कृष्ण गोतान मंजर, गणपतराय भारद्वाज, गोवर्धन दास, चन्द्रभान, डॉ. जयनाराण कौशिकि, जैमिनी हरियाणवी, तारादत्त विलक्षणण, थाम्बूराम, डॉ. पूर्णचन्द शर्मा, डॉ. ब्रजपाल सिंह, श्री भारतभूषण सांधीवाला, डॉ. रघुनाथ ऐटी, डॉ. राजेन्द्र स्वरूप वत्स, श्री रामकुमार अज्ञेय, रामचन्द्र, रामफल शर्मा, रामेश्वर दयाल शास्त्री, डॉ. विश्वबन्धु शर्मा, सतपाल स्नेही, सत्यदेव शर्मा, सत्यप्रकाश बत्स, जगदीश चन्द्र शर्मा, ज्ञानीराम शास्त्री, देवी शंकर प्रभाकर, अल्हड़ बीकानेरी, ओमप्रकाश आदित्य आदि के नाम उल्लेखनीय है। इससे पता चलता है कि आधुनिक हरियाणवी काव्यधारा अत्यन्त वेग के साथ प्रवाहित है। उपलब्ध आधुनिक काव्य साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएं परिलक्षित हैं–

## (i) हरियाणा भूमि की प्रशंसा

आधुनिक हरियाणवी कविता में कवियों ने हरियाण्णा की पावन माटी की भूरि–भूरि प्रशंसा की है। कवियों की इन भावना को उनका देश–प्रेम भी कहा जा सकता है। इन कवियों ने हरियाणा की उपजाऊ भूमि, यहाँ के रहन–सहन, खान–पान यहाँ के मेहनती किसान एवं वीर सैनिकों का खुलकर गुणगान किया है।

देवीशंकर प्रभाकर ने अपनी कविता में हरियाणा की माटी की वन्दना की है–

''हरियाणा की पावन धरती, तेरा वन्दन तेरा पूजन,

तेरी माटी शीश चढ़ाकर, हम कर लें तेरा अभिनन्दन।

जब कोई सीमा में झांका, जब भी जिसने घात लगाई,

टूट पड़े रण में मतवाले, हाथ पकड़ लेगा हड़खाई।।''

### (ii) सामाजिक चेतना

आधुनिक हरियाणवी कविता सामाजिक पृष्ठभूमि पर खड़ी कविता है। कहीं भी वह समाज से अलग होकर व्यक्तिगत चेतना के घेरे में घिरी हुई दिखाई नहीं देती। वह छोटे–छोटे सामाजिक सरोकरों के प्रति भी प्रतिबद्ध दिखाई देता है। हरियाणवी कविता में आज के जीवन में व्याप्त अनेक विषमताओं पर प्रकाश डाला गया है। अति–भौतिकवाद के कारण समाज में बढ़ती बिखराव की भावना, पारिवारिक क्लेश, दहेज प्रथा, कन्या–भ्रूण हत्या, बेरोजगारी के कारण व्याप्त उदासी व निराशा, महंगाई आदि विषयों को सशक्त में चित्रण किया गया है। साथ ही प्रेम, सद्भावना व त्याग जैसे उदात्त गुणों को जीवन में अपनाने पर भी बल दिया गया है। भारत भूषण सांघीवाल ने अपनी कविताओं से सामज को जागृत करने का प्रयास किया है।

### (iii) देश–प्रेम की भावना

आधुनिक हरियाणवी कविता में जहां हरियाण के जीवन व हरियाणवी लोक–संस्कृति आदि का वर्णन हुआ है, वहीं देश–प्रेम की भावना की अभिव्यंजना भी हुई है। हरियाणवी कविता में देश की प्राकृतिक धरोहर का अत्यन्त सुन्दर एवं सजीव वर्णन देखा जा सकता है। देश की स्वतंत्रता की रक्षा की चिंता को भी व्यक्त किया गया है। राष्ट्रीय चेतना को भी यत्र–तत्र देखा जा सकता है। कवि भारतमाता की वन्दना करता हुआ उसमें प्रार्थना करता है कि वह सबके दुःखों को दूर करे–

''इस भारत का, लोग विदेशी देना चाहते घेरा।

दुनिया में घुड़दौड़, मच्ची हुई, दिल घबरावै मेरा।

आवै अन्धेरा छय्याता घटा उठी सकती।

आंधी और तूफान हान कर रहै हमारी।।''

### (iv) भक्ति–भावना

आधुनिक हरियाणवी कविता में ईश–वन्दना व प्रभु–भक्ति की भावना भी निरन्तर व्यक्त होती रही है। इससे यहां के लोगों की ईश्वर के प्रति आस्था की भावना के भी दर्शन होते हैं। अनेक कवियों में अपनपी काव्य–रचनाओं में शिव, गणेश, कृष्ण, राम, महात्मा बुद्ध आदि देवताओं की महिमा का गान किया है। कवियों ने विभिन्न देवताओं का सम्बन्ध हरियाणा से जोड़ने में भी कोई कसर बाकी नहीं रखी। जगदीशचन्द्र वत्स अपनी एक कविता में भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं –

''दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बिदुर घर खा लिया।

दुखिया निर्धन बिप्र सुदामा झट, छाती कै ला लिया।

तारा–मीरों द्रोपद है रहे, छाया बण के शीश की

टेर सुणो जगदीश की, खड्या चरणों मैं पुजारी।।''

## (v) शोषण का विरोध

आधुनिक हरियाणवी कविता में हर प्रकार के शोषण का कड़े शब्दों में खण्डन किया गया है। हरियाणवी कविता में जहां शोषितों को प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, वहीं शोषक वर्ग् की कड़े शब्ददों में निन्दा की गई है। किसान व मजदूर के शोषण को देखकर हरियाणवी कवियों का खून खौल उठता है। किसान की गरीबी को देखकर कवि कह उठता है।

'देख रोंगटे खड़े होंगे या मेरी छाती धड़कै

गरीब किसान की जिन्दगी क्युकर बितै सै पर पड़कै।

शिखर दुफारी पड़े पसीना छातां कैड ना दिखती

आधी रात तक पाणी बाहवै फेर भी उठै तड़कै।।''

शोषक वर्ग के द्वारा गरीबों पर किए गए तरह–तरह के जुल्मों को देखकर कवि का हृदय रोष से भर जाता है। वह पूँजीपतियों के प्रति अपना क्रोध व्यक्त करता हुआ कहता है–

''पाट्टे कपड़े टूटे लित्तर गन्ठारे टीभा गम्हं

सहूकार के छौंक लगै तेरे आलण पड़ै ना साग म्हं

तेरी बीर ज्वारा ढोवै सिठाणी सूंधै फूल बाग म्हं

तनैं सोबण नै खाट ध्यावै ना उनकै रूई के सै पहल लागरे।।''

## (vi) आस्थावादी चेतना

हरियाणा की आधुनिक कविता में आस्थावादी भावना का भी चित्रण यत्र–तत्र अवश्य हुआ है। जीवन में संघर्ष, शोषण व दुःख ही नहीं अपितु सुख भी मिल सकते हैं। समय सर्वत्र एक सम्मान नहीं रहता। इसलिए मानव की धैर्य से काम लेना चाहिए। उनका विश्वास है कि सुख–दुख की अनुभूति हमारी मानसिकता पर भी निर्भर करती है–

''एक बै तऊं हंस कै तो देख ल रै,

खुद तै दूर हट कै तो देख ले रै।

राह मैं पत्थर ए नई सैं फूल बी सैं,

थोड़ा आँख खोल कै तो देख ले रै।।''

### (vii) साम्प्रदायिकता का विरोध

आधुनिक हरियाणवी कविता में साम्प्रदायिक भावना का कड़े शब्दों में खण्डन किया गया है। कवि ने अपनी काव्य–रचनाओं के माध्यम से जाति–भेद, धर्म, क्षेत्रीयता की भावना आदि पर होने वाले झगड़ों व वैर–विरोध का खण्डन किया है। तारादत्त विलक्षण ने अपनी कविता 'एक रहांगे' में साम्प्रदायिकता की भावना को देशव समाज के लिए हानिकारक बताकर उससे दूर रहने का आग्रह किया है।

### (viii) हास्य व्यंग

आधुनिक हरियाणवी कविता में यत्र–तत्र हास्य व्यंग्य की भावना भी दिखलाई पड़ती है। कवि ने समाज में व्याप्त जीवन की छोटी–छोटी कमजोरियों पर व्यंग्य के छींटे कसे हैं तथा ऐसे लोगों को हंसी का पात्र बनाकर हास्य के माध्यम से यथार्थ का चित्रण भी किया है। 'जैमिनी हरियाणवी' की कविता से यह उदाहरण देखिए–

''ईब का इंसान

भीतर तै कटपीस, ऊपर तै थान

ईब की नारी?

ब्याह तै पहलम तलाक की तैयारी।

ईब के नेता

जनता के डबल रोल करण वाला अभिनेता।।''

### (ix) भाषा–शैली

हरियाणा की आधुनिक कविता का भाव पक्ष जहां अत्यन्त समृद्ध एवं विशद है, वहीं उसका अभिव्यक्ति पक्ष अथवा भाषा–शैली भी भावाभिव्यंजना में पूर्णतः सक्षम है। हरियाणवी कविता में हरियाणा की लोक भाषा का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। हरियाणवी मुहावरों, कहावतों व सुभाषितों के प्रयोग के कारण भाषा में हरियाणवी संस्कृति व संस्कारों का स्पर्श देखा जा सकता है। भावानुकूल कवियों ने अपने काव्य की भाषा में अभिधा, लक्षणा व व्यंजना तीनों शब्दों–शक्तियों का प्रयोग किया गया है। विविध प्रकार के बिम्बों व प्रतीकों की योजना से भाषा में भावाभिव्यंजना को सबल बनाया है। भावानूकूल विविध शैलियों का भी प्रयोग किया गया है। आधुनिक हरियाणवी

कविता की भाषा में सर्वत्र प्रवाहमयता व संगीतात्मकता के दर्शन भी होते हैं। अतः स्पष्ट है कि आधुनिक हरियाणवी कविता भाव–पक्ष एवं कला–पक्ष की दृष्टि से सफल विधा है।

## 2.4 पाठ के आगे का मुख्य भाग

### 2.4.1 उपन्यास साहित्य : एक परिचय

उपन्यास गद्य की महत्त्वपूर्ण विधा है। हरियाणवी भाषा में बहुत कम उपन्यास लिखे गए हैं। अब तक कुल तीन ही उपन्यास लिखे गए हैं। ये तीन उपन्यास हैं– 'झाड़ू फिरी', 'फफा कुट्टणी' तथा 'समझणिए की मर'। इन उपन्यासों में से प्रथम दो उपन्यास श्री राजाराम शास्त्री द्वारा रचित है तथ तीसरा उपन्यास डॉ. श्याम सखा 'श्याम' का है। अतः हरियाणवी उपन्यास साहित्य का परिचय केवल इन तीन उपन्यासों के माध्यम से ही दिया जा सकता है।

हरियाणवी साहित्य के महापुरोहित श्री राजाराम शास्त्री का जन्म 27 दिसम्बर, 1918 को हिसार जिला के टोहाना कस्बे में हुआ। शास्त्री जी का रचना क्षेत्र अत्यन्त व्यापक रहा है। एक भाषाविद् और प्रकाण्ड ज्योतिषशास्त्री के रूप में उनकी विशेष ख्याति रही है। हरियाणा से उनका सम्बन्ध भाषा–वैज्ञानिक होने के साथ–साथ रचनाकार के रूप में भी रहा है। वे हरियाणवी भाषा को आंचलिक लोक भाषा ही नहीं मानते थे, अपितु साहित्य रचना में समर्थ भाषा मानते थे। उन्होंने सन् 1963 में 'हरियाणा लोक मंच' की स्थापना की तथा अनेक ग्रंथ भी लिखे। उन्होंने कुल ग्यारह उपन्यास लिखे, जिनमें से दो हरियाणवी भाषा में हैं। उन्होंने तीन सौा से अधिक रोडियो–रूपकों तथा कई ज्योतिषों ग्रंथों की भी रचना की। हरियाणा के इस महान् साहित्यकार का देहान्त 6 नवम्बर 2002 को हुआ।

श्री राजाराम शास्त्री के हरियाणवी भाषा में रचित दोनों उपन्यास सामाजिक उपन्यास हैं। 'झाड़ू फिरी' उपन्यास के कथानक में एकसे नायक–नायिका की कहानी कही गई है जिसमें एक नायक वैसे तो एक लड़की को पंसद करके विवाह करता है, परंतु भूल से वह किसी दूसरी लड़की से विवाह कर लेता है। विवाह के कुछ दिनों बाद जब भेद खुलता है तो उसे अपनी भूल का ज्ञान होता है और वह उस लड़की को त्याग देता है। उपन्यास का दूसरा नायक भी अचानक ही एक लड़की से विवाह करता है और लड़की के प्रथम दर्शन को बाद ही उसका परित्याग कर देता है।

पहले नायक की पत्नी सुशील है। उसे भरोसा है कि वह अपनी सेवा से नायक का दिल जीन लेगी। दूसरे नायक की पत्नी नारियल की भांति ऊपर से कठोर भीतर से विनम्र है। प्रस्तुत उपन्यास में लेखक ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से घात–प्रतिघात को आधार बनाकर कथानक का विकास किया है। अतः स्पष्ट है कि लेखक ने प्रस्तुत उपन्यास में सिद्ध किया है कि सुखद गृहस्थी के लिए मन की शांति, सहनशीलनता, चकाचौंध से परहेज तथा सेवा

के महत्त्व को रेखांकित किया जाना आत्यावश्यक है। हास–परिहास एवं संकलित व्यंग्य–विनोद के समावेश से रचना को मनोरंजन के साथ–साथ लोकरंजता भी प्रदान की गई है। प्रस्तुत उपन्यास में हरियाणवी लोक–दर्शन को भी जीवन्त रूप में प्रस्तुत किया गया है।

उपन्यास के कथानक में क्रमबद्ध बनी रहती है। कथानक घटनाओं और पात्रों के घात–प्रतिघात से गतिशील बना रहता है तथा अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करता है। कथानक में आदि से अन्त तक जिज्ञासा का तत्व बना रहता है। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, शास्त्री जी ने ठेठ हरियाणवी का प्रयोग किया है। यथा–स्थान हरियाणवी मुहावरों एवं लोकोक्तियों का भी सुन्दर प्रयोग किया है। अतः 'झाडू फिरी' एक सफल उपन्यास है।

हरियाणवी भाषा का तीसरा उपन्यास 'समझणिए की मर' सन् 2003 में प्रकाशित हुआ है। इस उपन्यास के रचयिता श्री श्याम सखा 'श्याम' है। डॉ. श्याम सखा 'श्याम' का जन्म अप्रैल, 1948 को 'बेरी वालों का पेच' रेलवे रोड़, रोहतक में श्री रतिराम शास्त्री के घर हुआ । आप ने एम.बी.बी.एस., सी.जी.पी. एवं एल.एल.बी. की शिक्षा प्राप्त की है। इनके 'एक टुकड़ा दर्द' हिन्दी कविता–संग्रह और हिन्दी कहानी संकलन 'अकथ' प्रकाशित हो चुके हैं। ये तीन बार हरियाणा साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हो चुके हैं। 'मसि–कागद' कहानी–संग्रह तथा 'घणी गई थोड़ी रही', लोककथा–संग्रह भी छप चुके हैं।

'समझणिए की मर' श्री श्याम सखा का हरियाणवी में रचित आंचलिक उपन्यास का कथानक दो वक्ताओं द्वारा दो श्रोताओं की सुनाई गई बातचीत पर आधारित है। प्रस्तुत उपन्यास में वर्तमान की स्वार्थपूर्ण राजनीति और कलुषित होती जा रही पंचायती न्यास व्यवस्था प्रणाली का मनोवैज्ञानिक एवं यर्थाथ भूमि पर चित्रण किया गया है। कथानक निरन्तर गतिशील एवं क्रमबद्ध बना रहता है। जिज्ञासा तत्व भी कथानक में निरन्तर बना रहता है। संवाद–योना से ही समूचे कथानक में अद्‌भुत उपन्यास का समावेश हुआ है। कथानक हरियाणवी संस्कृत से सुसम्बद्ध होकर चलता है। जो पाठक को रसविभोर किए रहता है। 'समझणिए की मर' उपन्यास शिल्प की दृष्टि से भी सफल रचना है। इस उपन्यास के विषय में डॉ. हरिश्चन्द्र वर्मा ने लिखा है–

''राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित उपन्यासकार की दृष्टि से सबसे अधिक चिन्ताजनक पक्ष है – भारत की राष्ट्रीयता से विमुख स्वार्थ–केन्द्रित राजनीति। उपन्यास की कथा में समाहित कारगिल का युद्ध ऐसी ही स्वार्थ केन्द्रित राजनीति का परिणाम था, जिसमें, अनेक निर्दोष सैनिकों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार भी कथाकार की चिन्ता का मुख्य विषय है। कारगिल के युद्ध में, शहीद हुए नफे सिंह की विधवा अमृता को मिलने वाली दस लाख की राशि को हड़पने के लिए अमृता का ससुर रणसिंह अनेक प्रपंच करता है। किन्तु अन्त में सत्य की ही जय होती है। विधवा अमृता दस लाख की राशि से कन्याओं के लिए तकनीकी स्कूल की स्थापना करती है। इस प्रकार उपन्यासकार ने नफे सिंह के उत्सर्ग और अमृता के त्याग और सेवाभाव के उदात्त उदाहरणों के माध्यम से देशभक्ति का उज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत किया है। ''

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हरियाणवी भाषा गद्य साहित्य के लिए भी उपयुक्त है। किन्तु उपन्यास रचनाओं की संख्या को देखकर निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि आधुनिक युग गद्य का युग भी कहा जाता है। केवल यह विचार अथवा तर्क मन की तसल्ली देता है कि हरियाणवी भाषा में उपन्यास भी लिखे जा सकते हैं।

### 2.4.2. कहानी साहित्य : एक परिचय

हरियाणवी भाषा में कहानी साहित्य की मात्रा भी बहुत कम है, किन्तु उपन्यास के मुकाबले में स्थिति बेहतर है। हरियाणवी भाषा में कहानी लेखन की ओर लेखकों की रूचि का झुकाव कुछ पिछले वर्षों में हुआ है। हरियाणवी कहानी विधा पर हुए नवीनतम् शोध के आधार पर कहा जा सकता है कि हरियाणा के मूर्धन्य साहित्यकार माधव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित 'लड़की की बहादुरी' शीर्षक कहानी हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी है। डॉ. बाबू राम ने भी अपने 'हरियाणवी साहित्य का इतिहास' शीर्षक ग्रंथ में इसी कहानी को हरियाणवी भाषा में रचित प्रथम कहानी स्वीकार किया है। किन्तु डॉ. मुरारी लाल गोयल ने 'लड़की की बहादुरी' शीर्षक कहानी को न केवल हरियाणवी की प्रथम कहानी कहा है अपितु हिन्दी की भी प्रथम कहानी बताया है। हरियाणवी भाषा की यह कहानी 'वैश्योपकारक' में सन् 1904 में प्रकाशित हुई थी, जबकि आधुनिक हिन्दी कहानी के आरम्भ का समय सन् 1907 से पूर्व किसी भी दशा में सिद्ध नहीं होता। अतः कहने का तात्पर्य है कि हरियाणवी भाषा में कहानी लेखन परम्परा सौ वर्ष से भी अधिक पुरानी है।

'लड़की की बहादुरी' कहानी में वर्णित विषय सामाजिक है। कहानी में बताया गया है कि रामली एक ब्राह्मण कन्या धापली को झांसा देकर लाल गूदड़मल के पास व्यभिचार के लिए लाती है। उस कन्या की रक्षा गूदड़मल का नौकर जस्सा जाट करता है। इस प्रकार कहानी में तत्कालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार व पापाचार की समस्या और उसके समाधान पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत कहानी ठेठ हरियाणवी भाषा मे रचित है। उदाहरण स्वरूप ये पंक्तियां देखिए– ''द्रौपदी की रिच्छा करणवाला राम ! तू कित सै–कहकर खुरपी हाथ में ले बहादुर जाट खड़ा हो गया और रामली को धमकाकर कहने लगा–चिण्डाल रांड! जिसे डूब्बण के काम तै करे सै, इसे म्हारे हरियाणै में कोई भी कोन्नी करै। देख जै छोरी बची, नां तो रांड, आज तरा भी काल आग्या। इसे तलाई में तन्नै और तरे बाबू नै डूबोकर मारूंगा।''

प्रस्तुत कहानी के पश्चात् ही हरियाणवी कहानी परम्परा का आरम्भ होता है। उसका वर्णन निम्नलिखित कहानीकरों की कहानियों के माध्यम से किया जा सकता है–

1. **डॉ. नानक चन्द शर्मा** : डॉ. नानक चन्द शर्मा का नाम हरियाणवी कहानी लेखकों में आदर से लिया जाता है। उनके द्वारा रचित 'डाकी डाभखाना' हरियाणवी भाषा में रचित दूसरी कहानी है। यह कहानी हास्य एवं विनोद से परिपूर्ण है। इसमें हरियाणा के लोक–जीवन की विनोद–प्रियता की भावना को उजागर

किया गया है। कहानी का नायक भी विनोदमय स्वभाव वाला युवक है। नायक एक बूढ़े बाराती के क्रियाकलापों का मनोरंजन वर्णन प्रस्तुत करता है। कहानी में पात्र–योजना, संवाद–लेखन तथा संवादात्मक एवं वर्णनात्मक शैलियों का प्रयोग कियास गया है। प्रस्तुत कहानी में प्रयुक्त वर्णनात्मक शैली एवं हरियाणवी भाषा का उदाहरण देखिए–

''डाकी लामखाणा मौजी माणस था – इतोहड–उतोहड़ हांडणा, दुनिया देखणी। घणखरी बार ते आ टुकड़िया मैं बड़दी हाणी खिलकुटी पाटदा आंदा जगूं बेरा ना के राम मिलग्या उसनै। कोए बूझदा–डाकी के होग्या के ग्यान सै, ते और जोर–जोर से ताड़ी पीट–पीट के लोट–लोट हो जांदा अन उन्नै देखण आले बी उननै हंसद्या देख कैं नै हंसण लाग जादैं।''

एक बार इसा होया के दुफारा ढ़ल्या भी ना था के डाकी डाभखाणा टुकड़िया मैं आया। छोटे–छोटे तास्यां मैं रमड़ रहे थे, बाजी का रंग चढ रह्या था। चौधरी साहब होक्का पींदे–पींदे किसे सोच सी मैं डूब रहे थे। डाकी डाभखाणा खिलखिलादा आया–

''चौधरी साहब चाला पटग्या। बटै के नै कमाल कर दिया।'' ''के होया बी।'' ''बस के बूझो सो, आज तै एक बूढ़े ढूंढ नै हद्दे पार कर दी।''

छोरयां के कान खड़े हो होये। ओर सारे के सारे अपणे–अपणे पत्यां ने छोड़के नै चौधरी साहब के होक्कै कै धोरे चारूं पास्यां बैठगे। एक बार तो ईसा लाग्या जणूं किसे नै चाणचक चिड़िया मै डला फांक दिया हो। अर वे उड़ कै नै किते दरख्त पै बैठ कै नै चीं–चीं करण लग पड़ी हों।

अतः स्पष्ट है कि लेखक ने सफल संवाद एवं वर्णात्मक शैली द्वारा आंचलिक वातावरण का सजीव चित्र अंकित किया है। प्रस्तुत कहानी का कथानक हास्य–विनोदपूर्ण है। हरियाणवी मुहावरों और लोकोक्तियों का सफल प्रयोग करके कहानीकार ने हरियाणवी भाषा में चमत्कार उत्पन्न किया है।

प्रस्तुत कहानी अत्यन्त प्रसिद्ध रही है। सन् 1969 में ग्रामीण कार्यक्रम में आकाशवाणी दिल्ली द्वारा प्रसारण इसका प्रमाण है। डॉ. नानक चन्द शर्मा ने यद्यपि अधिक कहानियाँ नहीं लिखीं किन्तु उनकी यह कहानी हरियाणवी कहानी क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुई ळें

2. **रघुबीर सिंह मथाणा** : हरियाणवी कहानी साहित्य को समृद्ध करने में श्री रघुवीर सिंह मथाणा का योगदान भी सराहनीय रहा है। सन् 1992 में 'हरियाणा अध्यापक समाज' शीर्षक पत्रिका में उनकी 'आपरराधिक आँकड़ें' कहानी प्रकाशित हुई थी। इस कहानी मं पुलिस–थाने के वातावरण को सजीव रूप से उभारा गया है। कहानी में बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक एक थाने के एक प्रभारी को उसके थाने के निरीक्षण के दौरान लताड़ लगाकर चले जाते हैं। पुलिस अधीक्षक के जाने के बाद थाना प्रभारी अपने

मातहत कर्मचारियों की एक सभा बुलाता है तथा सबको एक–एक डिडक्शन दर्ज करने को कहता है। थाने के मातहत कर्मचारी रात को बस–स्टैंड और रेलवे स्टेशन से गरीब लोगों को लाकर उन्हें भिन्न–भिन्न अपराधों के तहत हवालात में बन्द कर देते हैं। इस प्रकार वे आपराधिक आँकड़ें जुटाते हैं।

प्रस्तुत कहानी में लेखक ने हरियाणा पुलिस की कार्य–प्रणाली को कहानी के कथानक में पिरोकर उजागर किया है।

3. **कंवल हरियाणवी** : कंवल हरियाणवी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, किन्तु उन्होंने गद्यात्मक विधाओं पर भी सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है। सन् 1995 में इनका 'लीक पुरानी मोड़ नवा' शीर्षक कहानी–संग्रह प्रकाशित हुआ है। इस कहानी–संग्रह में कुल बारह कहानियाँ संकलित हैं। डॉ. बाबू राम ने इस कहानी–संग्रह के विषय में लिखा है, ''यह कहानी–संग्रह ग्रामीण संस्कृति तथा ठेठ हरियाणवी संस्कारों का आईना है। इन कहानियों में ग्रामीण व्यक्ति की वृत्तियों का मूर्त रूप शब्दों के द्वारा तैयार किया गया है।'' इस कहानी–संग्रह में संकलित 'धन्नो', 'सरजो काकी' और 'आशा किरण' कहानियाँ नारी–जीवन की समस्याओं पर आधारित हैं।

हरियाणवी भाषा के अब तक के शोधों के अनुसार हरियाणवी कहानी का यह प्रथम संग्रह है। कंवल जी ने इस संकलन में भारतीय संस्कृति के प्राचीन एंव नवीन रंगों में यथार्थ रूप में उकेरा है। इनकी कहानियों के पात्र हमारे आस–पास के जीवन के पात्र हैं। कंवल जी की कहानियों के कथानक अत्यन्त सुगठित एवं जिज्ञासापूर्ण हैं। पात्रों की सजीवता एवं कर्मठता के कारण ही पाठक उन्हें नहीं भूलता। उन्होंने संवादात्मक एवं वर्णनात्मक शैलियों का सफल प्रयोग किया है। कंवल जी की कहानियों के कथानक अत्यन्त सुगठित एवं जिज्ञासापूर्ण हैं। पात्रों की सजीवता एवं कर्मठता के कारण ही पाठक उन्हें नहीं भूलता। उन्होंने संवादात्मक एवं वर्णनात्मक शैलियों का सफल प्रयोग किया है। कंवल जी ने अपनी कहानियों में ठेठ हरियाणवी भाषा का सफल प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित पंक्तियां देखिए जो पात्र को मनोवृत्ति के अनुकूल हैं–

'फूल्लू ने संतोखी तै कह्या उसे मैं बाक्की नी रई। तड़क के बोली–मन्नैं न्यूं बता जग्गू के बाप। ल्होई पाट्टी उट्ठूं सूं अर दो घड़ी रैत गये खाट देक्खूं सूं। एक पल की फुरसत नी मिलदी, सारै दिन मारी–मारी फिरू सूं। इस बुढ़कड़ै नै तो राम डंडोरका सा दिक्खै सै। सारा दिन खाट पै बैठ्या मस्ती छाणै सै अर यार बास्सां गेल तास पिटै अर होक्क पाड़ै सै।'' पाठकों को भविष्य में भी कंवल जी से और कहानियों की अपेक्षा रहेगी।

4. **डॉ. राजबीर धनखड़** : हरिणायणवी कहानी साहित्य के विकास में डॉ. राजबीर धनखड़ का सर्वाधिक योगदान रहा है। अब तक इनके दो कहानी–संग्रह– 'सरपंचणी' तथा 'स्याणपत' प्रकाशित हो चुके हैं।

'सरपंचणी' शीर्षक कहानी–संग्रह सन् 1998 में प्रकाशित हुआ है। इसमें 23 कहानियाँ संग्रहीत हैं तथा 2000 में प्रकाशित 'स्याणपत' शीर्षक कहानी–संग्रह में उनकी 24 कहानियाँ संकलित है।

डॉ. राजबीर धनखड़ की कहानियों में वर्तमान युग के जीवन की विभिन्न समस्याओं का सजीव चित्रण किया गया है। इनकी कहानियों में हरियाणा की माटी से उपजी कहानियाँ है। डॉ. धनखड़ की कहानियों के कथानक सुगठित एवं विविध घटनाओं में संयुक्त हैं। उनकी भाषा ठेठ हरियाणवी है। संवादात्मक एवं वर्णनात्मक शैलियों के सफल प्रयोग से जहाँ वातावरण को सजीवता से प्रस्तुत किया गया है, वहीं भाषा में रोचकता भी उत्पन्न की गई है।

उपर्युक्त हरियाणवी कहानीकरों के अतिरिक्त श्री देवीशंकर प्रभाकर, आर.एस. चिंगारी, सहीराम, धनवंतरि, डॉ. राजेन्द्र स्वरूप आदि कहानी लेखकों ने अपनी कहानियों द्वारा हरियाणवी भाषा में रचित कहानी साहित्य को समृद्ध किया है। हरियाणवी कहानी का भविष्य उज्ज्वल है।

### 2.4.3. नाट्य–साहित्य : एक परिचय

हरियाणवी भाषा में दृश्य नाट्य तथा श्रव्य नाट्य दोनों प्रकार का साहित्य रचने की परम्परा रही है। हरियाणवी नाट्य साहित्य की विकास–यात्रा का वर्णन एकांकी, प्रहसन, झलकी, जिन्हें रेडियो नाटक भी कहा जाता है, आदि के विवेचन के द्वारा किया जा सकता है।

**(i) एकांकी** : एकांकी का तात्पर्य उस नाटक से है जिसमं एक ही अंक होता है। हरियाणवी नाट्य साहित्य के विकास में हरियाणवी में रचित एकांकी नाटकों का अध्यधिक योगदान रहा है। हरियाणवी भाषा में एकांकी रचना की आरम्भ सन् 1950 में माना जाता है। सन् 1966 में प्रकाशित 'झाड़ू फिरी' उपन्यास की भूमिका में श्री राजाराम शास्त्री ने लिखा है कि हरियाणवी भाषा में गत पच्चीस–तीस वर्ष से बराबर एकांकी का निर्माण हो रहा है। किन्तु हरियाणवी भाषा में एकांकी का आरम्भ विद्वानों ने सन् 1995 में प्रकाशित डॉ. राजबीर धनखड़ के एकांकी संग्रह 'बिन्धग्या सो मोती' से माना है। इस एकांकी में 'विन्धग्या सो मोती', 'अपाणे हुए पराये', 'सेवापाणी', 'आपाधापी' आदि नौ एकांकी संग्रहीत है। डॉ. लक्ष्मण सिंह ने इस एकांकी संग्रह की भूमिका में लिखा है, ''इसमें हरियाणवी संस्कृति को पूर्ण रूप से हरियाणवी भाषा में पाठकों के सम्मुख रखा गया है। ठेठ ग्रामीण परिवेश है। ..... प्रत्येक एकांकी में कोई–न–कोई समस्या उठाई गई है। ..... समाज में जो कुरीतियों और अन्धविश्वास फैला हुआ है, वही विषय उजागर किया गया है। जैसे टोने–टोटके, साधुवेशधारियों द्वारा ठगी और अन्धविश्वास का प्रसार करना, समाज में शराब के जहर का बढ़ना, सास–बहू का झगड़ा, महिलाओं में शिक्षा का अभाव आदि। इन समस्याओं को उठाकर विवेकपूर्ण समाधान निकालकर पाठकों के सम्मुख पूर्ण भोजन की थाली की भाँति परोसा गया है।''

सन् 1998 में पं. किशनचन्द्र का 'लगाम' शीर्षक से हरियाणवी भाषा में रचित एकांकी संग्रह प्रकाशित हुआ। प्रस्तुत एकांकी संग्रह में गाँव की रोजमर्रा की छोटी–छोटी समस्याओं को सटीक अभिव्यक्ति प्रदान की है। प्रस्तुत एकांकी संकलन में हरियाणवी संस्कृति को सजीवता से चित्रित किया है। श्री किशनचन्द्र की हरियाणवी भाषा पर मजबूत पकड़ है। उन्होंने हरियाणवी मुहावरों एवं लोकोक्तियों का सफल प्रयोग कर भाषा को रोचक एवं सबल बनाया है।

सन् 1998 में ही श्रीरामफल चहल का एकांकी संग्रह 'विघ्न की जड़' प्रकाशित हुआ। इस एकांकी संग्रह में नौ एकांकी संकलित हैं। श्री वर्धन कपिल ने इस एकांकी संग्रह 'विघ्न की जड़' की भूमिका में लिखा है–

''प्रस्तुत संग्रह की नौ एकांकी झलकियाँ विशेषकर हरियाणवी चिन्तन एवं परिपाटियों का भला–सा चित्रण करती हैं। नाट्य विधा के सभी तत्वों के साथ ही लोक परम्पराओं का संपुट इन रचनाओं में रूचिकर बन पाया है। मंचन एवं प्रसारण दोनों ही अवस्थाओं में यथावांछित संशोधनों के मिश्रण से इनका प्रदर्शन भली–भाँति किया जा सकता है। वैचारिक परिपक्वता एवं स्वरूप लेखक की अपनी विशिष्टता का प्रमाण है। ऐसी रचनाएं वर्तमान समय की सर्वश्रेष्ठ शैली के अंतर्गत आती हैं जहां लम्बे कथानकों के लिए पाठक, दर्शक या श्रोता के पास समय का अभाव है और उपन्यास का काम सार संक्षेप और कहानी का काम उपसंहार से चलाने की चेष्टा की जाती है।''

सन् 1999 में रघुवीर सिंह मथाना कृत 'बदलते पात्र' नामक एकांकी संग्रह प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की 'स्वर्ण जंयती' तथा 'पंचायत' हरियाणवी भाषा में रचित हैं। लेकख ने इन दोनों एकांकियों में आज के परिवेश पर करारा व्यंग्य किया है। प्रस्तुत एकांकी संग्रह पर प्रकाश डालते हुए श्री ओमप्रकाश कादयान ने लिखा है–

''लेखक ने इन एकांकियों के माध्यम से समाज में घटित हो रही अच्छी–बुरी घटनाओं, बिसंगतियों, मनुष्य के बढ़ते स्वार्थ, पैसा कमाने की लालुपता, गिरते हुए नैतिक मूल्यों, धूमिल होती मानवता का सुदर चित्रण किया है। हमारे चारों ओर के वातावरण की कटु सच्चाइयाँ, समाज के यथार्थ का चित्रण करने में लेखक सफल हुए हैं। यह पुस्तक हजमारे समाज का ऐसा आइना है जो समाज की सही तस्वीर हमारे सम्मुख रखती है। ..... संग्रह की रचनाएं पढ़ने में हल्की–फुल्की अवश्य लगती हैं, किन्तु समस्याएं बड़ी गम्भीर बनी हुई हैं। ये वे समस्याएं हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे सामने बार–बार कठिनाई बनकर आती हैं। ये समस्याएं हमारे समाज को अन्दर–ही–अन्दर खोखला कर रही हैं। इन्हीं समस्याओं को लेखक ने गंभीरता से लिया है तथा इनके विरूद्ध एक जंग लड़ने के लिए अपनी लेखनी का प्रयोग किया है।''

इन एकांकी लेखकों के अतिरिक्त डॉ. श्याम सखा 'श्याम' ने 'मुखाग्नि' एकांकी संग्रह लिखकर तथा डॉ. रणबीर सिंह दहिया ने 'कसौण' एकांकी संग्रह की रचना करके हरियाणवी एकांकी नाट्य के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इनके अतिरिक्त विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में हरियाणवी भाषा में रचित एकांकी प्रकाशित होते रहते हैं।

**(ii) प्रहसन** : 'प्रहसन' उन नाटकों का कहा जाता है, जिनमें हास्य–व्यंग्य का भाव प्रमुख रहता है। मौखिक रूप में तो हरियाणा में प्रहसन परम्परा प्राचीनकाल से चली आ रही है। प्रस्तुत नाट्य को लिखित रूप प्रदान करने का श्रेय श्री राजाराम शास्त्री को जाता है। प्रहसन के रूप में हरियाणवी भाषा में पहला संकलन सन् 1983 में 'धूलिया का पिटारा' प्रकाशित हुआ। इसके रचियता स्वयं श्री राजाराम शास्त्री ही हैं। इस संग्रह में कुल ग्यारह प्रहसन संग्रहीत हैं। इन प्रहसनों की प्रमुख विशेषता है कि इनकी कड़ियाँ परस्पर जुड़ी हैं। इन कड़ियों को जोड़ने का काम इन प्रहसनों के दो सूत्रधारों क्रमशः 'मदारी' एवं 'जमूरा' ने किया है। उदाहरर्णाथ निम्नलिखित संवाद देखिए–

**मदारी** : बोल, क्या देख रहा ?

**जमूरा** : दो भाई बैठे बातें कर रहे हैं।

**मदारी** : हाँ,ठीक देखा और क्या दिखाई दे रहा है ?

**जमूरा** : एक भाई दूसरे को मना रहा है, दूसरो अकड़ रहा है।

**मदारी** : ठीक देखा। बिल्कुल ठीक। अब देख, इन दोनों भाइयों के झगड़े की करामात। (मदारी और जमूरा दोनों नेपथ्य में जाते हैं। पर्दा खुलता है।)

**मांगेराम** : (हुक्के का कश लेते हुए) हाँ

**श्रीराम** : भई, वा, फैसला कर ले बैठ के ईख बोवण का ?

**मंगेराम** : सच्ची बात यो सै भई ! अक मैं तै ईख–वीख के चक्कर में पड़ता ना।

**श्रीराम** : अरै भई ! किम्मे अक्कल की बात कर। वा खेत खाल्ली पड़या सै, दोन्नू मिल के ईख बोवांगे तै पता सै कितना फादा होगा ?

हास्य के साथ–साथ इन प्रहसनों के माध्यम से तत्कालीन व्यवस्था पर करारो व्यंग्य भी किए गए हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित संवाद देखिए।

**न्यायाधीश** : बोलो, जो कुछ कहूंगा सच–सच कहूंगा। संच के अतिरिक्त और कुछ न कहूंगा।

**गंगाराम** : साच न बोलूंगा तो के झूठ बालूंगा।

**न्यायाधीश** : जो मैंने कहा, वही बोलो।

**गंगाराम** : मनै के जरूरत सै जी झूठ बोलने की।

**न्यायाधीश** : (थोड़ा क्रोध में) जो मैंने कहा वही कहो।

**गंगाराम** : अजी, कह तै दिया।

**वकील** : जो वे बोल रहे हैं वही बोलो।

**गंगाराम** : अर वा सब किम्मे बोल कै भी झूठ बोल दूं तैं के आड़ लाग ज्यागी आग्गै ?

इस विधा का विकास अधिक हो सका। यद्यपि इसमें लिखने की पर्याप्त गुंजाइश है। फिर भी हरियाणवी में प्रहसनो का अभाव ही है।

**(iii) झलकी/रेडियो नाटक** : हरियाणवी नाट्य–विधाओं का आरम्भ रेडियो नाटकों से ही माना जाता है। सन् 1970–80 ई. के दशक में चौ. प्रताप सिंह द्वारा लिखित रेडियो नाटक 'ताऊ–झगड़ू' हरियाणवी लोक जीवन में खूब प्रसिद्ध रहा है। इस नाटक द्वारा तत्कालीन लोक–जीवन व समाज में व्याप्त समस्याओं पर हास्य–व्यंग्य शैली में प्रभावशाली ढंग से प्रकाश डाला गया है। श्री राजाराम शास्त्री ने लगभग 300 एकांकी (हिन्दी, उर्दू व हरियाणवी भाषाओं में) इसी समय श्री दयाराम मित्तल का रेडियो नाटक 'मन्नै चाहिए टूम ठेकरी' भी बहुत चर्चित रहा है।

हरियाणवी रेडियो नाटक के विकास में श्रीमती चन्द्र मलिक का भी बहुत योगदान रहा है। उनके 'गठड़ी' एवं 'नितनेम' रेडियो नाटक हरियाणा के लोक–जीवन में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। इसी प्रकार श्री बलजीत सिंह राणा ने भी अनेक रेडियों नाटक रचकर इस विधा को समृद्ध किया है। 'पाप का पट्टा', 'पंच फैसला', 'चुटकी की करामात', 'समझौते की ओर' आदि श्री बलजीत राणा के सुप्रसिद्ध रेडियो नाटक हैं। रघुवीर सिंह मथाना कृत 'रास्ता जाम है' रेडियो नाटक भी चर्चित रहा है। श्रीरामफल शर्मा का रेडियो नाटक 'चन्द्रशेखर' भी चर्चित रहा है।

डॉ. विश्वबन्धु शर्मा का नाम भी प्रसिद्ध रेडियो नाटककारों में लिया जाता है इनके नाटक 'अपना मरण जगत की हांसी' 'महादान', 'चादर फैंक दी मनै', 'घर तै पहला शिक्षा', 'इब हमनै भी जावणा होगा', 'राखी का मूल्य', 'समय की पुकार' आदि रेडियो नाटक प्रसारित एवं प्रकाशित हो चुके हैं। डॉ. हरिश्चन्द्र वर्मा ने डॉ. विश्वबन्धु शर्मा के रेडियो नाटकों को लक्ष्य करते हुए लिखा है, ''इन झलकियों में भूत–प्रेत संबंधी अन्धविश्वास, छुआछूत, अशिक्षा, दहेज प्रथा, पुत्र–पुत्री में भेद मानने की दूषित प्रवृत्ति आदि सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार किए गए हैं। ये सभी रचनाएं सामाजिक परिवर्तन और सुधार की चेतना से अनुप्राणित हैं।''

इनके अतिरिक्त पं. द्वारिका प्रसाद रचित 'न्यू होया कृष्ण अवतार', नरेन्द्र अत्री–कृत 'वीर माता', राजबीर धनखड़ द्वारा रचित 'घर की इज्जत' तथा श्री ओमप्रकाश दहिया–कृत 'रमलु' आदि रेडियो नाटकों ने भी हरियाणवी नाट्य साहित्य के विकास में योगदान दिया है।

## 2.5 अपनी प्रगति जाँचिए

(क) (i) हरियाणवी की प्रथम कहानी कौन सी है ?

(ii) 'झाड़ू फिरी' तथा 'फफा कुट्टणी' उपन्यासों के लेखक कौन हैं ?

(iii) 'हरियाणवी' के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन है ?

(iv) 'अश्वत्थामा' महाकाव्य किस पर आधारित है ?

(v) हरियाणवी किस प्रदेश की भाषा है ?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए।

(i) आपराधिक आँकड़े कहानी के रचयिता हैं–

(क) डॉ. नानक चन्द (ख) श्री रघुवीर मथाणा

(ग) श्री मांगेराम (घ) डॉ. राजबीर धरखड़

(ii) 'लीक पुरानी मोड़ नवा' कहानी संकलन का प्रकाशन हुआ।

(क) 1980 (ख) 1994 (ग) 2004 (घ) 1995

(iii) 'सरपंचणी' शीर्षक हरियाणवी कहानी–संग्रह के रचियता है–

(क) श्री राजबीर धनखड़ (ख) श्री बलजीत राणा

(ग) श्री रघुबीर सिंह मथाना (घ) श्री राजाराम शास्त्री

(iv) डॉ. श्याम सखा 'श्याम' लेखक हैं–

(क) उपन्यास (ख) कहानी (ग) नाटक (घ) एकांकी

(v) 'माटी के स्वर' के रचनाकार हैं –

(क) तारादत्त विलक्षण (ख) कंवल हरियाणवी

(ग) जैमिनी हरियाणवी (घ) भारत भूषण सांधीवाला

## 2.6 सारांश

- आधुनिक हरियाणवी कवियों ने समाज का यथार्थ चित्रण किया हैं। उन्होंने अपने काव्य में समाज के अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। कविताओं के माध्यम से समाज को जागृत करने का प्रयास किया।

- आधुनिक हरियाणवी कविता में राष्ट्रीय एकता एवं देश–प्रेम की भावना के भी दिग्दर्शन होते हैं। अनेक कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से देश को जागृत करने के लिए स्वाधीनता आंदलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

- आधुनिक हरियाणवी कविता में ईशवन्दना व प्रभु भवित की भावना भी निरन्तर व्यक्त होती रही है। आधुनिक हरियाणवी कविता में में हर प्रकार के शोषण का कड़ा खण्डन किया गया है।

- हरियाणवी कवियों ने सुख–दुख की अनुभूति का चित्रण कर धैर्य से काम लेने पर बल दिया है। उन्होंने साम्प्रदायिकता का विरोध किया है।

- हरियाणवी कविता में हास्य–व्यंग्य की भावना का भी चित्रण है। हरियाणवी कविता का भाव पक्ष समृद्ध एवं विशद हैं वहीं अभिव्यक्ति पक्ष अथवा भाषा शैली भी भावाभिव्यंजना में पूर्णतः सक्षम है।

- हरियाणवी में अब तक कुल तीन उपन्यास लिखे गए हैं। ये तीन हैं– 'झाडू फिरी', 'फफमा कुटणी' तथा 'समझणिए की मर'। 'झाडू फिरी' 'फफा कुटणी' दानों उपन्यास सामाजिक उपन्यास हैं। जहां तक भाषा का प्रश्न है, शास्त्री जी ने ठेठ हरियाणवी का प्रयोग किया है। यथा–स्थान हरियाणवी मुहावरों व लोकोक्तियों का सुन्दर प्रयोग किया है।

- हरियाणवी भाषा का तीसरा उपन्यास 'समझनिए की मर' 2003 में प्रकाशित हुआ है। इस उपन्यास के रचयिता श्री श्याम सखा 'श्याम' है।

- हरियाणा के मूर्धन्य साहित्यकार माधक प्रसाद मिश्र द्वारा रचित 'लड़की की बहादुरी शीर्षक कहानी हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी है। इस कहानी के वर्णित विषय सामाजिक है।

- 'डाकी डाभखाना' हरियाणवी भाषा में रचित दूसरी कहानी है। यह कहानी हास्य एवं विनोद से परिपूर्ण है। इसमें हरियाणा के लोक जीवन की विनोद प्रियता की भावना को उजागर किया गया है।

- ''आपराधिक आँकड़ें' 'लीक पुरानी मोड़ नवा' सरपंचणी और 'स्याणपत' कहानियों का भी हरियाणवी कहानियों में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

- हरियाणवी भाषा में दृश्य नाट्य तथा श्रव्य नाट्य दोनों प्रकार का साहित्य रचा गया। हरियाणवी नाट्य साहित्य के अन्तर्गत एकांकी, प्रहसन, झलकी, आदि रचे गए। इनके द्वारा लेखकों ने गाँव की रोजमर्रा की छोटी–छोटी समस्याओं की स्टीक अभिव्यक्ति दी है। लेखकों ने इन विधाओं को द्वारा आज के बदलते परिवेश की समस्याओं का व्यंगात्मक शैली में प्रभावशाली ढंग से चित्रण किया है।

## 2.7 शब्दावली

| | | |
|---|---|---|
| अभिनन्दन | : | स्वागत |
| इतोहड़ | : | उतोहड़ |
| ढल्या | : | ढलना |
| आंदा | : | आना |
| बूझदा | : | बूझना, पता लगाना |
| पीदें–पींदे | : | पीते – पीते |
| हंसण | : | हंसना |
| दुफारा | : | दोपहर |
| के होया | : | क्या हुआ |
| परिपाटियाँ | : | परम्पराएं |
| प्रहसन | : | हास्य–व्यंग्य से परिपूर्ण नाटक |

## 2.8 स्वयं मूल्यांकन परीक्षा

(i) हरियाणवी कविताओं की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ?

(ii) 'झाड़ू फिरी' उपन्यास के कथानक का परिचय सार रूप में लिखिए।

(iii) 'लड़की की बहादुरी' कहानी की विषय वस्तु पर प्रकार डालिए।

(iv) हरियाणवी साहित्यकार रघुवीर सिंह मथाना का जीवन परिचय सार रूप में लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए।

(v) 'लड़की की बहादुरी' कहानी की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए।

(vi) हरियाणवी साहित्यकार रघुवीर सिंहमथाना का जीवन परिचय सार रूप में लिखते हुए हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए।

(vii) हरियाणवी नाट्य साहित्य की विवेचना कीजिए।

## 2.9 प्रगति समीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर देखें

(क) (i) श्री माधव प्रसाद मिश्र (ii) श्री रामा राम शास्त्री

(iii) डॉ. शमीरा शर्मा (iv) महाभारत के सौप्तिक पर्व पर

(v) हरियाणा

(ख) (i) (ख) श्री रघुवीर मयाना (ii) (घ) 1995 (iii) (क) श्री राजबीर धनखड़

(iv) (क) उपन्यास (v) (ग) जैमिनी हरियाणवी

## 2.10 संदर्भ ग्रन्थ


1. डॉ. हरिश्चन्द्र वर्मा — हिन्दी साहित्य का इतिहास
2. (संपा) डॉ. जयभगवान गोयल — हरियाणवी साहित्य सम्पदा
3. डॉ. पूर्णचन्द शर्मा — हरियाणवी साहित्य और संस्कृति
4. डॉ. राजबीर सिंह धनखड़ — हरियाणा साहित्य का इतिहास
5. (संपा) डॉ. रामपत यादव — भारत भूषण सांघीवाला हरियाणवी काव्य ग्रन्थावली।

## Subject: Hindi Compulsory

| Course Code : BA 302 | Author : Vibha Malik |
|---|---|
| अध्याय संख्या : 3 | |
| संक्षेपण और पल्लवन | |

अध्याय की संरचना

3.1 अधिगम उद्देश्य

3.2 परिचय

3.3 अध्याय के मुख्य बिन्दु

3.3.1 संक्षेपण का अर्थ

3.3.2 संक्षेपण और सार लेखन में अन्तर

3.3.3 संक्षेपण की प्रक्रिया

3.3.4 संक्षेपण के भेद

(i) स्वतंत्र विषयक संक्षेपण

(ii) पत्र व्यवहार विषयक संक्षेपण

(क) निरन्तर विधि से संक्षेपण

(ख) सारणीबद्ध संक्षेपण

3.3.5 संक्षेपण की विशेषताएं

(i) संक्षिप्तता

(ii) भाषा

(iii) पूर्णता

(iv) क्रमबद्धता

(v) मौलिकता

3.3.6 कार्यालय में संक्षेपण लेखन

3.4 पाठ के आगे का भाग

3.4.1 पल्लवन

3.4.2 पल्लवन की परिभाषा

3.4.3 पल्लवन की प्रक्रिया

3.4.4 पल्लवन के तत्व

3.4.5 पल्लवन के समानार्थी शब्द

3.4.6 पल्लवनः महत्त्व और उपयोगिता

3.4.7 पल्लवन का उदाहरण

3.5 अपनी प्रगति जांचिए

3.6 सारांश

3.7 शब्दावली

3.8 स्वमूल्यांकन परीक्षा

3.9 प्रगति समीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर देंखे

3.10 संदर्भ ग्रंथ

## 3.1 अधिगम उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के बाद निम्न में सक्षम हो सकेंगे–

- संक्षेपण क्रिया को समझेंगे।
- संक्षेपण के प्रकारों को जानना।
- पल्लवन के महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं को पहचानना।

## 3.2 परिचय

इस अध्याय में संक्षेपण और पल्लवन के सम्बन्ध में चर्चा ही गई है। प्रयोजनमूलक हिन्दी में संक्षेपण प्रक्रिया का अत्यधिक महत्त्व है। आज मानव जीवन की दिनचर्या व गति अत्यधिक तीव्र होती जा रही है। इसलिए आज मानव को अपने भावों को लिखित रूप से अभिव्यक्ति करने के लिए सीमिति शब्दों के प्रयोग में सिद्धहस्त होने की जरूरत है जिससे वह कम शब्दों में अपने मन्तव्य को स्पष्ट कर सके। इसलिए आज लेखन में संक्षेपण की आवश्यकता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज के व्यस्त जीवन में अधिकारियों के पास इतना समय नहीं बड़े–बड़े पत्रों, विवरणों अथा वक्तव्यों को गहराई से पढ़कर उसके गंतव्य को समझ कर उचित निर्णय ले सकें। व्यस्त जीवन में उनके लिए यह कार्य असम्भव है। समय की कमी को देखते हुए कार्यालयों में पत्र–व्यवहार आदि का संक्षेपण किया जाता है। किसी पत्र, वक्तव्य, आख्यान आदि के अनावश्यक बिन्दुओं को छोड़ते हुए मुख्य बिन्दुओं को समावेशित कर एक संक्षिप्त लेख तैयार किया जाता है। इसके विपरित पल्लवन में किसी शब्द, सूक्ति, दृष्टांतों आदि को विस्तार दिया जाता है। इस अध्याय में हम इन्हीं दोनों संक्षेपण और पल्लवन की चर्चा करेंगे।

## 3.3 अध्याय के मुख्य बिन्दु

### 3.3.1 संक्षेपण का अर्थ

संक्षेपण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी लेख, भाषण, विवरण आदि के मूलभाव को सुरक्षित रखते हुए अनावश्यक बिन्दुओं, तथ्यों का परिहार कर सुनियोजित ढंग से अन्तर्निर्हत उद्देश्य को प्रस्तुत किया जाता है। वस्तुतः किसी लेख, प्रतिवेदन आख्यान, लंबे पत्र, विस्तृत विवरण, आदि के तथ्यों का सुनियोजित ढंग से कम से कम शब्दों में प्रस्तुतीकरण ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण को सार लेखन संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त लेखन, सारांश लेखन आदि से भी अभिहित किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में संक्षेपण को Precis कहा जाता है और बोलचाल भाषा में Summary प्रचलित है।

संक्षेपण का सामान्य अर्थ है– किसी कथन अथवा लिखित भाव को सम्पूर्ण एवं सार रूप में प्रस्तुत करना। संक्षेपण शब्द की व्युत्पत्ति–सम्+क्षिप्+ल्युट+अन् के योग से हुई है। हिन्दी भाषा में यह संस्कृत मूल भाषा से आया है। यह संस्कृति की 'क्षिप धातु, में सम् उपसर्ग और ल्युट प्रत्यय जोड़ने से बना है। जिसका अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करके प्रस्तुत करना।

किसी विस्तार से लिखे गए विषय मामले अथवा प्रतिवेदन आदि को संक्षेप में लिखकर प्रस्तुत कर देना संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण में मूल विषय–वस्तु या कथ्य सम्बन्धित मुख्य विचारों तथा तथ्यों को ही प्राथमिकता एवं महत्ता दी जाती है। इनमें कथ्य के अनावश्यक, अप्रासंगिक अंशों, संदर्भों, तर्क–वितर्क आदि को हटा कर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मूल विचार, तथ्य और भावों को रखा जाता है। डॉ. नरेश मिश्र ने संक्षेपण की परिभाषा देते हुए लिखा है–

''संक्षेपण वास्तव में कम से कम शब्दों में लिखी गई स्वतः पूर्ण रचना होती है। संक्षेपण में पाठ के सभी तथ्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है।''

संक्षेपण अर्थात् सार–लेखन भी एक कला है और अध्ययन, अनुशीलन से उसे प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालयी कामकाज ही नहीं अपितु दैनदिन जीवन में भी संक्षेपण कला का अत्यधिक उपयोग है। संक्षेपण को मानसिक प्रशिक्षण भी कहा गया है जिससे लेखन में स्पष्टता, सरलता तथा प्रभावशीलता पैदा होती है। संक्षेपण से अनेक लाभ हो सकते हैं, जैसे–

(अ) संक्षेपण से विचारों की एकाग्रता एवं दृढ़ता का विकास होता है।

(आ) इससे शब्द मितव्ययिता आदि की क्षमता बढ़ती है।

(इ) इसमें मानसिक चिंतन, मनन तथा विचारों से स्पष्टता आती है।

(ई) सार–लेखन से विश्लेषण शक्ति का विकास होकर अभिव्यक्ति प्रभावशाली तथा घनीभूत बनती है।

(उ) संक्षेपण लेखन से ग्रहण शक्ति तथा अभिव्यक्ति शक्ति का विकास होता है।

### 3.3.2 संक्षेपण और सार लेखन में अंतर

सार लेखन एवं संक्षेपण के सूक्ष्म अंतर को जानकर ही संक्षेपण को समझा जा सकता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये दोनों शब्द पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं परन्तु कार्यालयीन हिंदी के संदर्भ में इन दोनों में अंतर है।

सार लिखते समय लेखक सभी महत्त्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा केवल उस मूल तथ्य केन्द्रक को प्रस्तुत करता है जिसके चारों ओर मूल विवरण अथवा पत्र का विकास होता है जबकि संक्षेपण में पत्र अथवा विवरण के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण तथ्य को क्रमबद्ध एवं सुनियोजित ढंग से अपनी भाषा में संक्षिप्त करके लिखा जाता है जिसमें संबंध अधिकारी या व्यक्ति उस पूरे पत्र अथवा विवरण आदि के तथ्यों के बारे में कम समय में ही पूरी जानकारी प्राप्त कर ले तथा उसे मूल पत्र अथवा विवरण आदि पढ़ने की आवश्यकता ही न हो। सार ऐसा नहीं है उसमें मूल तथ्य की सूचना होती है संबंध व्यक्ति पूरा विवरण पढ़ने के लिए बाध्य होता है।

वस्तुतः संक्षेपण अथवा संक्षिप्त लेखन में लेखक समस्त महत्त्वपूर्ण तथ्यों को संक्षिप्त एवं सुगठित भाषा तथा व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें मूल विषय से संबंध विचारों को ही महत्त्व दिया जाता है। अनावश्यक बातें जोर डालने के लिए दोहराइए गए वाक्य, संदर्भ तर्क–वितर्क आदि का उल्लेख न करके केवल मूल कथ्य अथवा विचार को ही प्रस्तुत किया जाता है।

### 3.3.3 संक्षेपण की प्रक्रिया

संक्षेपण करना अथवा सार लेखन एक कला है। संक्षेपण को सुचारू रूप से तैयार करने व उसे आदर्श बनाने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह महत्त्वपूर्ण बातें निम्नाकिंत हैं–

1. संक्षेपण करते समय सर्वप्रथम मूल अनुच्छेद या विषय–वस्तु को दो–तीन बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। इससे मूल अनुच्छेद या भावार्थ समझ में आ जाऐगा। तब तक सार–लेखन की शुरूआत नहीं करनी चाहिए जब तक कि मूल विषय का भावार्थ समझ में न आ जाऐ।
2. मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद महत्त्वपूर्ण तथ्यों, बातों तथा विचारों को रेखाकिंत कर लिया जाना चाहिए। रेखाकंन करते समय मूल विषय से सम्बन्धित कोई भी महत्त्वपूर्ण अंश नहीं छूटना चाहिए।
3. इसके बाद मूल में व्यक्त किये गए विचारों, भावों तथा तथ्यों को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए।
4. मूल अनुच्छेद का एक–तिहाई में संक्षेपण करना चाहिए। इसमें संक्षेपक को अपनी ओर से कोई भी तर्क–विर्तक करने तथा किसी अतिरिक्त अंश को जोड़ने की अनुमति या छूट नहीं होती।
5. संक्षेपण को अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व उसका पहले कच्चा रूप तैयार कर लिया जाना चाहिए और अच्छी तरक देख लिया जाना चाहिए कि सभी महत्त्वपूर्ण बातों का अंतर्भाव उसमें हो चुका है।
6. संक्षेपण तैयार करते समय मूल अनुच्छेद में वर्णित या उल्लिखित कहावतें, मुहावरे, वाक–प्रचार तथा अलंकार आदि को हटा लेना चाहिए।
7. सामान्यतः संक्षेपण मूल अनुच्छेद का एक–तिहाई होना चाहिए।
8. संक्षेपण तैयार करने के बाद उसके लिए सुयोग्य शीर्षक का चयन किया जाना चाहिए। संक्षेपण का शीर्षक अत्यंत सार्थक, संक्षिप्त, आकर्षक तथा विषयवस्तु से सुसंगत होना चाहिए।

वस्तुतः एक अच्छे संक्षेपण के लिए उपरोक्त बातो का होना आवश्यक है। क्योंकि संक्षेपण सम्पूर्ण मसौदे, पत्र, विस्तृत विवरण का सार है जो कम शब्दों में सम्पूर्ण भाव को स्पष्ट करता है।

## संक्षेपण की आवश्यकता एवं उपयोगिता

समय की बचत करने की आवश्यकता और विवशता जितनी आज अनुभव की जा रही है उतनी शायद पहले कभी नहीं की गई थी। इस मशीनी युग ने मानव को भी मशीन बना दिया है इस व्यस्त जीवन में इतना अवकाश किसके पास है कि वह किसी विस्तृत लेख को पढ़ने बैठे, आज का मनुष्य चाहता है कि जो कुछ कहना सुनना हो वह शीघ्र और संक्षेप में कह सुन लिया जाए। इस विज्ञान युग में विज्ञान ने इस युग को अर्थ प्रधान बना दिया है। सम्पूर्ण मानव जाति धन उपार्जान के पीछे पूरी शक्ति के साथ भाग रही है। विज्ञान ने उनके पांव में पंख लगा दिया हैं। पर इस गति त्वरित कार और त्वरित फल मानव जीवन का मूल मंत्र बन गया है। आज मनुष्य के

पास इतना समय नहीं कि वह कहीं विश्राम कर बड़े से विषय को पढ़कर आनन्द ले सके। उसे चाहिए छोटी रचना यह किसी रचना का संक्षिप्त रूप बस इतना ही समय उसके पास है। इसलिए आज वृहद उपन्यासों के संस्करण प्रकाशित होने लगे हैं कविताएं लघु कतिवा के रूप में और कहानी छोटी कहानी रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए है।

आज जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां संक्षेपण को आवश्यक और उपयोगी ना माना जा रहा हो क्योंकि हर क्षेत्र में द्वारा की प्रवृत्ति काम कर रही हैं उदाहरण के लिए कार्यालय कामकाज में आज संक्षेपण के बिना काम नहीं चल रहा है अधिकारीयों का संक्षेपण के बिना काम नहीं चल सकता अधिकारियों को बाद यदि विविध समस्याओं के बारे में तुरन्त जानकारी चाहिए तो संक्षेपण ही एकमात्र पथ है संक्षेपण ही तुरन्त निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होता है । संक्षेपण पत्रकारिता का तो अनिवार्य अंग है कोई सफल और कुशल पत्रकार संक्षेपण के बिना समाचार संकलन नहीं कर सकता किसी नेता का भाषण हो, कहीं कोई दुर्घटना घटी हो कहीं कोई उल्लेखनीय समारोह, सम्मेलन या गोष्ठी हो उसकी संपूर्ण गतिविधियों को ज्यों का त्यों प्रकाशित करने का दुस्साहस शायद ही कोई पत्रकार कर सकता है ऐसा करने पर उसे शीघ्र ही पाठक संख्या कम होने का जोखिम उठाना पड़ेगा और एक दिन समाचार पत्र का प्रकाशन बंद होने की पूरी संभावना हो जाएगी। इसलिए हर दृष्टि से संक्षेपण की जानकारी और अभ्यास बहुत आवश्यक हो गया है। संक्षेपण को आज के युग में सफलता की कुंजी भी कहा जाता है।

### 3.3.4 संक्षेपण के भेद

**(i) स्वतंत्र विषयक संक्षेपण** : इसके अन्तर्गत साहित्य, अध्यात्म, दर्शन, राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, विज्ञान अथवा किसी संस्मरण कहानी, भाषण, नाटक, निबंध आदि के अवतरण का कुल शब्दों के एक तिहाई शब्दों में संक्षेपण किया जा सकता है।

**(ii) पत्र व्यवहार विषयक संक्षेपण** : इसके अन्तर्गत व्यावसायिक अथवा प्रशासनिक पत्र का संक्षेपण एक तिहाई शब्दों में बिना शीर्षक निरन्तर/प्रभाव संक्षेपण अथवा सारणीबद्ध तालिका संक्षेपण के रूप में किया जाता है।

### (क) निरन्तर विधि से संक्षेपण

किसी लेख, भाषण, आख्या आदि का संक्षेपण निरन्त विधि से ही किया जाता है। निरन्तर विधि से यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संक्षेपण मूलक अंश का एक तिहाई ही हो तथा उसमें लेख अथवा भाषण आदि उदधृत सभी आवश्यक बातों का सार हो। कभी–कभी ऐसा भी होता है कि सरकारी कार्यालयों में एक ही विषय पर अनेक

पत्र आते हैं। उन्हें अधिकारी के समक्ष अलग–अलग प्रस्तुत करने में समय लगता है। अतः उन सभी पात्रों में व्यक्त आवश्यक तथ्यों का निरंतर में संक्षेपण कर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाता है।

यदि आवश्यक न हो तो किसी अधिकारी विशेष को संबोधित करने की अपेक्षा निरंतर अनुकथन करते हुए लेख को आवश्यकतानुसार पैराग्राफों में विभक्त कर दिया जाता है।

**उदाहरण**

इस उदाहरण में प्रथम पत्र बुलन्दशहर के जिलाधीश द्वारा उत्तर प्रदेश के उपसचिव को संबोधित है तथा दूसरा पत्र उत्तर प्रदेश के उपसविच द्वारा बुलन्दशहर के जिलाधीश को प्रेषित प्रथम पत्र का उत्तर है।

**पहला पत्र**

जिलाधीश बुलन्दशहर द्वारा उपसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, न्याय अनुभाग–1, लखनऊ को सम्बोधित पत्र संख्या 1526/1980 दिनांक 19 अगस्त 1980।

महोदय,

मुझे यह निवेदन करना है कि बुलन्दशहर के नगर क्षेत्र में आवासों की अत्यन्त ही दुर्लभता है और जो भी आवास किराये के लिए उपलब्ध है, उनके दर गृह स्वामियों द्वारा अन्यन्त ही बढ़े हुए रूप से निर्धारित किये गये हैं। शासन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार चूंकि जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिलाधीश के न्यायालयों को बुलन्दशहर में स्थापित किया जाता है, न केवल न्यायालयों के लिए किराये पर आवास उपलब्ध कराना कठिन होगा, अपितु न्यायालय के सरकारी कर्मचारियों को भी उचित किरायों पर आवास उपलब्ध कराये जाने में कठिनाई होगी।

1. अतः मामले में उक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जनपद से सत्र न्यायाधीश, कलेक्ट्रेट तथा अन्य स्थानीय सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों को यह परामर्श दिया जा रहा है कि वे एक गृह निर्माण सोसाइटी की स्थापना मिलजुलकर कर लें तथा इसका नाम बुलन्दशहर सरकारी कर्मचारी सहकारी आवसीय समिति देते हुए, इसे 1912 के अधिनियम संख्या 2 के अधीन पंजीकृत भी करा लें। कर्मचारियों ने इस परामर्श के अनुसार कार्यवाही आरम्भ कर दी तथा उन्होंने यह अनुरोध किया है कि उन्हें मोहल्ला रामनगर में 10.6 एकड़ का एक भूखण्ड शासन द्वारा आवासीय योजना हेतु अधिग्रहण करते हुए उपलब्ध करा दिया जाये। जिसका कि मूल्य समिति की ओर से दिया जायेगा। उक्त भूखण्ड परस्तर व्यक्तिगत वार्ता द्वारा क्रय किया जाना सम्भव नहीं हो रहा है।

उक्त परिस्थितियों में मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि शासन की ओर से उक्त भूखण्ड के अधिग्रहण हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4 सपिठत धारा 6 के अधीन आवश्यक विज्ञप्तियाँ शासन द्वारा यथाशीघ्र जारी कर दी जायें। अधिग्रहण अन्तिम रूप से होने के पश्चात् यह भूखण्ड आवश्यक लागत की वसूली करते हुए समिति को सौंप दी जायेगी। तत्पश्चात् उक्त समिति इस भूखण्ड पर अपने सदस्यों हेतु आवश्यक मकानों का निर्माण कर सकेगी और इस प्रकार से उनकी आवासीय कठिनाइयों का समुचित निराकरण हो सकेगा। आलेख्य विज्ञप्तियाँ एवं भूखण्ड से सम्बन्धित विवरण एवं 'साइट प्लान' आदि शासन के अवलोकनार्थ संलग्न है।

## दूसरा पत्र

उपसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, न्याय अनुभाग–1, लखनऊ द्वारा बुलन्दशहर को सम्बोधित पत्र सं. 1926/1980 दिनांक 30 नवम्बर, 1980।

महोदय,

बुलन्दशहर में आवासीय भूखण्ड के अधिग्रहण विषयक आपके पत्र संख्या 1526/1910 दिनांक 19 अगस्त, 1980 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि आप द्वारा प्रेषित बुलन्दशहर सरकारी कर्मचारी सहकारी आवास समिति का प्रार्थना पत्र, जिसमें उन्होंने बुलन्दशहर स्थित भूखण्ड के अधिग्रहण हेतु अनुरोध किया है, वह विधि के अनुसार एक उचित प्रस्ताव नहीं प्रतीत होता।

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित किया जाता है कि शासन को यह परामर्श दिया गया है कि भूमि अध्याप्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति विशेष के स्वामित्व में उपलब्ध किसी भूमि को सार्वजनिक हित में किसी प्रकार से गठित सहकारी समिति के उपयोगार्थ अध्यापित नहीं की जा सकती है। यह कहना एक भ्रामक आधार होगा कि समिति के सदस्यों द्वारा जो आवास बनाये जायेंगे वह सार्वजनिक हित में होंगे। अतः शासन को खेद है कि कथित भूमि को विधि द्वारा शासन की ओर से अध्यात्मिक करते हुए उक्त घटित संघ को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अतः समिति द्वारा स्वयं सीधे भूखण्ड के स्वामी से व्यक्तिगत प्रयास एवं वार्ता के आधार पर उचित दरों पर भूमि को क्रय किए जाने प्रयास किया जाना चाहिए और इस संबंध में सीधे शासन के किसी विभाग द्वारा वार्ता में सहायता दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

3. किन्तु फिर भी यही किन्हीं कारणों से उक्त गठित समिति द्वारा उक्त भूखण्ड को आपसी वार्ता के आधार पर क्रय किए जाने में असफलता प्राप्त होती है तो यह उचित होगा कि सरकार द्वारा स्वयं इस भूमि को सरकारी कर्मचारियों की गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत अध्यापन कर लिया जाए और तत्पश्चात् आवश्यक

भूखण्ड को समिति के सदस्यों को शासन द्वारा पट्टे पर आंबटित किया जाए। अतः आप कृपया तद्नुसार मामले में विचार करते हुए आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करें और यदि अवाश्यक हो तो शासन को इस सम्बन्ध में पुनः अपना यथायोचित प्रस्ताव यथासमय भेजने का कष्ट करें।

आइये, अब उपर्युक्त पत्र व्यवहार का निरन्तर अनुकथन विधि से किया गया संक्षेपण देखें।

## संक्षेपण

जिलाधीश बुलन्दशहर द्वारा 19 अगस्त 1980 के उपसचिव उत्तर प्रदेश शासन, न्याय–अनुभाग–1, लखनऊ को संबोधिंत अपने पत्र में यह प्रस्ताव किया गया चूंकि बुलंदशहर के नगर क्षेत्र में जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिलाधीशों के न्यायालयों हेतु आवास उपलब्ध नहीं है और साथ ही इन न्यायालयों के बुलन्दशहर हस्तान्तरण होने के कारण संबंधित कर्मचारियों के लिए भी उचित किरायों का आवास उपलब्ध कराया जाना नहीं है। इन कठिनाईयों के निवारण हेतु कर्मचारियों द्वारा यह विकल्प सोचना है कि इस संबंध में शासन किसी उपयुक्त भूखण्ड का अधिग्रहण करें।

जिलाधीश ने शासन को यह सूचित किया है कि बुलन्दशहर के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों ने एक गृह निर्माण समिति पंजीकृत करा ली है तथा उन्होंने मोहल्ला रामनगर 10.6 एकड़ के एक भूखण्ड को शासन के माध्यम से विधि के अनुसार अधिग्रहण करके उन्हें उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है क्योंकि परस्पर व्यक्तिगत वार्ता द्वारा भूमि खरीदी जानी संभव नहीं है।

तदनुसार जिलाधीश ने उक्त भूखण्ड का विवरण देते हुए शासन से अनुरोध किया है कि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4 सपठित धारा 6 के अधीन आवश्यक शासकीय विज्ञप्तियां जारी कर दी जाऐं।

किन्तु उत्तर प्रदेश शासन, न्याय अनुभाग–1 ने जिलाधीश बुलन्दशहर को अपने पत्र दिनांक 30.11.1980 में यह सूचित किया है कि चूंकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी वैयक्तिक स्वामित्व में उपलब्ध किसी भूखण्ड का अधिग्रहण सार्वजनिक प्रयोजनों से किसी पंजीकृत सहकारी समिति के निमित्त नहीं की जा सकती है। अतः शासन द्वारा जिलाधीश का उक्त प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। अतः शासन ने जिलाधीश को यह परामर्श दिया कि समिति द्वारा उक्त भूखण्ड या तो परस्पर् व्यक्तिगत वार्ता द्वारा क्रम कर लिया जाए अथवा शासन द्वारा स्वयं भूखण्ड को सरकारी कर्मचारियों की गृह निर्माण योजना के अंतर्गत अधिग्रहीत करें और उसे भूखण्डों में विभाजित करते हुए समिति के सदस्यों को पट्टे को दरों पर आबंटित करें।

## सारणीबद्ध संक्षेपण

सारणीबद्ध संक्षेपण में प्रायः कार्यालयों में प्राप्त आवेदन पत्रों या अन्य अनेक प्रकार के पत्रों की या विषय वस्तु का एक तथ्यात्मक सारिणी बनाकर जब एक ही विषय पर अनेक पत्र या उत्तर प्राप्त होते हैं तब संक्षेपण कि

लिए सारणीबद्ध तरीके से संक्षेपण किया जाता है जब एक अधिकारी एक ही विषय पर दूसरे विभागों के अधिकारियों को पत्र लिख तथा उस विषय पर उनके उत्तर प्राप्त होने पर संबंध अधिकारी द्वारा समय सीमा को ध्यान में रखते हुए उतना संक्षिप्त प्रस्तुत किया जाए क्योंकि संक्षेपण को सारणीबद्ध विधि में सभी पत्रों की क्रम संख्या देते हुए प्रेषित और प्रेषिती के नाम का उल्लेख किया जाता है तथा अन्य विषय की संक्षिप्त सामग्री रखी जाती है जिससे प्रत्येक शीर्षक को पढ़कर तुरंत ही अधिकारी पत्र के विषय का आशय समझ जाता है। सारणीबद्ध संक्षेपण में सारणी का प्रारूप इस प्रकार का होता है।

| क्रम संख्या | पत्र संख्या | दिनांक | प्रेषक का नाम और पता | प्रेषित का नाम और पता | विषय का संक्षिप्त रूप |
|---|---|---|---|---|---|

केवल पत्रों का ही नहीं अपितु लेखों और वक्तव्यों का भी संक्षेपण सारणीबद्ध तरीके से किया जाता है।

जिस पत्र व्यवहार के उदाहरण के रूप में हमने संक्षेपण के निरन्तर अथवा प्रवाह विधि में देखा था उसे ही पुनः देखें तथा उसका सारणीबद्ध विधि से संक्षेपण करें।

**पहला पत्र**

जिलाधीश बुलन्दशहर द्वारा उपसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, न्याय अनुभाग–1, लखनऊ को सम्बोधित पत्र संख्या 1526/1980 दिनांक 19 अगस्त 1980।

महोदय,

मुझे यह निवेदन करना है कि बुलन्दशहर के नगर क्षेत्र में आवासों की अत्यन्त ही दुर्लभता है और जो भी आवास किराये के लिए उपलब्ध है, उनके दर गृह स्वामियों द्वारा अन्यन्त ही बढ़े हुए रूप से निर्धारित किये गये हैं। शासन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार चूंकि जिलाधीश एवं अतिरिक्त जिलाधीश के न्यायालयों को बुलन्दशहर में स्थापित किया जाता है, न केवल न्यायालयों के लिए किराये पर आवास उपलब्ध कराना कठिन होगा, अपितु न्यायालय के सरकारी कर्मचारियों को भी उचित किरायों पर आवास उपलब्ध कराये जाने में कठिनाई होगी।

1. अतः मामले में उक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जनपद से सत्र न्यायाधीश, कलेक्ट्रेट तथा अन्य स्थानीय सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों को यह परामर्श दिया जा रहा है कि वे एक गृह निर्माण सोसाइटी की स्थापना मिलजुलकर कर लें तथा इसका नाम बुलन्दशहर सरकारी कर्मचारी सहकारी आवसीय समिति देते हुए, इसे 1912 के अधिनियम संख्या 2 के अधीन पंजीकृत भी करा लें। कर्मचारियों ने इस परामर्श के अनुसार कार्यवाही आरम्भ कर दी तथा उन्होंने यह अनुरोध किया है कि उन्हें मोहल्ला रामनगर में 10.6 एकड़ का एक भूखण्ड शासन द्वारा आवासीय योजना हेतु अधिग्रहण करते हुए उपलब्ध

करा दिया जाये। जिसका कि मूल्य समिति की ओर से दिया जायेगा। उक्त भूखण्ड परस्तर व्यक्तिगत वार्ता द्वारा क्रय किया जाना सम्भव नहीं हो रहा है।

उक्त परिस्थितियों में मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि शासन की ओर से उक्त भूखण्ड के अधिग्रहण हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4 सपिठत धारा 6 के अधीन आवश्यक विज्ञप्तियाँ शासन द्वारा यथाशीघ्र जारी कर दी जायें। अधिग्रहण अन्तिम रूप से होने के पश्चात् यह भूखण्ड आवश्यक लागत की वसूली करते हुए समिति को सौंप दी जायेगी। तत्पश्चात् उक्त समिति इस भूखण्ड पर अपने सदस्यों हेतु आवश्यक मकानों का निर्माण कर सकेगी और इस प्रकार से उनकी आवासीय कठिनाइयों का समुचित निराकरण हो सकेगा। आलेख्य विज्ञप्तियाँ एवं भूखण्ड से सम्बन्धित विवरण एवं 'साइट प्लान' आदि शासन के अवलोकनार्थ संलग्न है।

## दूसरा पत्र

उपसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, न्याय अनुभाग–1, लखनऊ द्वारा बुलन्दशहर को सम्बोधित पत्र सं. 1926/1980 दिनांक 30 नवम्बर, 1980।

महोदय,

बुलन्दशहर में आवासीय भूखण्ड के अधिग्रहण विषयक आपके पत्र संख्या 1526/1910 दिनांक 19 अगस्त, 1980 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा प्रेषित बुलन्दशहर सरकारी कर्मचारी सहकारी आवास समिति का प्रार्थना पत्र, जिसमें उन्होंने बुलन्दशहर स्थित भूखण्ड के अधिग्रहण हेतु अनुरोध किया है, वह विधि के अनुसार एक उचित प्रस्ताव नहीं प्रतीत होता।

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित किया जाता है कि शासन को यह परामर्श दिया गया है कि भूमि अध्याप्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति विशेष के स्वामित्व में उपलब्ध किसी भूमि को सार्वजनिक हित में किसी प्रकार से गठित सहकारी समिति के उपयोगार्थ अध्यापित नहीं की जा सकती है। यह कहना एक भ्रामक आधार होगा कि समिति के सदस्यों द्वारा जो आवास बनाये जायेंगे वह सार्वजनिक हित में होंगे। अतः शासन को खेद है कि कथित भूमि को विधि द्वारा शासन की ओर से अध्यात्मिक करते हुए उक्त घटित संघ को उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अतः समिति द्वारा स्वयं सीधे भूखण्ड के स्वामी से व्यक्तिगत प्रयास एवं वार्ता के आधार पर उचित दरों पर भूमि को क्रय किए जाने प्रयास किया जाना चाहिए और इस संबंध में सीधे शासन के किसी विभाग द्वारा वार्ता में सहायता दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

3. किन्तु फिर भी यही किन्हीं कारणों से उक्त गठित समिति द्वारा उक्त भूखण्ड को आपसी वार्ता के आधार पर क्रय किए जाने में असफलता प्राप्त होती है तो यह उचित होगा कि सरकार द्वारा स्वयं इस भूमि को

सरकारी कर्मचारियों की गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत अध्यापन कर लिया जाए और तत्पश्चात् आवश्यक भूखण्ड को समिति के सदस्यों को शासन द्वारा पट्टे पर आंबटित किया जाए। अतः आप कृपया तद्नुसार मामले में विचार करते हुए आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करें और यदि अवाश्यक हो तो शासन को इस सम्बन्ध में पुनः अपना यथायोचित प्रस्ताव यथासमय भेजने का कष्ट करें।

आइये, अब उपर्युक्त पत्र व्यवहार का निरन्तर अनुकथन विधि से किया गया संक्षेपण देखें।

| क्रम संख्या | पत्र संख्या | तिथि | कहां से कहां को प्राप्त | संक्षिप्त विषय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1526 / 1980 | 19.08.1980 | जिलाधीश बुलन्दशहर से उपसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, न्याय अनुभाग–1, लखनऊ को। | प्रार्थना करते हुए कि कर्मचारियों की सहकारी समिति के लिए एक भूखण्ड का अधिग्रहण शासन द्वारा किया जाऐ। |
| 2. | 1926 / 1980 | 20.11.1980 | उपसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, न्याय अनुभाग–1, लखनऊ से जिलाधीश बुलन्दशहर को | सूचित करते हुए कि भूमि अध्याप्त अधिनियम के अधीन किसी भूखण्ड का अध्ययन किसी पंजीकृत समिति के प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सकता |

### 3.3.5 संक्षेपण की विशेषताएं

संक्षेपण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसकी निम्नलिखित विशेषताओं की ओर ध्यान अवश्य दिया जाता चाहिए।

**(i) संक्षिप्तता** : संक्षिप्तता ही संक्षेपण का केन्द्र बिन्दु होता है। इसमें व्याख्या करते हुए या उदाहरण देकर बात को समझाने का स्थान नहीं रहता। अपितु यदि मूल अंश में कोई बात उदाहरण देकर समझाई गई हो, उसे भी अपने शब्दों में छोटा करके लिखा जाता है। अनावश्यक बातों का उल्लेख संक्षेपण में नहीं किया जाता। मूल अंश अथवा विवरण आदि के मूल भाव तथा विचार को पकड़ कर उसे कम से कम शब्दों में तथा अपनी भाषा में रखने का प्रयास किया जाता है। प्रायः यह माना जाता है कि संक्षेपण मूल पाठ का एक तिहाई भाग होना जरूरी है, अर्थात 180 शब्दों की सामग्री 90 शब्दों में लिखी जानी चाहिए।

**(ii)** **भाषा** : संक्षेपण की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें अलंकारिता तथा विस्तृतता नहीं होनी चाहिए जिससे सम्बद्ध व्यक्ति समय नष्ट किए बिना उसे पढ़कर समझ सके। इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो द्विअर्थक या अनेकार्थक न हों। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि मूल संदर्भ के भाव तथा विचारों में परस्पर कोई भिन्नता भी न हो। चूंकि मूल अंश या विवरण एक प्रवाह में व्याख्यात्मक शैली में लिखा जाता है उसमें अनेक वाक्यों की पुनरावृत्ति भी होती है जो मूल संदर्भ पर अधिक जोर देने के लिए होती है। संक्षेपण में पुनरावृत्ति वाले अंशों को तथा एक ही भाव अथवा विचार प्रकट करने वाले अनेक वाक्यों को निकाल कर उन्हें अपनी भाषा में लिखा जाता है तथा उन वाक्यों को एक–दूसरे से सम्बद्ध करने के लिए अपितु तथापि, अतः इसलिए, क्योंकि आदि शब्दों का यथासमय प्रयोग किया जा सकता है।

**(iii)** **पूर्णता** : किसी भी अवतरण या विवरण या भाषण आदि का संक्षेपण स्वयं में पूर्ण होना चाहिए। उसमें प्रत्येक महत्त्वपूर्ण तथ्य का आकलन होना चाहिए तथा कोई भी बात अस्पष्ट नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि उसे स्पष्ट करने के लिए संबद्ध अधिकारी या व्यक्ति को मूल अंश भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा संक्षेपण वही होता है, जिसमें मूल अंश के सभी आवश्यक तथ्य आकलित हों तथा अनावश्यक बातें छोड़ दी जाएं। उसे पढ़कर संबद्ध अधिकारी मूल अंश की ''जिस्ट'' को भली प्रकार समझ सके। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि संक्षेपक संक्षिप्त लेख के प्रारम्भ में तो बात समझाने के लिए विस्तार से लिख देता है तथा जब संक्षिप्त लेख का आकार बढ़ जाता है, तो मूल अंश में उद्धृत अन्य बिन्दुओं को बिल्कुल संक्षेप में उद्धृत मात्र करता है जिसके बाद के अंश में अस्पष्टता आ जाती है तथा संबद्ध व्यक्ति को मूल अंश पढ़कर ही पूरी बात समझनी पड़ती है। अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी महत्त्वपूर्ण तथ्यों का सही रूप में आकलन किया है तथा जिन बातों पर मूल अंश में विशेष जोर देकर लिखा गया हो उसे वैसे ही उद्धृत कर देना चाहिए। वस्तुतः संक्षेपण प्रक्रिया एक तटस्थ प्रक्रिया है। इसमें न तो अपनी ओर टिप्पणी कर न ही निष्कर्ष की शैली में कोई निर्णय दे सकते हैं। अतः संक्षेपण प्रमुख विशेषता यह होनी चाहिए कि उसमें विषय सामग्री का नीर–क्षीर विवके सम्मत पूर्ण रूप से संक्षेपण ही उभर कर आना चाहिए।

**(iv)** **क्रमबद्धता** : संक्षेपण में भावों तथा विचारों की तारतम्यता तथा विशेषक्रम होना आवश्यक है क्योंकि क्रमबद्धता से ही संक्षेपण का प्रभाव बढ़ता है। क्रम अगर विखरा हो तथा उसमें तारतम्यता नहीं होगी तो प्रभावी नहीं हो सकेगा और उस पर कोई निर्णय लेने में असुविधा तथा कठिनाई होगी। अतः यह आवश्यक है कि संक्षेपण की प्रथम पंक्ति मूल लेख के केन्द्रीय विषय को स्पष्ट करें तथा आगे चलकर उसके लेख के मूल विचारों को क्रम में आंकलित किया जाए। एक आदर्श संक्षेपण वह कहा जा सकता है जो अल्प समय में, अल्प श्रम से सहजता से मूल विषय–वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत कर सके।

**(v) मौलिकता** : संक्षेपण मूल सामग्री का एक तिहाई होता है। इस प्रक्रिया में मूल पाठ के कुछ वाक्यों को छोड़कर कुछ का चयन नहीं होता है, वरन मूल भाव को अपने शब्दो में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना होता है। यदि हम संक्षेपण समय मूल सामग्री के तथ्यों को छोड़ते देते हैं तो उसकी मौलिकता का नष्ट होने का खतरा बना रहता है। अतः मौलिकता को बनाए रखना नितान्त आवश्यक है।

### 3.3.6 कार्यालय में संक्षेपण लेखन

मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों, विभागों तथा सरकार के अधीन प्रतिष्ठानों आदि में संक्षेपण या सार–लेखन का प्रयोग यथास्थिति समयानुसार किया जाता है।

मंत्री महोदय, सचिव या उसके स्तर के उच्चाधिकारी के पास समयाभाव के कारण पूरी फाइल पढ़ पाना या विस्तृत टिप्पणी या प्रतिवेदन, अभ्यावेदन आदि पढ़ पानी कभी–कभार संभव नहीं हो पाता ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारी मामले या प्रतिवेदन अथ्ज्ञवा अभ्यावेदन आदि का सार–संक्षेप टिप्पणी द्वारा लिखते हैं, उसके अनुसार उच्चाधिकारी, प्रबन्ध निदेशक, अध्यक्ष अथवा मंत्रों आदि अपने आदेश देते हैं अथवा कार्यवाही करते हैं।

सरकार द्वारा नियुक्त आयोग अथवा समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ये प्रतिवेदन बृहदाकार में होते हैं जिन्हें पूर्णरूपेण तुरन्त पढ़ पाना उच्चाधिकारी के लिए संभव नहीं हो पाता। तब सम्बन्धित अधिकारी रिपोर्ट को पूर्णतः पढ़कर उस रिपोर्ट या प्रतिवेदन का संक्षेपण तैयार उच्चाधिकारी के अवलोकनर्था प्रस्तुत कर देते हैं।

इस प्रकार, सार–लेखन अथवा संक्षेपण की उपयोगिता सरकारी कार्यालयों की कार्य–प्रणाली में भी बराबर बनी रहती है।

### 3.4.1 पल्लवन

पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है– विस्तार, यह शब्द अंग्रेजी के 'Expansion' शब्द का अनुवाद है। यह संक्षेपण का विरोधी शब्द है। जब किसी शब्द, सूक्ति, दृष्टातों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200–250 शब्दों में उसका विस्तार करते हैं, तो उसे पल्लवन कहते हैं।

### 3.4.2 पल्लवन की परिभाषा

पल्लवन की कोई सवमान्य परिभाषा उपलब्ध नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस सृजनात्मकता गद्य–रूप विषय में किसी शास्त्रीय या परम्परागत रूढ़ि का कोई आग्रह नहीं मिलता है। फिर भी अनेक विद्वानों ने अपने मतानुसार 'पल्लवन' को परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। ''एक निश्चित विषय अथवा विवेच्य बिन्दु का कथ्य से सम्बद्ध विचार एवं भाव को अपने ज्ञान स्वानुभूति और कल्पना के सहारे विस्तृत कर सुललित प्रवाहमयी उन्मुक्त शैली के माध्यम से गद्य में अभिव्यक्त करना 'पल्लवन' कहलाता है।'' इसी प्रकार डॉ. राम प्रकाश ने

पल्लवन की परिभाषा देते हुए लिखा है, ''पल्ववन एक प्रकार का सृजनात्मक गद्य–रचना है। इसमें किसी सूत्र, उक्ति, विषय या विचार–बिन्दु का कल्पना सहारे मौलिक, उक्ति वैचित्र्यपूर्ण, उन्मुक्त, सारगर्भित विस्तार प्रवाहमयी सहज भाषा–शैली में किया जाता है।'' डॉ. नरेश मिश्र ने 'पल्लवन' को परिभाषित करते हुए कहा है, ''किसी भाव–गुम्फित सूत्रात्मक वाक्य को साधारण व्यक्ति के लिए बोधगम्य बनाने हेतु किए जाने वाले विस्तार को पल्लवन कहते हैं।''

अतः किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को 'पल्लवन' कहते हैं। अतः पल्लवन और कुछ नहीं वरन् बीज से वृक्ष, बिन्दु से वृत, कली से फूल अथवा लौ से आलोक–परिधि बना देने की सजह प्रक्रिया है। छोटे से वाक्य या वाक्य खण्ड में जो विचार, बन्द है, उन्हें खोल देना फैला देना, विस्तृत कर देना है।

बेकन के विचार से, विस्तारण किसी एक विचार को एक अनुच्छेद में विस्तृत करना है। उसका उद्देश्य नियंत्रित होता है तथा इसमें मूल विचार को विकृत करने तथा अवांछनीय सामग्री देने का निषेध होता है।

डॉ. मुशीराम शर्मा कहते हैं कि वस्तुतः किसी सूत्रबद्ध संगुफित विचार या भाव के संविकासन को विस्तारण कहते हैं।

डॉ. चन्द्रपाल के अनुसार, विस्तारण भाषा अभिव्यक्ति की ऐसी प्रविधि है, जिसमें मूल कथन अथवा सूक्ति का व्याख्यापारक अर्थ समभावी रचनाओं और उदाहरणों से व्यक्त किया जाता है। विस्तारण में समान्यतः विषय अथवा लघु–अनुच्छेद को व्याख्यात्मक ढंग से विस्तारपूर्वक लिखने की अपेक्षा होती है।

### 3.4.3 पल्लवन की प्रक्रिया

पल्लवन की प्रक्रिया संक्षेपण के ठीक विपरीत है। संक्षेपण में मूल सामग्री का सार लेख प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पल्लवन में मूल कथन या सूक्ति कथन या सूक्ति का विस्तार। पल्लवन में कथन के खंडन–मंडन की स्वतंत्रता नहीं होती। भावपूर्ण कथन पल्लवन द्वारा संक्षिप्त निबन्ध का रूप ले लेता है, किन्तु पल्लवन निबन्ध नहीं है। पल्लवन–विधि में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विस्तारण में विषय से संबंधित तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए, परन्तु अनावश्यक वृद्धि और अनपेक्षित शब्दों का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। उनके साथ ही –

(i) मूल कथन के विस्तारण के समय हमें अपने कथन के साक्ष्य और प्रमाण के लिए कुछ उद्धरण और उदाहरण देना चाहिए।

(ii) यदि पल्लवनकर्ता किसी विचार या कथन से सहमत नहीं है तो उसे असहमति व्यक्त करने का अधिकार नहीं है।

(iii) चूंकि पल्लवन या विस्तारण की आवश्यकता अधिकांशतया वरिष्ठ अधिकारियों, सलाहकारों, मंत्रियों या कार्यपालिकों तथा विद्यालयों में विद्यार्थियों को ही होती है, इसलिए इसकी भाषा पर हमें ध्यान देना चाहिए।

(iv) अतः चमत्कार या चमत्कृत करने वाली भाषा के प्रयोग से पल्लवन की प्रक्रिया में बनना चाहिए, भाषा विषायानुकूल, सरल, सुबोध एवं शुद्ध होना चाहिए। कुल मिलाकर भाषा विषय और भाव के अनुकूल होनी चाहिए।

(v) मूल भाव का विस्तारण अन्य पुरूष में होना चाहिए।

(vi) विस्तारण की प्रक्रिया मूल के अनुसार क्रमबद्ध होनी चाहिए कहीं से अटपटेपन की गंध न उठे।

(vii) पल्लवन की प्रक्रिया में हमारा प्रयास होना चाहिए कि मूल स्थल की केन्द्रीय आत्मा पल्लवन में आ जाए।

(viii) यदि पल्लवन की प्रक्रिया पहले से कुछ तयशुद शब्दों में करने का आदेश है, तो वे इस आदेश का कत्तई उल्लंघन न करें।

(ix) भाव–विस्तारण बोझिल न हो, अनावश्यक तथ्यों को बेमुरौव्वत निकाल, पल्लवन को अर्थ पूर्ण बनाना चाहिए।

(x) व्यास शैली का प्रयाग कर पल्लवन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और अंत में पल्लवित स्थल को ध्यान से पढ़कर यह देख लेना चाहिए कि कहीं फिजूल के तथ्यों की भर्ती न हो गई हो, कहीं व्याकरणिक अशुद्धियां तो नहीं रह गयी है, विरामादि चिन्ह उपयुक्त जगत प्रयुक्त हुए हैं या नहीं।

### 3.4.4 पल्लवन के तत्व

**(i) भाषा सरल और सीधी हो** : पल्लवन की भाषा कठिन न हो, सामान्य पाठक उसे हृदयंगम कर सके। वह चमत्कारिकता के मोह से मुक्त होनी चाहिए। कहीं किसी भाषिक फंतासी और कुहासा की छुअन दूर–दूर तक न हो। शिल्प गत और संप्रेषणीय हो। कुल मिलाकर भाषा पारदर्शी होनी चाहिए।

**(ii) सुन्दर और श्रेष्ठ शब्द चित्र** : श्रेष्ठ शब्द चित्र किसी भी रचना के पाठकीय आस्वाद को बढ़ाते हैं। अतः हमें पल्लवन करते समय हमेशा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इन शब्द चित्रों में किसी तरह की दुरूहताह्कठिनता, समझ का धुंधलापन और अस्प्ष्टता न आने पाए।

**(iii) वस्तुगत गहराई** : पल्लवन में कलात्मक प्रौढ़ता और वस्तुगत गहराई का ध्यान रखना चाहिए। पल्लवन करते समय जीवन के उपेक्षित और साधारण अनुभवों का अंकन छूटने न पाए, क्योंकि ये अनुभव मामूली दिखने के बावजूद जिन्दगी के नाजुक पहलुओं से हमारा अनुभव कराते हैं। छोटी–सी दिखने वाली बात भी

कभी–कभी दैनिक जीवन में बड़े हर्ष या विवाद का कारण बन जाती है। अतः ऐसी स्थिति में अनुभूत सत्य के करीब तथ्यों का पल्लवन में उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

**(iv) संतुलित कलेवर** : पल्लवन का दायरा निश्चित जद और कलेवर में होना चाहिए। पल्लवनकर्ता को चाहिए कि पल्लवन का शिल्प और गठन उसे सुन्दर 'कैरीकेचर' दे। पल्लवन को लोक शैली और लोक भाषा के लुभावने बाने में ढालने में सक्षम हो।

**(v) पल्लवन** विचारोत्तेजक भी होना चाहिए। प्रत्येक वाक्य क्रमबद्ध हो। कहीं किसी तरह की शिथिलता और बिखरापन न हो। पल्लवन करने से पूर्व उस स्थल का मनोयोगपूर्वक गहरा अध्ययन कर लेना चाहिए।

### 3.4.5 पल्लवन के समानार्थी शब्द

हिन्दी में पल्लवन के लिए विस्तारण, विश्लेषण तथा गवेषण शब्दों का इस्तेमाल होता ही है, व्याकरण, भावार्थ, टीका, भाष्य, निबंध आदि शब्द भी इसी अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यदि इन शब्दों पर सूक्ष्मता से ध्यान दिया जाए तो हम पाएंगे कि पल्लवन के पर्यायवाची लगाने वाले ये शब्द पल्लवन से कुछ न कुछ अर्थ रखते हैं। इन्हें अति संक्षेप में नीचे इस प्रकार देख सकते हैं–

**(i) पल्लवन और निबन्ध** : निबन्ध हिन्दी की एक स्वतंत्र विद्या है, इसकी आकृति–आकार काफी फैली होती है। इसमें कोई स्वतंत्र भाव अंकुरित होने से लेकर बड़ा दरख्त बनने तक स्वतंत्र ही होता है, जबकि पल्लवन में ऐसा नहीं है। पल्लवन स्वतंत्र और मुक्त नहीं होता। यह किसी वाक्य विशेष को बड़ा आकार देता है, जिस स्थल विशेष को यह बड़ा फलक देता है, उसका मूल अनुगामी होता है, पर कुछ लोग दोनों को एक ही मान बैठते हैं।

**(ii) पल्लवन और व्याख्या** : पल्लवन और व्याख्या शब्द देखने मं समानार्थी जरूर लगते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ बुनियादी फासला और फांक है। पल्लवन में हम बाध्य होते हैं कि मूल भाव का हमें अनुसरण करना होता है, जबकि व्याख्या में इसके ठीक उलट होता है। व्याख्या में स्वतंत्र भाषा और मुहावरों का प्रयोग सुन्दर बिम्बों के साथ किया जा सकता है। पल्लवन में हम मूल भाव से छेड़छाड़ और हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन व्याख्या में स्रोत कथ्य को तराशा जा सकता है।

**(iii) पल्लवन और टीका** : पल्लवन और टीका दोनों ऊपरी तौर पर समानार्थी लगते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ मौलिक अंतर है। पल्लवन यदि निश्चित या पूर्व तयशुदा कोल्हू का बैल है तो टीका का –रेंज' व्यापक और बहुत हद तक मुक्त है। यहां सरल भाषा में विचार–विमर्श, टीका–टिप्पणी कर सकते हैं। इस तरह से पल्लवन की तुलना में टीका स्वायत्त होती है, लेकिन यह टीका 'कबीर के बेहदी मैदान' की तरह स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए।

**(iv) पल्लवन और भावार्थ** : कुछ पल्लवन 'भावार्थ' मानते हैं। दरअसल, पल्लवन में जहां मूल भाव का फैलाव होता है, वहीं भावार्थ में वह प्रक्रिया तो होती है, यहां केन्द्रीय कथ्य पर विशेष बल रहता है। कुल मिलाकर भावार्थ में सजग–सतर्क दृष्टि का परिचय देते हुए कथ्य या वस्तु के मूल चरित्र पर बल दिया जा सकता है।

**(v) पल्लवन और भाष्य** : पल्लवन और भाष्य में भी अंतर है। पल्लवन में जहां मूल भाव विस्तृत होता है, वहीं भाष्यकर्ता मूल भाव को बड़ा आकार देते हुए अपने सदीर्घ–सुचिन्तन, बौद्धिक और तार्तिक शक्ति का प्रयोग करते हुए गूढ़ और अनपढ़ तथ्यों का निरूपण करता है। कुल मिलाकर विस्तारण में जहां घेरेबन्दी है, भाष्य में इस तरह की कोई घेरेबन्दी नहीं है।

### 3.4.6 पल्लवन :महत्त्व और उपयोगिता

पल्लवन कठिन बौद्धिक वर्जिश है। इसका महत्त्व बहुविध है। विद्यालयों से लेकर कार्यालयों तक इसके महत्त्व को झुठलाया और नकारा नहीं जा सकता । आज के ग्लोबल समाज में इसका महत्त्व और बढ़ा है। जीवन के छोटे–छोटे ब्यौरे पल्लवन की प्रक्रिया में वैचारिकता प्रौढ़ता को प्राप्त करते हैं। कार्यालयों के सामान्य बाबू से लेकर अधिकारियों तक संक्षिप्त भाषा में टांके गए नियमों को स्थूल ओर बृहद आकार देकर, उन्हें सहन भाषा में विन्यस्त कर बोधगम्य बनाते हैं। सूक्ष्म और सूत्र शैली में वर्जित बातें फैलती हैं, कुछ अल्प और अनभ्यासी लोग उससे लाभान्वित होते हैं, क्योंकि पल्लवन में सारी बातें दर्पण की तरह साफ और प्रभावित होती हैं। पल्लवन से अबूझ और गहन अर्थ दरवाजे की तरह खुलता है। कार्यालयों में मसौदा या प्रारूपण (Drafting) तैयार करने में इस पल्लवन या विस्तारण विधि का ही सहयोग लिया जाता है। सूक्तिपरक तथ्या विस्तारण विधि के माध्यम से ही सरकारी पत्र का दर्जा हासिल करते हैं।

अगली बात यह है कि विस्तारण प्रविधि के माध्यम से प्रशासनिक नियमों को बोधगम्य ढंग से प्रचारित करके अनावश्यक विवादों और आशंकाओं से बचा जा सकता है। मसौदा लेखन में विस्तारण के प्रयोग से पुनः स्पष्टीकरण आदि पूछने की गुंजाइश ने होने के कारण तत्काल अपेक्षानुसार निर्णय लेने में सुविधा रहती है। कार्यालयीन कार्य को यथाशीघ्र करने में पल्लवन प्रक्रिया का विशेष महत्त्व है, क्योंकि पल्लवन से पत्रों और सूचनाओं में बोधगम्यता और कार्य कुशलता रहने से परस्पर आत्मविश्वास और निष्ठा का वातावरण सृजित होता है, जिससे परिणामस्वरूप प्रशासनिक कार्यों में प्रगतिशीलता बनी रहती है। इस प्रकार पल्लवन की उपयोगिता, प्रसांगिता और महत्त्व असंदिग्ध तथा बिलासुबह है।

### 3.4.7 पल्लवन का उदाहरण

'आत्म दृष्टि विश्वबन्धुत्व की आधारशिला है'।

आचार्य शंकर के अनुसार इस लोक में तीन प्रकार की दृष्टियां होती है। देह दृष्टि, देव दृष्टि एवं आत्म दृष्टि। संसार के साधारण मनुष्य पारस्परिक देह संबंध को महत्त्व देकर, पिता–पुत्र, माता–पिता, पति–पत्नी, गुरु–शिष्य, भाई–बहन, मित्र एवं शत्रु की स्थिति स्वीकार कर लेते हैं एवं सुख–दुःख का अनुभव करते हैं, इनसे ऊपर वे लोग हैं, जो किसी पूज्य के प्रति श्रद्धालु होकर अराध्य और अराधक भाव से देवत्व की स्थिति स्वीकार कर लेते हैं तथा 'मात देवो भव, पितृ देवो भव, गुरूर्देवो भव' में ही पुण्य की इतिश्री समझ लेते हैं। इन दोनों के ऊपर के धरातल के लोग आध्यात्मिक होते हैं उनकी दृष्टि में देह एवं दैहिक संबंध नश्वर है, देव एवं देवत्व कर्माधीन होने के कारण क्षणिक हैं, केवल आत्मा ही शाश्वत, अनन्त एवं अभेद्य है। इस आध्यात्मिक धरातल पर 'मैं 'तुम' और 'वह' की सत्ताविलीन हो जाती है, क्योंकि ये शब्द उसी आत्मा के विभिन्न सर्वनाम हैं।

## 3.5 अपनी प्रगति जांचिए

(क) (i) संक्षेपण के लिए अंग्रेजी के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है ?

(ii) संक्षेपण को किस पुरूष में लिखा जाता है ?

(iii) संक्षेपण के द्वारा किस की बचत की जाती है ?

(iv) पल्लव शब्द का अर्थ क्या है ?

(v) पल्लवन शब्द किससे बना है ?

(ख) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए।

(i) संक्षेपण के भेद हैं –

(क) दो (ख) तीन (ग) पांच (घ) चार

(ii) पल्लवन को अंग्रजी मे कहते हैं –

(क) Expansion (ख) Drafting (ग) Nothing (घ) Constructing

(iii) पल्लवन का विरोध शब्द है –

(क) प्रारूपण (ख) संक्षेपण (ग) टिप्पण (घ) आलेखन

(iv) Precis शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है।

(क) पल्लवन (ख) प्रारूपण (ग) संक्षेपण (घ) टिप्पण

(v) संक्षेपण मूल से कितना छोटा करना अपेक्षित होता है ?

(क) एक तिहाई (ख) दो तिहाई (ग) आधा (घ) एक चौथाई

## 4.6 सारांश

### संक्षेपण

- संक्षेपण को अग्रेंजी भाषा में Precis कहा जाता है। संक्षेपण शब्द हिन्दी में संस्कृत मूल भाषा से आया है यह संस्कृत की 'क्षिप्' धातु में सम् उपसर्ग और ल्युट प्रत्यय जोड़ने से बना है। जिसका अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करके प्रस्तुत करना।
- संक्षेपण से अभिप्राय ऐसी रचना से है, जिससे किसी विस्तृत लेख निबन्ध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त भावों को मूल की अपेक्षा कम शब्दों में व्यक्त किया जाता है।
- संक्षेपण वह रचना रूप है, जिसमें समास शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित हो जाता है। इसको हम बड़े ग्रन्थ का संक्षिप्त संस्करण और बड़े चित्र को छोटा चित्रण कह सकते हैं।
- संक्षेपण के दो भेद हैं स्वतंत्र विषयक संक्षेपण व पत्र व्यवहार संक्षेपण के अन्तर्गत निरन्तर विधि से संक्षेपण व सारणीबद्ध संक्षेपण आते हैं।
- संक्षिप्तता, भाषा, पूर्णता, क्रमबद्धता, मौलिकता आदि इसकी विशेषताएं हैं।

### पल्लवन

- यह अंग्रेजी के Expansion शब्द का पयार्य है। पल्लवन शब्द से अभिप्राय विस्तार है। यह शब्द संक्षेपण शब्द का विरोधी है।
- सूक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों आदि की व्याख्या के लिए मूल कथन से अधिक शब्दों की आवश्यकता होती है।
- किसी वाक्य अथवा खंड के शब्दों की विस्तृत व्याख्या जिसमें उसके भावों को और अधिक स्पष्ट करके समझाया जाता हो, वह क्रिया पल्लव के अन्तर्गत आती है।

## 4.7 शब्दावली

| | | |
|---|---|---|
| संक्षेपण | : | संक्षिप्त करना |
| Expansion | : | पल्लवन |
| Precis | : | संक्षेपण |
| कार्यालयी | : | कार्यालय से सम्बन्धित |

## 4.8 स्वयं मूल्यांकन परीक्षा

(i) संक्षेपण की परिभाषा देकर उसकी विधि और प्रकार लिखिए।

(ii) संक्षेपण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

(iii) संक्षेपण की कार्यालय में उपयोगिता पर अपने विचार प्रकट कीजिए।

(iv) पल्लवन का अर्थ बताकर उसकी रचना प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

(v) 'जो गरजते हैं बरसते नहीं' लोकोक्ति का पल्लवन कीजिए।

## 4.9 प्रगति समीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर देखें

(क) (i) Precis (ii) अन्य पुरूष (iii) समय और श्रम (iv) विस्तार करना
(v) पल्लव से

(ख) (i) (क) दो (ii) (क) Expansion (iii) (ख) संक्षेपण
(iv) (ग) संक्षेपण (v) (क) एक तिहाई

## 4.10 संदर्भ ग्रन्थ


1. प्रयोजन मूलक हिन्दी — डॉ. विजय पाल सिंह
2. प्रयोजन मूलक हिन्दी : प्रक्रिया और स्वरूप — डॉ. कैलाशचन्द्र भाटिया
3. प्रयोजन मूलक हिन्दी और जन संचार — डॉ. राजेन्द्र मिश्र

## Subject: Hindi Complusory

| Course Code: BA 302 | Author: Dr. Vibha Malik |
|---|---|
| अध्याय संख्या :4 | |
| पत्रकारिता | |

अध्याय की संरचना

4.1 अधिगम उद्देश्य

4.2 परिचय

4.3 अध्याय के मुख्य बिन्दु

4.3.1 पत्रकारिता का अर्थ

4.3.2 पत्रकारिता का स्वरूप

4.3.3 पत्रकारिता कीपरिभाषा

4.3.4 पत्रकारिता के मूल्य

4.3.5 पत्रकारिता के प्रकार

4.4 पाठ के आगे का मुख्य भाग

4.4.1 पत्रकारिता और संपादक

4.4.2 संपादक, संपादकीय विभाग और संपादन

4.4.3 संपादन का अर्थ

4.4.4 संपादक का दायित्व

4.4.5 संपादक के गुण और योग्यता

4.5 स्वयं-प्रगति जाँच

4.6 सारांश

4.7 शब्दावली

4.8 स्वय मूलयांकन परीक्षा

4.9 प्रगति मूलांकन हेतु प्रश्नोतर देखें

4.10 संदर्भ ग्रंथ

**4.1** अधिगम उद्देश्य

इस अध्याय पढ़ने के बाद आप :

- पत्रकारिता का अर्थ , स्वरूप और परिभाषा जान सके गें|
- पत्रकारिता के मूल्य समझ सकें गें|
- पत्रकारिता के प्रकारों सेपरिचित हों सकें गें|
- संपादक के कार्य और गुणों को जान जाएँ गें

## 4.2 परिचय

मानव जीवन में पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण स्थान है| सुबह होते ही हमें अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं को जानने के लिए अखबार की जरूरत होती है| रेडियो ,दूरदर्शन, इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम समाचार प्राप्त करते रहते हैं| ये सभी माध्यम सुबह से लेकर रात तक हमारे मनोरंजन के अतिरिक्त अन्य कई जानकारियों से परिचित कराते हैं| आज के समय मे बिना पत्रकारिता के जीवन की कल्पना करना भी कठिन है|पत्रकारिता के विभिन माध्यमों के कारण आज संपूर्ण विश्व की दूरियाँ सिमट कर अत्यंत छोटी हो गईं हैं तथा सारा विश्व एक सूत्र मे बंध गया है|इसके परिणाम स्वरूप पत्रकारिता आज राष्ट्रीय स्तर हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन को भी प्रभावित करने में सक्षम हो गई है|

## 4.3 अध्याय के मुख्य बिन्दु

### 4.3.1 पत्रकारिता का अर्थ

अपने रोजमर्रा के जीवन के एक आम दिन की कल्पना कीजिए| दो लोग आसपास में रहते हैं और लगभग रोज मिलते हैं इससे पहले के कुछ मिनट की उनकी बातचीत पर ध्यान दीजिए| उनका पहला प्रश्न क्या होता है? 'क्या हाल-चाल है?' 'या कैसे हैं?' या फिर क्या समाचार है?' रोजमर्रा के इन प्रश्नों में ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती| इन प्रश्नों के बारे में ध्यान से सोचिए| इनमें आपको एक इच्छा दिखाई देगी नया ताजा समाचार जानने की| पिछले कुछ घंटे का हाल जानने की या बीती रात की खबरें जानने की| कल से आज के बीच या कुछ घंटों के अंतराल में

आए बदलाव की जानकारी| हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनका कुशलक्षेम या उनके आसपास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं|

अपने आसपास की घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का स्वभाव है| उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल है| यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है| जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी |पत्रकारिता का विकास इसी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ| वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है|

हम सूचनाएं या समाचार क्यों जानना चाहते हैं? दरअसल सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती हैं| यही कारण है कि आधुनिक समाज में सूचना और संचार माध्यमों का महत्व बहुत बढ़ गया है| यह सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ-साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं| इसीलिए हम अपने आस पड़ोस ,शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं|

पत्रकारिता के कारण हमारी इच्छा की पूर्ति सुगमता से होती है| पत्रकारिता से पूरे विश्व की घटनाओं से हमारा परिचय होता है| अंग्रेजी शब्द ‘जर्नलिज्म’ का हिंदी अनुवाद पत्रकारिता है 'जर्नलिज्म' शब्द ‘जर्नल’ से निकला है| उसका शाब्दिक अर्थ पत्रिका, रोज़नामचा', दैनंदिनी, दैनिक', है अर्थात जिस मे दैनिक कार्यों का विवरण रहता है|आज ‘जर्नल’ का प्रयोग समाचार पत्र या मैगज़ीन आदि के लिए होता है|जर्नलिजम या पत्रकारिता का अर्थ समाचार पत्र, पत्रिका से जुड़ा

व्यवसाय है| जिस मे समाचार संकलन,लेखन,संपादन,प्रस्तुतिकरण ,वितरण आदि आते हैं| समय और समाज के संदर्भ में सजक रहकर लोगों में दायित्व बोध निर्माण कराने की कला को पत्रकारिता कहा जाता है|

### 4.3.2 पत्रकारिता का स्वरूप

पत्रकारिता जनसेवा का शतक सशक्त माध्यम है| इससे मानव जीवन की विविध तथा नित्य घटित वाली घटनाएं शीघ्रतिशीघ्र विश्व भर में पहुंचती है | विश्व के समाचारों और घटनाओं को संकलित करना ,उनका विवेचन करना, घबरों का विवरण इकट्ठा करना, उन्हें पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाना पत्रकारिता का उद्देश्य रहा है| पत्रकारिता की शक्ति से समाज की कमियों ,गलतियों और कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है| विचारों को जनता तक पहुंचाने का साधन ही पत्रकारिता है| दुनिया के सभी विषय पत्रकारिता की परिधि में आते हैं| प्रारंभ में पत्रकारिता का उद्देश्य सरकारी तथ्यों की जानकारी जनता को देकर उनकी प्रतिक्रिया जानना था| आधुनिक संचार माध्यमों के विकास के साथ पत्रकारिता का भी विकास हुआ और उसके विषय भी विस्तृत होते चले गए| आज कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो पत्रकारिता से अछूता हो| पत्रकार संचार के विभिन्न माध्यमों की सहायता से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं की जानकारी जनता को देता है| वह लोगों को आर्थिक ,सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक,राजनीतिक गतिविधियों का परिचय देकर लोगों को जागृत करता है| आज पत्रकारिता पाठकों को शिक्षा देने के साथ मनोरंजन का भी का काम भी कर रही है|

सूचना के क्षेत्र में प्रिंट मीडिया का वर्चस्व रहा है| पत्रकारिता का प्रथम स्वरूप अखबार है| आज के वैज्ञानिक युग में पत्रकारिता के स्वरूप में विकास और विस्तार हुआ है| इसके अनेक माध्यम हो गए हैं जैसे- अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो ,दूरदर्शन व वेब पत्रकारिता सोशल मीडिया इंटरनेट आदि| पहले समाचार 24 घंटों में जनता तक पहुंचता था| आज रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से कुछ क्षणों में समाचार श्रोता तक पहुंच जाता है| ईमेल से दुनिया की खबर मिनटों में मिलती है| खबरों के साथ दृश्यों को भी दर्शक देख सकता है|

संगणक के विकास से पत्रकारिता का स्वरूप विकसित हुआ है| समाचार संकलन ,लेखन संपादन आदि कार्य सहज बन रहे हैं| जिनसे अखबार का प्रकाशन समय पर होने में सहायता मिल रही है| साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आज काफी विस्तार हुआ है| इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास से पत्रकारिता के स्वरूप में विस्तार हुआ है| रेडियो, दूरदर्शन ,संगणक आदि से साहित्य पत्रकारिता के स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है| समाचार साहित्यिक परिचर्चा, गोष्ठी, देश-विदेश की खेलकूद , विश्व महामारी, सांस्कृतिक प्रोग्राम, गोष्ठियों आदि के समाचार आज हम केवल सुनते ही नहीं बल्कि आंखों से देख भी रहे हैं| आज पत्रकारिता समाज की दिग्दर्शिका और नियामीका बन गई है|

पत्रकारिता अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है| वह एक मनोरम कला है जिसके माध्यम से जनता के सामने लोक कल्याण के कार्यों की सूची प्रस्तुत होती है| भारत में पत्रकारिता पहले मिशन के रूप में थी| आज उसमें व्यवस्था आई है| ध्वनि और चित्रों के माध्यम से ज्ञान और

विज्ञान, समीक्षात्मक टिप्पणियों, के साथ पत्रकारिता से जन कल्याण हेतु जनता तक पहुंच रहे हैं| पत्रकारिता समाज को जागृत करने और जनमत निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है|

### 4.3.3 पत्रकारिता की परिभाषा

पत्रकारिता का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक है| उसे परिभाषा की सीमा में बांधना कठिन कार्य है|अनेक विद्वानों ने पत्रकारिता को अलग-अलग शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है|

**ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी**

समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन या ऑनलाइन समाचार साइटों के लिए समाचार कहानियों को इकट्ठा करने और लिखने का कार्य; जो खबरें लिखी जाती हैं, वही पत्रकारिता है।

**कैंब्रिज शब्दकोश**

समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में समाचार कहानियों और लेखों को एकत्र करने, लिखने और प्रकाशित करने या रेडियो और टेलीविजन पर उन्हें प्रसारित करने का कार्य ही पत्रकारिता है।

**न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी**

" प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय पत्रकारिता है|

**पत्रकारिता संदर्भ कोश**

"जनसूचना, जनसंचार, जनरंजन अथवा जनसाधारण तक समाचार विचार-संप्रेषण हेतु संचालित माध्यमों (समाचार/ पत्रिका/ आकाशवाणी/ दूरदर्शन आदि) के संपादन, मुद्रण,प्रकाशन ,संयोजन आदि की विधा या कला को पत्रकारिता माना है|"

**मानक हिंदी कोश**

" पत्रकारिता वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों ,उद्देश्यों आदि का विवेचन किया जाता है|"

**सी जी मूलर**

"पत्रकारिता सामूहिक ज्ञान का व्यवसाय है| इसमें तत्वों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन एवं प्रस्तुतीकरण होता है|"

**डॉ शंकर दयाल शर्मा**

"पत्रकारिता एक पेशा नहीं है, बल्कि यह तो जनता की सेवा का माध्यम है| पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही पेश नहीं करना चाहिए' आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी पेश करना चाहिए| पत्रकारों पर लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने, शांति एवं भाईचारा बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आती है|"

**डॉ अर्जुन तिवारी**

"प्रकाशन, चित्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण तथा प्रसारण हेतु सामयिक और सरस तत्वों के संग्रह और संपादन को पत्रकारिता कहा जाता है |आज पत्रकारिता का क्षेत्र बहु आयामी है और मानव जीवन की समस्त गतिविधियां इसकी सीमा में आती हैं|"

**डॉक्टर हरिमोहन**

पत्रकारिता नवीनतम घटनाओं की जानकारी एवं विचारों को सावधानीपूर्वक चुनकर, उनका मूल्यांकन कर, यथासंभव उनका विश्लेषण या उनकी समीक्षा करते हुए (किसी भी तरह के संचार माध्यम मुद्रित अथवा श्रव्य दृश्य) की सहायता से जन जन तक पहुंचाने प्रक्रिया है|"

**डॉ रामचंद्र तिवारी**

"ज्ञान और विचारों की समीक्षात्मक टिप्पणियों एवं चित्रों सहित विशाल जनमानस तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है|"

**डॉक्टर संजीव भागवत**

"आज पत्रकारिता सूचना और समाचारों का संकलन मात्र ना होकर मानव जीवन के व्यापक परिदृश्य को अपने में समेटे हुए हैं | वह शाश्वत नैतिक, सांस्कृतिक मूल्यों को समसामयिक घटनाचक्र की कसौटी पर कसने का साधन बन गई है| ज्ञान- विज्ञान,साहित्य -संस्कृति ,आशा-निराशा, संघर्ष- क्रांति ,जय- पराजय, साहित्य- संस्कृति, उत्थान- पतन आदि जीवन की विविध भाव भूमियों की मनोहरी एवं यथार्थ छवि हम युगीन पत्रकारिता के दर्पण में देख सकते हैं |"

**रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर**

‘‘ज्ञान और विचार शब्दों तथा चित्रों के रूप में दूसरे तक पहुंचाना ही पत्रकला है| छपने वाले लेख-समाचार तैयार करना ही पत्रकारी नहीं है| आकर्षक शीर्षक देना, पृष्ठों का आकर्षक बनाव- ठनाव जल्दी से जल्दी समाचार देने की त्वरा ,देश विदेश के प्रमुख उद्योग- धंधों के विज्ञापन प्राप्त करने की चतुराई, सुंदर छपाई और पाठक के हाथ में सबसे जल्दी पत्र पहुंचा देने की त्वरा, यह सब पत्रकार कला के अंतर्गत रखे गए हैं|"

**डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर**

"पत्रकारिता पत्र-पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकत्रित करने, संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है"

**इंद्रविद्यावाचस्पति**

"पत्रकारिता पांचवा वेद है, जिसके द्वारा हम ज्ञान विज्ञान संबंधी बातों को जानकर अपना बंद मस्तिष्क खोलते हैं|"

इन सभी परिभाषाओं के आधार पर पत्रकारिता को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है|

पत्रकारिता एक ऐसा कलात्मक सेवा कार्य है जिसमें सामयिक घटनाओं को शब्द एवं चित्र के माध्यम से जन-जन तक आकर्षक ढंग से पेश किया गया हो|पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है जिस में एकत्रीकरण,लेखन ,संपादन और सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि

साम्मिलित है|आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गए हैं जैसे अख़बार, पत्रिकाएँ, रेडियो, दूरदर्शन, आदि मुद्रित जनमाध्यम पत्रकारिता में क्रांति ला रहे हैं |

### 4.3.4 पत्रकारिता के मूल्य

पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन है | पत्रकार रोज का इतिहास अखबार के पन्नों में दर्ज करता चलता है| उसका काम और बहुत आसान लगता है लेकिन इतना आसान होता नहीं| उस पर कई तरह के दबाव हो सकते हैं| अपनी पूरी स्वतंत्रता के बावजूद पत्रकारिता सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी रहती है| उदाहरण के लिए सांप्रदायिक दंगों का समाचार लिखते समय पत्रकार प्रयास करता है उसके समाचार से जनता ने भड़के| सच्चाई जानते हुए भी दंगों में मारे गए या घायल लोगों के समुदाय की पहचान स्पष्ट नहीं करता| बलात्कार के मामलों में वह महिला का नाम या चित्र नहीं प्रकाशित करता ताकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई धक्का न पहुंचे| पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है कि वह पत्रकारिता की आचार संहिता का पालन करें ताकि उनके समाचारों से बेवजह और बिना को सबूतों के किसी की व्यक्तिगत प्रातिष्ठा को नुकसान न हो और न ही समाज मे अराजकता और अशांति फैले |

### 4.3.5 पत्रकारिता के प्रकार

21वीं शताब्दी में पत्रकारिता एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है| आज इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है| वर्तमान पत्रकारिता केवल समाचार पत्रिकाओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे दूरदर्शन, फिल्म , आकाशवाणी, वेबसाइट, इंटरनेट आदि क्षेत्रों

में इसका विस्तार हो गया है | आज राष्ट्रीय चेतना पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य नहीं है| आधुनिक युग के जितने भी क्षेत्र हैं वे सब के सब पत्रकारिता के भी क्षेत्र हैं|मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र पत्रकारिता से अछूता नहीं है|यह जन जनसमस्याओं से जुड़ी हुई है|समाचार पत्रों को जनता की संसद माना जाता है|इसलिए पत्रकारिता को लोकतंत्र का'चौथा खम्बा माना जाता है|वर्तमान युग विशिष्टीकरण का युग है|प्रतिदिन अनेक घटनाएँ घटती है| पत्रकारिता का क्षेत्र विशाल बनने से उस की व्यापक्ता बढ़ गई है|उस के अनेक रूप एवं प्रकार सामने आए है| जिस मे से कुछ निम्नलिखित प्रकार है|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| खोज परक पत्रकारिता | वॉच डॉग पत्रकारिता | एडवोकेसी पत्रकारिता | राजनैतिक पत्रकारिता | संसदीय पत्रकारिता | विकास पत्रकारिता |
| आर्थिक पत्रकारिता | ग्रामीण पत्रकारिता | कृषि पत्रकारिता | सांस्कृतिक पत्रकारिता | शैक्षिक पत्रकारिता | खेल पत्रकारिता |
| नारी पत्रकारिता | बाल पत्रकारिता | व्याख्यात्मक पत्रकारिता | विज्ञान पत्रकारिता | रेडियो पत्रकारिता | टेलीविजन पत्रकारिता |
| वैकल्पिक पत्रकारिता | अपराध पत्रकारिता | विशेषीकृत पत्रकारिता | विधि पत्रकारिता | फोटो पत्रकारिता | वीडियो पत्रकारिता |
| चित्रपट पत्रकारिता | अंतरिक्ष पत्रकारिता | संदर्भ पत्रकारिता | कार्टून पत्रकारिता | सनसनीखेज पत्रकारिता | आध्यात्मिक पत्रकारिता |
| | | सर्वोदय पत्रकारिता | साहित्यिक पत्रकारिता | | |

**पत्रकारिता के प्रकार**

**i. खोज परक पत्रकारिता**

खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिस में गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो| आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश की जाती है | खोजी पत्रकारिता का उपयोग नीतियों में किया जाता है जब यह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए और कोई उपाय नहीं रह गया है| खोजी पत्रकारिता का एक नया रूप टेलीविजन में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है हालांकि भारत में खोजी पत्रकारिता तीन दशक पहले ही शुरू हो गई थी लेकिन हमारे देश में यह अभी अपने शैशव काल में ही है| जब जरूरत से ज्यादा गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार व्यापक हो तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प बचती है| अमेरिका का वॉटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता का एक अच्छा उदाहरण है| जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था| भारत में भी कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा|

**ii. वॉच डॉग पत्रकारिता**

लोकतंत्र में पत्रिका और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है इसे परंपरागत रूप से वॉच डॉग पत्रकारिता कहा जाता है इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है

|समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है| आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है|

### iii. एडवोकेसी पत्रकारिता

ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं| इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है| आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में भी कुछ समाचार पत्र या टेलीविजन चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं| उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया|

### iv. राजनैतिक पत्रकारिता

राजनीतिक पत्रकारिता समाचार पत्रों की प्राण मानी जाती है| राजनैतिक खबरों के बिना किसी अखबार या चैनल की कल्पना भी नहीं की जा सकती| समाचार पत्रों में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले और चैनलों पर सर्वाधिक देखे सुने जाने वाले समाचार राजनीति से ही जुड़े होते हैं राजनीतिक समाचारों के बाजार में समाचार पत्र और समाचार चैनल अपने उपभोक्ताओं को रिझाने के लिए

नित नए प्रयोग करते रहते हैं| चुनाव के दिनों में तो प्रयोगों के छड़ी लग जाती है और हर कोई एक-दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में शामिल हो जाता है| आज जीवन के हर क्षेत्र में राजनीति का प्रभाव देखा जा सकता है ऐसे में इन समाचारों को नजरअंदाज कर पाना संभव नहीं है| लोकप्रियता हासिल करने के लिए राजनीतिक समाचारों को आकर्षक बनाया जाता है|

### v. संसदीय पत्रकारिता

संसदीय पत्रकारिता का संकलन अत्यंत दायित्व पूर्ण कार्य है| लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था की प्रमुख भूमिका है| संसद द्वारा किए जा रहे कार्य पर नजर रखना पत्रकारिता की अहम जिम्मेदारी है क्योंकि लोकतंत्र में यही एक कड़ी है जो जनता और नेता के बीच काम करती है| संसद की कार्यवाही प्रकाशन के नियम 1956 के अंतर्गत रहकर संसद के राज्यसभा,लोकसभा,तथा प्रदेशिक विधानसभाओं और विधानपरिषदों की कार्यवाही की रिपोर्टिंग की जाती है |संसद की संपूर्ण कार्यवाही का प्रकाशन समाचार पत्रों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है|संसद की कार्यवाही के बारे मे जनता जानना चाहती है|सामाजिक,आर्थिक,राजनैतिक आदि गतिविधियों की रिपोर्टिंग करते वक्त पत्रकारों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि जनहित तथा जन उपयोगी समाचार लोगों तक पहुंच सकें|

### vi. विकास पत्रकारिता

आर्थिक विकास,समाज-राष्ट्र एवं विश्व की उन्नति के लिए उठाए गए कदमों के बारे में आम जनता तक पहुंचाने का काम विकास पत्रकारिता करती है|यह देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी,

कृषि एवं किसान, सिंचाई, भूखमरी, जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक आपदा आदि समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में लोगों को अवगत कराती हैं| दूरगामी परिणामों पर सोचकर,गरीबी हटाओ,विकास योजनाओं का प्रचार ,द्रुतगति विकास इसमें अपेक्षित है|केंद्रीय सरकार की पत्रिका 'योजना' विकास पत्रकारिता का उदाहरण है|

**vii. आर्थिक पत्रकारिता**

मानव जीवन में अर्थ को महत्ता मिली है| मुद्राबाजार, पूंजीबाजार, वस्तु बाजार, पंचवर्षीय योजनाएं, बैंक, ग्रामोद्योग, श्रम, बजट, राष्ट्रीय आय, उद्योग, व्यवसाय आदि पाठकों को आकर्षित कर रहे हैं| पत्रकारिता का विकास भी आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में हुआ है| भारत का प्रथम अखबार हिक्कीज गजट में विज्ञापनों के साथ व्यापारी गतिविधियों की सूचनाएं प्रकाशित हुई थी| अंग्रेजी व्यापारियों ने उद्योगों और बैंकों की स्थापना करके आर्थिक पत्रकारिता चलाई| 1928 में इंडियन फाइनेंस पत्र प्रकाशित हुआ जिसका संबंध केवल भारतीय व्यापारियों से था| उसके बाद'द ईस्टर्न इकोनॉमिक्स(1943) और 'द इकनॉमिक टाइम्स'(1961) का प्रकाशन हुआ है | नई आर्थिक नीति अपनाने के बाद भारत की सभी भाषाओं में आर्थिक पत्रों का प्रकाशन हुआ है जिसमें बिजनेस इंडिया, बिजनेस टुडे, बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस टाइम्स,फाइनेंशियल एक्सप्रेस, रिसाला बाजार, उद्योग भारती, कारोबार, व्यापार आदि प्रमुख है|

**viii. ग्रामीण पत्रकारिता**

भारत गांवों का देश होने से देश की 70% आबादी गांव में रहती है| ग्रामीण पत्रकारिता का उदेश्य वैज्ञानिक विकास पत्रों द्वारा गावों में नई चेतना लाना है| प्रसिद्ध पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के अनुसार" परंपरागत लोक कला, लोक संस्कृति' कुटीर उद्योग, ग्रामीण स्वास्थ्य, हरित और श्वेत क्रांति द्वारा गांव के संपूर्ण विकास हेतु समर्पित पत्रकारिता को ग्रामीण पत्रकारिता कहना उचित होगा" ग्रामीण जनता की समस्याओं का निवारण,कुप्रथाओं का पर्दाफाश, खेती के बारे में नवीन खोजों की जानकारी, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा ,आदि ग्रामीण पत्रकारिता के महत्वपूर्ण काम है| इस पत्र में लघु उद्योग, नारी शिक्षा, पशु पालन,खेती,खाद्य,बीज,प्रोड़ शिक्षा ,परिवार कल्याण, परिवार नियोजन आदि से संबंधित जानकारी प्रकाशित होती है उसे ग्रामीण पत्र कहा जाएगा|

**ix. कृषि पत्रकारिता**

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में हमारी अर्थव्यवस्था काफी कुछ कृषि और कृषि उत्पादकों पर निर्भर है| भारत में आज भी लगभग 80 % जनता कृषि पर निर्भर है| ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास अधूरा है| ऐसे मे पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है |विकास की जानकारी का उत्तरदायित्व समाचार पत्रों एवं पत्रकारिता के अन्य माध्यमों पर है|कृषि पत्रकारिता कृषको के हितों और लाभों से जुड़ी होती है|इस में कृषि अर्थशास्त्र ,मुद्रा एवं कृषि रसायन,कीट शास्त्र,जीव विज्ञान,कृषि प्रसार,पशु पालन,दुग्ध वयवसाय ,भूमि संरक्षण,उद्यान शास्त्र,फसल रिपोर्ट,मंडी की खबरें, मौसम समाचार आदि का समावेश होता है|

**x. सांस्कृतिक पत्रकारिता**

मानव जीवन में कला, संस्कृति एवं की भूमिका महत्वपूर्ण है| इनसे जीवन में एक नई चेतना और उमंग पैदा होती है|भारतीय जनता की सांस्कृतिक अभिरुचि , सांस्कृतिक गतिविधियाँ ,परंपराओंका समावेश सांस्कृतिक पत्रकारिता मे होता है जिस से आज कई विलुप्त प्राचीन कला जैसे लोक नृत्य, लोक संगीत आदि को प्रोत्साहन मिलता है |विभिन क्षेत्रों में और प्रदेशों कीपरम्पराएँ,प्रवृतियाँ, सांस्कृतिक विवरणपत्रकारिता से प्रस्तुत किया जाता है जिस में संगीत,नृत्य,क्रीडा,रंगमंच आदि का समावेश होता है| भारत जैसे विशाल और बहू संस्कृति वाले देश में सांस्कृतिक पत्रकारिता द्वारा देश की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना उदेश्य है|

**xi. शैक्षिक पत्रकारिता**

शिक्षा एवं पत्रकारिता का संबंध घनिष्ठ है| शिक्षा के प्रचार-प्रसार में पत्रकारिता एक प्रमुख साधन है| शिक्षा में जो भी नए आयाम है उसे प्रस्तुत करने के लिए पत्रकारिता एक साधन मात्र ही नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है| पत्रकारिता खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र शिक्षा से संबंधित जानकारियों से अवगत कराती है|शैक्षणिक समाचार का आशय उन समाचारों से है जो शिक्षा के विभिन्न आयामों से जुड़े हैं|शैक्षिक पत्रकारिता शैक्षिक प्रवृतियों,शिक्षा जगत की घटनाओं तथा शैक्षिक समस्याओं को जनसंचार माध्यम से जनता तक पहुंचाती है|

**xii. खेल पत्रकारिता**

खेल पत्रकारिता खेल के विषयों और घटनाओं पर रिपोर्ट करता है| यह पत्रकारिता खेल क्रीड़ाओं, प्रतियोगिताओं व अन्य खेलों से जुड़ी घटनाओं पर केंद्रित होती है| शिक्षा, स्वास्थ्य प्रसारण एवं

राष्ट्रीयता की भावना ने खेलों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है| राष्ट्रीय - अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, हॉकी स्पर्धात्मक दौड़े, गोल्फ,टेबल टैनिस, कबड्डी तथा शतरंज आदि खेलों की ओर जनता का आकर्षण बढ़ा है| ओलंपिक ,एशियाइ व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजनों ने भी क्रीड़ा भावना उत्पन्न की है| खेल समाचारों के साथ ,खेल का स्तर ,खेल की स्थिति,टीम का चयन, खिलाड़ियों की कमियाँ,दोष,खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना आदि का विवरण देती है|

**xiii. नारी पत्रकारिता**

नारी समाज की आधारशिला होती है| महिलाओं के जीवन में समाज एवं गृह उपयोगी वस्तुओं के निर्माण के लिए पत्रिकाओं की अत्यंत आवश्यकता है|महिला पत्रकारिता से विचारों का दायरा विस्तृत करने तथा जागरूकता विकसित करने में सहायक होती है||,|नव निर्माण काल की पत्र-पत्रिकाएँमहिलाओं को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है|महिला पुरुष समानता के इस दौर में पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी देखी जाने लगी है| महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दिलाने में महिला पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है आज महिला पत्रकारिता की अलग से जरूरत है ताकि उसमें महिलाओं से जुड़े हर पहलू पर गौर किया जाए और महिलाओं के सर्वांगीण विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें |

**xiv. बाल पत्रकारिता**

बालक देश का भविष्य और राष्ट्र के मुस्कुराहट हैं|जिन पत्र पत्रिकाओ में बच्चों से सबंधित विषयों का उल्लेख किया जाता है उसे बाल पत्रकारिता कहते हैं|ऐसी पत्रकारिता में मनोरंजन के साथ विविध क्षेत्रों का ज्ञान भी दिया जाता है |बालकों के सम्यक विकास ,जिज्ञासा की शांति और मनोरंजन के लिए बाल पत्रकारिता काम करती है|देश प्रेम का बीजारोपण, कार्टून से, मनोरंजन,कोमल भावनाओ का विकास आदि के लिए ‘’बालसखा’’, शिशु’, ’बालक’, ’चंदामामा’, ‘नन्दन’ आदि पत्रिकाएँ काम कर रही हैं|

**xv. व्याख्यात्मक पत्रकारिता**

पत्रकारिता केवल घटनाओं की सूचना देना नहीं है| पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करें और आम पाठक को बताएं कि उस समाचार का क्या महत्व है| पत्रकार इस महत्व को बताने के लिए विभिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या करता है| इसके पीछे क्या कारण है| इसके पीछे कौन था और किसका हाथ है| इसका परिणाम क्या होगा इसके प्रभाव से क्या होगा आदि की व्याख्या की जाती है| साप्ताहिक पत्रिका संपादकीय लेखों में इस तरह किसी घटना की जांच पड़ताल कर व्याख्यात्मक समाचार पेश किए जाते हैं| टीवी चैनलों में तो आजकल यह ट्रेंड बन गया है कि किसी भी छोटी सी छोटी घटनाओं के लिए भी विशेषज्ञ पैनल बिठाकर उसकी सकारात्मक एवं नकारात्मक व्याख्या की जाने लगी है|

**xvi. विज्ञान पत्रकारिता**

21 वी शताब्दी को विज्ञान का युग कहा जाता है| वर्तमान में विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है| इसने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है| हम अपनी छोटी-छोटी आवश्यकता के लिए विज्ञान पर आश्रित हो गए हैं | संपूर्ण देश अपने विकास के लिए वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति कृतज्ञ हैं| विज्ञान पत्रिकारिता हमे विज्ञान की उपलब्धियों से उद्योग, कृषि, चिकित्सा, अभियांत्रिकी आदि से मिलनें वाले लाभों से अवगत करातीहै|' विज्ञान प्रगति' विज्ञान कला' विज्ञान कीर्ति' विज्ञान जगत' आदि पत्रिकाएँइस क्षेत्र में काम कर रहीं है|

**xvii. रेडियो पत्रकारिता**

रेडियो देश का सशक्त संचार माध्यम है|रेडियो की भाषा संक्षिप्त, स्पष्ट और सरगर्भित होती है| रेडियो समाचार और सूचना तत्परता से प्रसारित करता है| इस की जानकारी इस से प्रसारित समाचार विश्वसनीय और उपयोगी होते हैं| रेडियो पत्रकारिता आज मीडिया के दौर में भी काफी विकसित हो रही है|

**xviii. टेलीविजन पत्रकारिता**

गत वर्षों में टेलीविजन पत्रकारिता का पर्याप्त विकास हुआ है| दूरसंचार क्रांति में सेटेलाइट, इंटरनेट के विकास के साथ ही इस माध्यम का इतनी तेजी से विकास हुआ है | आज इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती| इसे मुख्यतः तीन भागों में रखा जा सकता है - सूचना, मनोरंजन और शिक्षा| समाचारों की अधिकता और प्रमाणिकता तथा मनोरंजन के साथ

सांस्कृतिक, साहितिक, ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का प्रसारण इस से होता है| दूरदर्शन देश की एकता, अखंडता और जीवन मूल्यो का पोषण भी है|

### xix. वैकल्पिक पत्रकारिता

मीडिया स्थापित राजनीति- सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है और व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्यधारा का मीडिया कहा जाता है| इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करता है| इस तरह के मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है और वह मुनाफे के लिए काम करती है |उसका मुनाफा मुख्यतः विज्ञापन से आता है| इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है |आमतौर पर इस तरह की मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता है |उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते हैं और वह अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर होता है|

### xx. अपराध पत्रकारिता

अपराध से तात्पर्य है के समाज के प्रचलित कानूनों के विरुद्ध किया गया कार्य या कानूनों का अतिक्रमण अथवा नैतिकता के विरोध किया गया कोई कार्य| राजनीतिक समाचार के बाद अपराध समाचार ही महत्वपूर्ण होते हैं| बहुत से पाठकों व दर्शकों को अपराध समाचार जानने की भूख होती है इसी भूख को शांत करने के लिए ही समाचार पत्रों व चैनलों में अपराध डायरी, बहुत सनसनी

वारदात, क्राइम फाइल जैसे समाचार कार्यक्रम प्रकाशित एवं प्रसारित किए जा रहे हैं |पत्रकारिता का कर्तव्य है कि वह आपराधिक घटनाओं की छानबीन कर के वास्तविकता सामने लाए और कर्तव्य पालन की सीख समाज को दे |जिससे समाज नैतिक मूल्यों की रक्षा की जा सके|

### xxi. विशेषीकृत पत्रकारिता

पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं को सूचना देना मात्र नहीं है| पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करें और आम पाठक को बताएं की उस समाचार का क्या महत्व है| इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है| पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के सात प्रमुख क्षेत्र है| इसमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता और फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल हैं| इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है|

### xxii. विधि पत्रकारिता

लोकतंत्र के चार स्तंभ में विधि व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है| नए कानून ,उनके अनुपालन और उसके प्रभाव से लोगों को परिचित कराना बहुत ही जरूरी है| इस पत्रकारिता के अंतर्गत देश के कानूनों, मौलिक अधिकारों ,मानहानि ,अदालत- अवमानना अपमान लेख ,सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ संबंध ,भारतीय डाक तार अधिनियम, समुद्र सीमा शुल्क, कॉपीराइट आदि अनेक विधियां आ जाती हैं| एक सफल विधि पत्रकार को इस प्रकार की विधियों और कानूनों की

जानकारी होनी चाहिए| इस पत्रकारिता का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधी को सजा देना से लेकर शासन व्यवस्था में अपराध रोकनेतथा लोगों को न्याय प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है|

**xxiii. फोटो पत्रकारिता**

फोटो पत्रकारिता ने छपाई तकनीक के विकास के साथ ही समाचार पत्रों में स्थान बना लिया है| कहा जाता है कि जो बात हजार शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती वह एक तस्वीर कह देती है| फोटो टिप्पणी का असर व्यापक और सीधा होता है| इसके साथ साथ ऐसी घटना जिसमें सबूत की जरूरत होती है वैसे समाचारों को फोटो के साथ पेश करने से उनकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है|टेलीविज़न की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओ में तस्वीरों के प्रकाशन पर ज़ोर बढ़ा है|वैज्ञानिक उपकरण,प्राकृतिक दृश्य ,फैशन शो आदि के फोटो सच्चाई को जों का त्यों प्रस्तुत करते हैं|इस केलिएकुशल फोटोग्राफर की आवशकता होती है|

**xxiv. वीडियो पत्रकारिता**

संपूर्ण बुद्धिजीवी जगत को वीडियो क्रांति ने अत्यंत आकर्षित किया है|' इंडियन ' बुक हाउस' न्यू वीडियो कैमरे पर एक पत्रिका का मूवी वीडियो का प्रकाशन सन 1988 में प्रारंभ किया था|' इन साइट' और ' न्यूज़ ट्रैक ' जैसी अंग्रेजी वीडियो समाचार पत्रिकाओं के बाद अब हिंदी में भी वीडियो पत्रकारिता का जन्म हो चुका है| फिल्म वीडियो पत्रिकाओं की सफलता से प्रेरित होकर मद्रास की' रणभूमि विजन' रामायण, महाभारत , वेद- पुराण से संबंधित गुण भूमि वीडियो पत्रिका प्रकाशित

की है |सन 1988 में अपना सफर शुरू करने के बाद वीडियो पत्रकारिता का धीरे-धीरे विकास और विस्तार हो रहा है|वीडियो पत्रकारिता में सच्चाई की अधिकाधिक खबरें एवं सनसनीखेज खबरें प्रकाशित होती हैं|

**xxv. चित्रपट पत्रकारिता**

फिल्म जगत से जुड़े समाचार व रोचक लेख ही चित्रपट पत्रकारिता कहलाते हैं |फिल्मी कलाकारों की लोकप्रियता बढ़ने से उनके निजी जीवन के किस्से ,रोमांस,रोचक सामग्री लोग पढ़ना चाहते हैं|फिल्मों कीसमीक्षा,फिल्म उद्योग से संबंधित जानकारी या समाचार पत्र-पत्रिकाओ में प्रकाशित होते हैं|

**xxvi. अंतरिक्ष पत्रकारिता**

आधुनिक काल में कृत्रिम उपग्रह ही सूचना के स्तंभ है इन्हीं उपग्रहों के कारण संचार की दुनिया में क्रांति आई है |अंतरिक्ष संचार प्रणाली के कारण समाचारों और चित्रों का संप्रेक्षण हो रहा है|अंतरिक्षयान की सहायता से लेख समाचार ,फोटो,विज्ञापन,एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र मेतुरंत भेजने मे सहयता मिलती है|संप्रेक्षण और प्रकाशन के क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तन अंतरिक्ष पत्रकारिता के अंतर्गत आकर उसका रूप बदल रहे हैं|

**xxvii. संदर्भ पत्रकारिता**

इस पत्रकारिता में जो लोग कार्य करते हैं वह स्तंभ-लेखकों, संवाददाताओं, प्रशासनिक अधिकारियों तथा संपादकों को आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ की आपूर्ति करते हैं| यह लोग

पत्रकारिता तथा पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं तथा पुरानी कतरनो लेखों ,संदर्भ ग्रंथों और चित्रों द्वारा उनकी सहायता करते हैं इन्हें संस्थान के विश्वकोश भी कहा जाता है|संदर्भ के लिए लेख लिखते समय पत्र-पत्रिका मे पहले प्रकाशित सामग्री की अवश्यकता होती है|

**xxviii. कार्टून पत्रकारिता**

कार्टून लगभग हर समाचार पत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं | एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय है| इनकी चुटिली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती |

**xxix. सनसनीखेज पत्रकारिता**

दूरदर्शन में सनसनीखेज पत्रकारिता ने अपना विस्तृत स्थान बना लिया है| इसमें हर बात को सनसनी रूप में और तेज तरार भाषा में प्रस्तुत किया जाता है| हिंदी समाचार चैनलों पर तो इसका बहुत प्रयोग बहुत बढ़ गया है |दशकों में समाचार के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए जानबूझकर समाचार को दिखाने से पूर्व नाटकीय शैली और सनसनीखेज रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है ताकि दर्शक सोचने लगे कि आखिर इस समाचार में है क्या ?तथा इस बात की वास्तविकता क्या है? सनसनीखेज पत्रकारिता के कारण हिंदी पत्रकारिता में एक आतंक पूर्ण रूप ले लिया है| उतेजनात्मक,हिंसात्मक विस्मयकारी समाचारों को इस में महत्ता मिलने से यह पत्रकारिता जनता को कलंकित करती है|इस का उदेश्य सस्ती लोकप्रियता है|

**xxx. आध्यात्मिक पत्रकारिता**

भारत देश धर्म परायण विषयों और दार्शनिकों का माना जाता है| अध्यात्म से मानव को शांतिपूर्ण जीवन की प्राप्ति होती है| आध्यात्मिक पत्रकारिता से शत्रुओं का नाश कर अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है| जीवन के रहस्य को जानने का मूल मंत्र अध्यात्मिक पत्रकारिता से मिलता है|

**xxxi. सर्वोदय पत्रकारिता**

इस पत्रकारिता को करने वाले पत्रकार को अत्यंत धैर्य और संयम से काम करना पड़ता है| सरकार के मन में किसी वर्ग ,जाति, धर्म या संप्रदाय के प्रति किसी भी प्रकार के राग द्वेष का त्याग करता है| वह सभी लोगों के उदय, उनकी उन्नति के लिए सोचता है और प्रत्येक समाचार में अपने 'सर्वजन हिताय' दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है| महात्मा गांधी जी ने'मेरी जिंदगी मेरा संदेश' में अपना पत्रकार व्यक्तित्व सामने लाया था| 'हरिजन', 'नवजीवन', 'खादी जगत', 'ग्रामराज', 'हरिजन सेवा' आदि पत्रिकाएं इस क्षेत्र में योगदान निभा रही हैं| इसी प्रकार गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित रचनाएं भी इसी पत्रकारिता का उदाहरण कहीं जा सकती हैं|

**xxxii. साहित्यिक पत्रकारिता**

साहित्य समाज का दर्पण होता है| पत्रकारिता साहित्य संप्रेक्षण का उत्कृष्ट माध्यम है साहित्यिक पत्रकारिता एक रोचक क्षेत्र है| साहित्य क्षेत्र की गतिविधियां ,नए प्रकाशन, आलोचना ,संक्रमण, साहित्यकारों से भेंट वार्ता आदि इस क्षेत्र में आते हैं |कवि वचन सुधा, पीयूष, प्रवाह ,विशाल भारत, कादंबिनी आदि पत्र-पत्रिकाओं ने इस क्षेत्र में विशिष्ट भूमिका निभाई है|

### xxxiii. पर्यावरण पत्रकारिता

आदिकाल से मानव की प्रकृति के प्रति गहरी संवेदना रही है|मनुष्यप्राकृतिक संपदा की रक्षा करना चाहता है| पर्यावरण पत्रकारिता का काम केवल वायु, जल ,भूमि आदि प्रदूषण की जानकारी देना नहीं है बल्कि गंभीर संकट से अवगत करके मानव को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रेरित करना है| शुद्ध पर्यावरण सजग पत्रकारिता से संभव है|

### xxxiv. शिक्षा पत्रकारिता

शिक्षा मनुष्य को संस्कृत बनाकर उसके व्यक्तित्व का विकास करती है| संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणापत्र में सभी के लिए शिक्षा का अधिकार स्वीकृत है| प्रत्येक राज्य का शिक्षा विभाग पत्रिकाएं प्रकाशित करता है| ज्ञान की एक शाखा से दूसरी शाखा में मनुष्य की स्वतंत्र गतिशीलता बढ़ाने में शिक्षा पत्रकारिता महत्वपूर्ण योगदान निभाति है|'नया शिक्षक और शिक्षा'', नई तालीम'', भारतीय शिक्षा',' भारती',' शिक्षक बंधु' और शिक्षा पत्रिकाएँ स्तरीय शिक्षा पत्रिकाएँ रही हैं|

## 4.4 पाठ के आगे का मुख्य भाग

### 4.4.1 पत्रकारिता और संपादक

पत्रकारिता मनुष्यता के बीच संवाद की कड़ी भी है और समाज की गतिविधियों का दर्पण भी है| मानव सभ्यता के दैनिक इतिहास की रचना संपादक के नेतृत्व में संपादन और संपादकीय विभाग द्वारा की जाती है| किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका अथवा अन्य जनसंचार माध्यम स्तर उसके

संपादन व संपादकीय विभाग पर निर्भर करता है|इसीलिए संपादन विभाग पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है| संपादकीय विभाग जितना सक्रिय, योग्य, और व्यवहारिक होगा वह मीडिया उतना ही अधिक प्रचलित और ख्याति को प्राप्त होगा| किसी समाचार पत्र या पत्रिका की प्रतिष्ठा, उसका नाम, उसकी छवि, उसके संपादक के नाम के साथ बनती और बिगड़ती है| जैसे किसी फिल्म की सफलता उसके निर्देशन पर निर्भर करती है वैसे ही एक अच्छे अखबार की प्रतिष्ठा संपादक के निर्देशन से बनती है| संपादक अपनी प्रतिभा, योग्यता और अनुभव से संपादकीय पृष्ठ के लिए राजनैतिक ,सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य समसामयिक विषयों पर पर आधारित नवीन और समसामयिकविचार,टिप्पणी,लेख एवं समीक्षाएं आदि द्वारा समाचारपत्र को लोकप्रियताबढ़ाता हैं|

### 4.4.2 संपादक, संपादकीय विभाग और संपादन

संपादन,संपादकीय विभाग और संपादक पूरा संपादन कार्य संपादक की देख रेख मे संपन्न होता है|किसी भी कार्य को अंतिम रूप देना जिस रूप में उसे प्रस्तुत करना है संपादकीय टीम करती है|संपादन और संपादकीय किसी भी समाचार पत्र पत्रिका के लिए महत्वपूर्ण शब्द हैं| संपादन का तात्पर्य किसी भी समाचार पत्र पत्रिका के लिए समाचारों ,लेखों,का चयन,उस को क्रमबद्ध करना, सामग्री का प्रस्तुतिकरण निश्चित करना, संशोधितकरण, उस की भाषा ,व्याकरण और शैली में सुधार एवं विश्लेषण करना, और उसे पाठकों के लिए पठनीय बनाना है| संपादन कार्य को संपादित करने हेतु संपादक के नेतृत्व में कार्य करने वाली टीम को संपादकीय विभाग कहा जाता है| संपादकीय विभाग के प्रत्येक सदस्य का कार्य चुनौतीपूर्ण होता है |

### 4.4.3 संपादन का अर्थ

समाचार पत्र कार्यालय में विभिन्न स्त्रोतों से समाचार प्राप्त होते हैं जिन्हेसंवाददाता भेजते हैं, एजेंसी भेजती हैं, कई बार विभिन्न संस्थाओं और राजनीतिक दलों की ओर से प्रेषित किए जाते हैं| इन सब को समाचार कक्ष में'डेस्क' पर इकठा किया जाता है| सारी सामग्री अलग-अलग तरह की होती है| उप संपादक इन सब प्राप्त समाचार सामग्री की छटनी और वर्गीकरण कर के उनमें यथावश्यक सुधार करते हैं, काटते छाटतें हैं या विस्तृत करते हैं तथा उन्हें प्रकाशन योग्य बनाते हैं| यह पूरी प्रक्रिया संपादन के अंतर्गत आती है| इस प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक स्रोतों से प्राप्त समाचारों को सगंठित कर , एक आदर्श समाचार कथा तैयार करना, आवश्यकता पड़ने पर उन में पारिवर्तन करना ,उन्हे पुन लेखन करना इत्यादि बातें सम्मिलित है| इसलिए संपादन पत्रकारिता की वह कला है जो समाचार को पाठकों के लिए रुचिकर, मनोरंजक, तथ्यपूर्ण व ज्ञानवर्धक बनाकर प्रस्तुत करती है|

### 4.4.4 संपादक का दायित्व

किसी भी समाचार पत्र पत्रिका में संपादकका कार्य महत्वपूर्ण होता है और चुनौतीपूर्ण भी| वह संपादन विभाग में कार्यरत सभी सदस्यों का कुशल नेतृत्व करता हुआ अपने पत्र की प्रतिष्ठा को कायम रखता है|संपादक संपादन मंडल के लिए पथ प्रदर्शक है| पत्रसंपादन आसान काम नहीं है|क्यो की यह परिश्रम साध्य एवं बौद्धिक कार्य है| इसमें मेधा, निपुणता और अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है| एक ध्रुव तारे की तरह से संपादक अपनी टीम को सही रास्ता दिखाते हैं| जब

समाचार कार्यालय में विभिन्न स्त्रोतों से समाचार प्राप्त करते हैं| पूरी समपादकीय प्रक्रिया सारी प्रक्रिया में संपादक एक मार्गदर्शक का काम करता है| संपादक का कार्य केवल काँट छांट के निर्देशन तक ही सीमित नहीं है, उस में अनुवाद करना, समाचारों, को वैचारिक दृष्टि से समीक्षा कर,परिवर्तन कर उस को एक प्रभावित रूप भी देना भी सम्मिलित हैं| वह खबरों की प्रमाणिकता और निष्पक्षता के बारे में पूर्ण जाँच कर संतुष्ट होकर ही ख़बरों को छपने की स्वीकृति देता है|

सन्नी थामस के शब्दों में' संपादक सभ्यता का प्रकाश स्तंभ होता है| ज्ञान का यह प्रकाश स्तंभ होता है जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा जीवन के प्रति उच्च लक्ष्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होता है| ग्रीक विचारको के अनुसार संपादक की समाज में महत्ता महान दार्शनिक सुकरात जितनी है|सम्पादक का चिंतन उन समसामयिक व्यक्तियों की सोच की सोच को प्रभावित करता है जो अपने कामों से इतिहास की रचना करते हैं|

कार्लाइन ने संपादक को सच्चा सम्राट और धर्मोपदेशक माना है| माखनलाल चतुर्वेदी ने संपादकीय कार्य को अयाचित अथवा स्वयं स्वीकृत सेवा माना| वस्तुतः संपादक के प्रति समर्पित होता हैउस की कलम में| देश की धड़कन और जन-जन की संवेदनाएं छिपी रहती हैं| अतः संपादक पर सामाजिक, राजनीतिक, और राष्ट्रीय दायित्व होता है| सी ई मोंटेग्यू ने संपादक को स्नायु मंडल का मेधा केंद्र कहा है| नवभारत टाइम्स के पूर्व संपादक अक्षय कुमार जैन के अनुसार:

"हिंदी का पाठक वर्ग तो संपादक को अपना मित्र नेता और परामर्शदाता सब कुछ मानता है| जनसंपर्क और नेतृत्व का अच्छा ज्ञान उसे होना चाहिए| “एडोल्फ मायर का कहना है कि " लाखों

पाठकों के लिए संपादक ही समाचार पत्र होता है|" प्रेस और उस तक पंजीकरण अधिनियम 1807 के अनुसार संपादक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री के चयन को नियंत्रित करता है संपादक का समाचारपत्र या पत्रिका में का दायित्वपूर्ण कार्य होता है |

### 4.4.5 संपादक के गुण और योग्यता

संपादक अपने व्यक्तित्व से समाचार पत्र को विशिष्टता प्रदान करता है|एक सफल संपादक में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| सत्यनिष्ठा | ईमानदारी | निष्पक्षता | नेतृत्व क्षमता एवं योग्यता | भाषा का ज्ञान | एक अच्छा चिंतक |
| निर्भीकता | तकनीकी ज्ञान | धैर्यशीलता | प्रभावशाली अभिव्यक्ति | विनोद प्रियता | संवेदनशीलता |
| उदारता का गुण | तीव्र स्मरण शक्ति | प्रेस कानूनों का ज्ञान | दूरदृष्टि | निर्भयता | स्पष्टवादिता |
| आत्मानुशाशान | गतिशीलता | रचनात्मक लेखन | क्षमता | कल्पनशीलता | विवेचना शक्ति |
| निर्विकार मस्तिष्क | न्यायप्रियता | सावधानी | उत्तरदायित्व की भावना | कार्यशीलता | उत्साह |
| | लगन | सहानुभूती | स्वाभिमान | | |

#### i. सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता

एक संपादक के लिए ईमानदार, सत्यनिष्ठ और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है| उस की निष्पक्षता से उस के समाचार संगठन की साख बनती है| यह प्रतिष्ठा तभी बनती है जब संपादकीय टीम

बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाएगी| पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा खम्बा कहा जाता है| पत्रकारिता की राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन मे अहम भूमिका है| निष्पक्षता का अर्थ तट्स्थ्ता नहीं है| इस लिए सही और गलत, अन्याए और न्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकती बल्कि निष्पक्ष होते हुए भी सही और न्याय के साथ होती है| संपादक की निष्पक्षता पूरी टीम के लिए एक अनुसरण का उदाहरण बनती है|

**ii. नेतृत्व क्षमता एवं योग्यता**

संपादक अपने समाचार पत्र का मुखिया होता है उसके साथ उपसंपादक, सहसंपादक, संवाददाता, टेक्नीशियन व समाचार पत्र के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारी काम करते हैं| इन को साथ लेकर चलना और उन से काम करवाना संपादक का ही कार्य है| इन कार्यों को सुचारु रूप से तभी किया सकेगा जब उसमें सबको नेतृत्व करने की क्षमताया योग्यता होगी|

iii. भाषा का ज्ञान समाचार पत्र जिस भाषा में प्रकाशित होता है संपादक को उस भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए तभी वह अपने संपादकीय लेखों को प्रभावशाली ढंग से लिख सकेगा और उप संपादकों और सहायक संपादकों के साथ लिखी गई सामग्री की भलीभांति जांच कर सके गा| सरल भावों या विचारों को भी शुद्ध एवं प्रभावशाली भाषा में किए जाए तो पाठक को आकर्षित करने एवं प्रमाणित करने में सफल होते हैं|

**iv. एक अच्छा चिंतक**

संपादक का काम एक दार्शनिक या विचारक की तरह होता है|संपादक का चिंतन हर उस व्यक्ति प्रभावित करता है जो देश निर्माण के क्रिया कलापों से जुड़े हैं | पत्रकारिता के प्रतिदिन के इतिहास की रचना में समपादकीय पृष्ठमें एक संदेश छुपा होता है|

**v. निर्भीकता**

श्रेष्ठ और सुयोग्य संपादक मे निर्भीकता का गुण होना आवश्यक है |वह भीड़ के अनुसार अपना मत नहीं बनाता, सम्मान के पीछे नहीं भागता बल्कि चिन्तन के आधार पर निर्भीकता पूर्वक अपनी राय देता है| वह सच्चाई बताने मे कभी नहीं हिचकता| वह शासन को भी खरी खरी सुनाने की हिम्मत रखता है| उस की स्पष्टवादिता के पीछे लोक हित तथा सार्वजनिक कल्याण की गहरी भावना होनी चाहिए|

**vi. तकनीकी ज्ञान**

संपादन एवं प्रकाशन संबंधी तकनीक का ज्ञान होना एक संपादक के लिए अनिवार्य है आज के युग में समाचार पत्रों के प्रकाशन की नई नई तकनीक आ रहीं हैं| जिन के सहयोग से समाचार पत्रों का प्रकाशन ने केवल आकर्षक रूप में ही किया जा सकता है अपितु सस्ता भी पड़ता है| इसलिए कुशल संपादन एवम प्रकाशन के लिए संपादक को सभी तकनीकों का ज्ञान होना आवश्यक है|

**vii. धैर्यशीलता**

हर प्रकार के काम करने वाले मनुष्य में धर्यशीलता का गुण होना चाहिए| अधीर व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता| फिर समाचार पत्र तो समाज का मुख समझा जाता है| इसलिए उसमें

बिना सोचे समझे कुछ भी जल्दी में लिखने से एक समाचार पत्र की छवि धूमिल होगी और समाज में गलत संदेश पहुंचेगा| इसलिए ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए संपादक का धैर्यशील होना अनिवार्य है| तभी वह सोच समझ कर अपने समाचार पत्र की नीतियों को सही ढंग से निर्धारित कर सकेगा|

**viii. प्रभावशाली अभिव्यक्ति**

संपादकीय लेखों में संपादक व समाचार पत्र के स्वामियों की नीति व विचारधारा होती है| यह स्पष्ट रूप से तभी झलक सकेगी जब संपादक की अभिव्यक्ति क्षमता सबल होगी| एक कुशल संपादक ही विषय को उसकी पूरी पृष्ठभूमि में विवेचन- विश्लेषण करके प्रभावशाली ढंग प्रस्तुत कर सकता है तभी पाठक उसे गहराई से समझ सकेंगे|

**ix. विनोद प्रियता**

संपादक का कार्य बहुत गंभीर कार्य होता है| संपादक जहां गंभीर से गंभीर समस्याओं पर घटनाओं का विश्लेषण करता है तो वही वह कभी शिष्ट हास्य द्वारा मनोरंजन करता है तो कभी व्यंग करके पाठकों को वस्तुस्थिति से अवगत कराता है| इसलिए संपादक में विनोद प्रियता का गुण भी होना चाहिए|

**x. संवेदनशीलता**

यद्यपि संपादक का कार्य अत्यंत तथा तटस्था वाला कार्य है किंतु समाचार पत्र जन सामान्य से भी जुड़े रहते हैं| अतः उन्हें मानवीय संवेदना को समझना और उनका पक्ष लिया जाना अनिवार्य

होता है| यह कार्य मानवीय संवेदनाओं संयुक्त संपादक ही सफलतापूर्वक कर सकता है| आज के भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग में संवेदनशील संपादक अपने संपादकीय लेखों द्वारा मानवीय संवेदना को जागृत कर सकता है| इससे समाज व देश में आपसी सहयोग और दुख- सुख में साथ देने की मानवीय चेतना का विकास होगा|

### xi. उदारता का गुण

संपादक में उदारता का गुण होना अति आवश्यक है| उसे दूसरों को भी श्रेय देने की उदारता अपने अंदर पैदा करनी चाहिए| अगर वह अपनी टीम के सदस्यों को उनके द्वारा की गई मेहनत का श्रेय देता है तो इससे न केवल उसका बड़प्पन जाहिर होता है बल्कि वह अपनी टीम को और अधिक मेहनत से काम करने का वातावरण भी देता है| संपादक जितना ज्यादा श्रेय दूसरों को देगा उसे उतना ही ज्यादा सम्मान मिलेगा| संपादक अपनी टीम का कप्तान होता है इसलिए अपनी टीम को उत्साहित रखना उसका फर्ज है|

### xii. तीव्र स्मरणशक्ति

तीव्र स्मरण शक्ति संपादक की अतिरिक्त योग्यता है|घटनाओ का क्रमश: प्रस्तुतिकरण स्मरणशक्ति पर निर्भर करता है| कई बार समाचारों में कुछ महीनों या कुछ वर्ष पुराने तथ्यों को देना आवश्यक होता है| ऐसी परिस्थिति में संपादक अपनी टीम की सहयता कर सकता है|किसी व्यक्ति ने कब , कहाँ, क्या कहा? अमुक घटना कहाँ, किस प्रकार घटी ? अमुक व्यक्ति जीवित है

या नहीं आदि की जानकारी समरण शक्ति पर निर्भर है| संपादक का अनुभव लेखों का विवेचन करने और तर्कशील बनाने में कारगर सिद्ध होगा |

### xiii. प्रेस कानूनों का ज्ञान

संपादक को प्रेस कानूनों का प्रयाप्त ज्ञान होना आवश्यक है| उस की टीम की तनिक सी लापरवाही समाचार पत्र , संस्थान को संकट में डाल सकती है|

### xiv. अतिरिक्त गुण

उपरोक्त गुणों के अलावा संपादक की दूरदृष्टि,निर्भयता और स्पष्टवादिता, आत्मानुशाशान, गतिशीलता, रचनात्मक लेखन, क्षमता और कल्पनशीलता जैसे गुण समाचार पत्र को विशिष्टता प्रदान करे गें | यह भी जरूरी है कि उस में अपने सहयोगी उपसंपादक और संवदाता, रिपोर्टर, समालोचक, लेखक आदि समपादकीय विभाग से संबंध रखने वाले कर्मचारियों के सभी गुण होने चाहिए| उस के अध्ययन में व्यापकता और चिंतनशीलता समाचार पत्र या पत्रिका का स्तर श्रेष्ठ बनाती हैं| एक अच्छे संपादक में विवेचना शक्ति, निर्विकार मस्तिष्क, न्यायप्रियता, सावधानी, उत्तरदायित्व की भावना, कार्यशीलता, उत्साह, लगन, सहानुभूती, स्वाभिमान आदि अनेक गुण और योग्यताएँ भी होनी चाहिए|

## 4.5 स्वयं-प्रगति जाँच

अ) निम्नलिखित वाक्यों में दिए पर्यायों में से सही पर्याय चुनकर वाक्य फिर से लिखें|

1. जर्नलिज्म शब्द..... से निकला है|

(क) जर्नल (ख) जर्मन (ग) जापान(घ) जनतंत्र

2. भारत की 80% जनता..... पर निर्भर है

(क) पत्रकारिता (ख) कृषि(ग) उद्योगों (घ) रेडियो

3. ..... को लोकतंत्र का चौथा खंबा कहां जाता है|

(क) उद्योग (ख) कृषि (ग) वैज्ञानिक(घ) पत्रकारिता

4. खोजी पत्रकारिता में समाज में व्याप्त..... की खोज करते उन्हें प्रकाश में लाया जाता है|

(क) गरीबी व भुखमरी भूखमरी (ख) भ्रष्टाचार व घोटाले(ग) गुमशुदा (घ) हीरे जवाहरात

5.सम्पादक वह व्यक्ति है जो समाचार पत्र के----------कार्य का निर्देशन और निरीक्षण करता है|

(क) वेतन (ख) नियुक्ति (ग) फीचर लेखन (घ) संपादकीय

(आ) निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए|

1. अंग्रेजी शब्द जर्नलिज्म का हिंदी अनुवाद क्या है?

2. पत्रकारिता किसे कहा जाता है?

3. श्री रामकृष्ण रघुनाथ खंडिलकर के अनुसार पत्रकारिता किसे कहते हैं?

4.मानक हिंदी कोश, के अनुसार पत्रकारिता क्या है?

5. पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है?

## 4.6 सारांश

- पत्रकारिता एक कलात्मक कार्य है जो लोगो में दायित्व बोध का कार्य करती है| पत्रकारिता एक सशक्त माध्यम है जिस में सामयिक घटनाओ को शब्द और चित्रण के माध्यम से जन जन तक आकर्षक ढंग से पेश किया जाता है | आकाशवाणी, दूरदर्शन, संगणक आदि माध्यम भी पत्रकारिता से जुड़े हैं|
- अपने आसपास की चीजों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है| उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल है| यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है| जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की जरूरत नहीं रहेगी |
- पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के जनरलिज्म का हिंदी रूपांतर है|
- पत्रकारिता जनसेवा का सशक्त माध्यम है| इससे मानव जीवन की व्यवस्थाएं और नित्य घटित होने वाली घटनाएं शीघ्रतिशीघ्र विश्व भर में पहुंचती हैं| विश्व के समाचारों और घटनाओं को संकलित करना, उनका विवेचन करना, खबरों का विवरण करना पत्रकारिता का उद्देश्य रहा है| पत्रकारिता की शक्ति से समाज की कमियों , गलतियां और दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाता है| विचारों को जनता तक पहुंचाने का साधन पत्रकारिता है| दुनिया भर के सभी विषय पत्रकारिता की परिधि में आते हैं|
- पत्रकारिता विज्ञान की देन है| पत्रकारिता का प्रथम स्वरूप अखबार है| आज के वैज्ञानिक युग में सूचना व संचार माध्यमों की नई तकनीकों के कारण पत्रकारिता के स्वरूप में

विकास और विस्तार हुआ है | आज नए संचार के माध्यमों से समाचार कुछ क्षणों में जनता तक पहुंच जाते है| ई-मेल से दुनिया की खबर मिनटों में मिलती है| खबरों के साथ दृश्यों को भी दर्शक देता है| संगणक के विकास से पत्रकारिता का स्वरूप विकसित हुआ है समाचार संकलन लेखन संपादन आदि कार्य सहज बन रहे हैं| इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास से भी पत्रकारिता के स्वरूप में विस्तार हुआ है|

- पत्रकारिता एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन होता है|
- पत्रकारों को आचारसंहिता का पालन करना चाहिए ताकि समाज में अराजकता और अशांति ना फैले|
- पत्रकारिता के कई प्रकार है जैसे खोज परक, वॉच डॉग, एडवोकेसी, राजनैतिक, संसदीय, विकास, आर्थिक, ग्रामीण, कृषि, सांस्कृतिक, शैक्षिक, खेल, नारी, बाल, व्याख्यात्मक, विज्ञान, रेडियो, टेलीविजन, वैकल्पिक, अपराध, विशेषीकृत, विधि, फोटो, वीडियो, चित्रपट पत्रकारिता, अंतरिक्ष, संदर्भ, कार्टून, सनसनीखेज, आध्यात्मिक, सर्वोदय, साहित्यिक, पर्यावरण, शिक्षा पत्रकारिता|
- लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है| इसलिए राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में इसकी अहम भूमिका है| न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जैसे तीन स्तंभों को बांधे रखने के लिए पत्रकारिता एक कड़ी के रूप में काम करती है|
- संपादन संपादकीय विभाग पत्रकारिता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है जो हर समय गतिशील रहता है| संपादन कार्य को संपादित करने के लिए करने वाली टीम को संपादकीय

मंडल या संपादकीय विभाग कहा जाता है| संपादकीय विभाग प्रधान संपादक संपादक के नेतृत्व में काम करता है| संपादक का किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका ने महत्वपूर्ण स्थान होता है| संपादक के दिशा निर्देश अनुसार ही समाचार पत्र या पत्रिका का प्रकाशन होताहै|

- समाचार पत्र की छवि संपादक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है|
- एक सफल संपादक में निम्नलिखित गुण या योग्यताएँ होनी चाहिये जैसे सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, कार्यकुशलता, दूरदृष्टि, निर्भयता और स्पष्टवादिता, आत्मानुशासन, गतिशीलता, नेतृत्व, क्षमता, योग्यता, चिंतक निर्भीकता, तकनीकी ज्ञान रचनात्मक, लेखन क्षमता, कल्पनशीलता, उत्साह, सहानुभूती, लगन, उत्तरदायित्व की भावना, शांत, न्यायप्रियता, आदि| संपादक के यही गुण समाचार पत्र को विशिष्टता प्रदान करते हैं|

## 4.7 शब्दावली

- अभिव्यक्ति - विवरण, कथन, वर्णन
- विधयिका - विधान निर्मात्री (जैसे-विधान परिषद,विधान सभा, लोक सभा आदि)
- मुद्रण - छापने का काम
- विशिष्ट - पृथक,न्यारा,अनन्य,एकमात्र
- पीठिका - आधार
- प्रेषण - भेजना

## 4.8 स्वय मूलयांकन परीक्षा

1. पत्रकारिता का स्वरूप समझाइए।

2. पत्रकारिता के प्रकारों पर प्रकाश डालिए|

3. संपादक के गुणों और दायित्व पर प्रकाश डालिए|

4. संपादक को संपादन मण्डल का मुखिया क्यों कहते हैं?

5. संपादन के मूल्यो पर टिप्पणी कीजिए|

## 4.9 प्रगति मूलांकन हेतु प्रश्नोतर देखें

**अ)**

(1) जर्नल (2) कृषि (3) पत्रकारिता (4) भ्रष्टाचार व घोटाले (5) संपादकीय

**आ)**

1. अंग्रेजी शब्द जर्नलिज्म का हिंदी अनुवाद पत्रकारिता है|
2. समय और समाज के संदर्भ में सजग रहकर लोगों में दायित्व बोध निर्माण कराने की कला को पत्रकारिता कहा जाता है|
3. श्री रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर कर के अनुसार ज्ञान और विचार शब्दों तथा चित्रों के रूप में दूसरों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है|

4. मानक हिंदी शब्दकोश के अनुसार पत्रकारिता वह विधा है, जिसमें पत्रकारों के कार्यों कर्तव्यों उद्देश्यों आदि का विवेचन किया जाता है|

5. जिज्ञासा पत्रकारिता का मूल तत्व है।

## 4.10 संदर्भ ग्रंथ


1. प्रयोजनमूलक हिंदी — डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे, प्रमिला अवस्थी
2. प्रयोजनमूलक हिंदी — डॉक्टर अंबादास देशमुख
3. आधुनिक पत्रकारिता — डॉक्टर अर्जुन तिवारी
4. पत्रकारिता के नए परिपेक्ष — राजकिशोर
5. हिंदी पत्रकारिता: स्वरूप और संदर्भ — डॉ विनोद गोदरे
6. हिंदी पत्रकारिता और संचार — डॉ ठाकुर दत आलोक
7. पत्रकारिता के परिपेपेक्ष्य — राजकिशोर
8. पत्रकारिता की विभिन्न धाराएं — डॉ निशांत सिंह
9. हिंदी पत्रकारिता: आश्यवस्ति और आशंका — कृष्ण बिहारी मिश्र
10. पत्रकारिता के नए आयाम — एस के दुबे
11. समाचार संपादन — प्रेमनाथ चतुर्वेदी
12. पत्रकारिता एवं संपादन कला — एन. सी. पंत
13. संपादन कला — संजीव भानवत
14. पत्र संपादन कला — नंदकुमार देव
15. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदलते परिदृश्य — डॉ शालू सूरी

## Subject: Hindi Compulsory

| Course Code : BA 302 | Author : Vibha Malik |
|---|---|
| अध्याय संख्या : 5 | Editor |
| फीचर लेखन | |

5.1 अधिगम उद्देश्य

5.2 परिचय

5.3 अध्याय के मुख्य बिन्दु

5.3.1 फीचर : अर्थ, एवं महत्व

5.3.2 फीचर की विशेषताएँ

5.3.3 फीचर लेखन के तत्व

5.3.4 फीचर लेखन के प्रकार

(i) न्यूज फीचर अथवा समाचार फीचर

(ii) विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर

(iii) व्यक्तिपरक फीचर

(iv) त्यौहार, पर्व सम्बन्धी फीचर

(v) खोजपरक अथवा छानबीन पर आधारित फीचर

(vi) मनोरंजन, फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित फीचर

(vii) जनरूचि के विषयों पर आधारित फीचर

(viii) विज्ञान विचार

(ix) विज्ञान व तकनीकी पर केन्द्रित फीचर

(x) फोटो फीचर

(xi) इलैक्ट्रानिक मध्यमों के फीचर

(xii) चित्रात्मक फीचर

(xiii) व्यंग्य फीचर

(xiv) यात्रा फीचर

(XV) ऐतिहासिक फीचर

**5.3.5 फोचर की रचना और लेखन**

**5.4 पाठ के आगे का भाग**

**5.4.1 फीचर लेखन एवं छायांकन**

**5.4.2 फीचर और लेख में अन्तर**

**5.4.3 रेडियो और टीवी के लिए फीचर लेखन**

(i) रेडियो फीचर

(ii) टेलीविजन फीचर

**5.5 अपनी प्रगति जांचिए**

**5.6 सारांश**

**5.7 शब्दावली**

**5.8 स्वमूल्यांकन परीक्षा**

**5.9 प्रगति समीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर देखों**

**5.10 संदर्भ ग्रन्थ**

## 5.1 अधिगम उददेश्य

- फीचर के विभिन्न प्रकारों की जानकारी हासिल करेंगे।
- फीचर की रचना एवं लेखन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करेंगे।
- रेडियो और टीवी के लिए फीचर लेखन की बारिकियाँ समझ सकेंगे।
- फीचर और लेख में अन्तर को समझ सकेंगे।

## 5.2 परिचय

आज फीचर लेखन तथा उसके प्रस्तुतिकरण का आधुनिक पत्रकारिता में अत्यधिक महत्व हो गया है। समाचार अगर पत्रकारिता की रीढ़ है तो फीचर पत्रकारिता का सौन्दर्य बढ़ाने वाली शक्ति। पत्रकारिता में समाचार जहाँ तात्कालिक घटनाओं का तथ्यपूर्ण अभिलेख होता है तो रूपक यानी फीचर समाचार के तत्काल स्वरूप से अलग उसका विस्तार, उसका सचित्र प्रस्तुतिकरण या उसके जुड़े सम्पूर्ण घटनाक्रम का विवरण प्रस्तुत करता है। आधुनिक पत्रकारिता में अब स्थानाभाव के कारण समाचार लेखन में शब्दों की सीमा तय कर दी गई है और पत्रकार को उसी शब्द सीमा में सब कुछ कहना होता है। ऐसे में फीचर, पत्रकार के लिए मददगार के तौर पर काम करता है। फिचर में ग्राफिक्स, चित्रों, रेखाचित्रों और संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के जरिए बहुत छोटे स्थान में बहुत कुछ कहा, लिखा या प्रस्तुत किया जा सकता है। रूपक का विकास विवरणात्मक रचनाओं से हुआ है लेकिन शब्दों और सीन की सीमा के चलते अब फीचर भी संक्षिप्त होने लगे हैं। हालाँकि संक्षिप्त होने के बावजूद फीचर का महत्व कम नहीं हुआ है बल्कि और अधिक बढ़ गया है।

फीचर में समाचार के विस्तार को ही एक विशेष तकनीक के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए फीचर लेखक को यह पता करना होता है कि समाचार का मुख्य विषय या मुख्य पात्र कौन है? समाचार के मुख्य विषय के साथ जुड़े प्रमुख तत्व क्या है? लेखक को इस सबको प्रस्तुत करते समय उसमें व्यक्तिगत स्पर्श भी देना होता हैं? मानवीय भावनाओं के स्पर्श के साथ–साथ मनोरंजनक ढंग से प्रस्तुत फीचर अधिक लोकप्रिय होते है क्योंकि उनसे विषय के सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी के साथ–साथ पाठक, श्रोता या दर्शक का मनोरंजन भी होता है।

समाचार तथ्यों का विवरण तथा विचार देकर खत्म हो जाता है जबकि फीचर में घटना अथवा विषय के परिवेश, विविध पक्षों तथा उसके प्रभावों का वर्णन होता है। समाचार में लिखने वाले के फीचर अथवा उसके व्यक्तित्व की झलक नहीं होती जबकि फीचर में लेखक की विचारधारा, उसकी कल्पना शीलता के साथ–साथ उसके व्यक्तित्व की भी झलक मिलती है। फीचर में कथा तत्व की प्रधानता रहती है यानी उसके लेखन या प्रस्तुति

में सरलता और प्रवाह दोनों ही होते हैं। लेकिन फीचर कथा नहीं होता है। फीचर कल्पनागजगत की बातों में खो जाने के बजाय विषय की गहराई में जाकर पाठकों की जिज्ञासा को शांत करने का काम करता है।

फीचर लेखन एक कलात्मक काम है और किसी भी पत्रकार को अच्छा फीचर लेखक बनने के लिए –

1. विषय का गम्भीरता से अध्ययन करना चाहिए।
2. इस बात का प्रयास करना चाहिए कि फीचर सामयिक हो।
3. उसमें सूक्ति, मुहावरों, उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
4. उसमें रोचकता होनी चाहिए। मनोरंजक होने के साथ ही उसे शिक्षाप्रद भी होना चाहिए।
5. उसकी विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए छायाचित्रों, रेखाचित्रों आदि का भी उसमें पर्याप्त इस्तेमाल होना चाहिए।

## 5.3 अध्याय के मुख्य बिन्दु

### 5.3.1 फीचर

फीचर समाचारों के प्रस्तुतिकरण की ही एक विधा है लेकिन समाचार की तुलना में फीचर में गहन अध्ययन, चित्रों, शोध और साक्षात्कार आदि के जरिए विषय की व्याख्या होती है। उसका विस्तृत प्रस्तुतिकरण होता है और यह सब कुछ इतने सहज और रोचक ढंग से होता है कि पाठक उसके बहाव में बंधता चला जाता है। पत्रकारिता और साहित्य के विद्वानों ने रूपक की अलग–अगल परिभाषाएं गढ़ी हैं। एक परिभाषा के अनुसार ''रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। इसमें दैनिक समाचार, सामयिक विषय और बहुसंख्यक पाठकों की रूचि वाले विषय की चर्चा होती है। इसका लक्ष्य मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को जन उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना है।''

एक अन्य परिभाषा के मुताबिक ''फीचर समाचार मूलक यथार्थ, भावना–प्रधान और सहज कल्पना वाली रसमय एवं संतुलित गद्यात्मक एवं दृश्यात्मक, शाश्वत, निसर्ग और मार्मिक अभिव्यक्ति है।''

एक अन्य परिभाषा में तो फीचर को समाचार पत्र की आत्मा कह दिया गया हैं। '' The good newspaper is not just only paper and ink. The good newspaper lives. News is its life blood, leaders are its heart and features may be said to be its soul."

सामान्य शब्दों में कहें तो समाचार का काम तथ्य और विचार देकर खत्म हो जाता है। जबकि फीचर का काम इससे आगे का होता है। यह समाचार की पृष्ठभूमि का खुलासा करते हैं, विषय या घटना के जन्म और विकास का विवरण देते हैं। यह विषय अथवा घटना का पूरा खुलासा भी करते हैं और पाठक को कुछ सोचने के लिए भी विवश करते हैं। एक अच्छे फीचर की सार्थकता इसी बात में है कि वह अपने पाठकों के मन मस्तिष्क पर

कितना प्रभाव डालती है। फीचर लेखक घटना या विषय के बारे में अपनी प्रतिक्रिया या विचार भी पाठक को बुलाता है और इस तरह पाठक की कल्पना शक्ति को और उसकी वैचारिक मनःस्थिति को भी प्रभावित करता है।

फीचर का महत्व इसी बात में है कि यह कब, क्यों, कैसे, कहां और कौन को स्पष्ट करने वाले समाचार यानी न्यूज से आगे जाकर तथ्य कल्पना और विचार की संतुलित प्रस्तुति के जरिए अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ता है। फीचर का एक महत्व यह भी है कि यह पाठक के मन में किसी खबर को पढ़ने के बाद पैदा हुई जिज्ञासा को भी संतुष्ट करता है। आजकल समाचार पत्रों में फीचरों का उपयोग दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। यूरोप में जारी जबर्दस्त सर्दी और हिमपात पर भारतीय भाषाई अखबारों में विस्तृत समाचारों के लिए स्थानाभाव हो सकता है। लेकिन इसी विषय को महज एक छोटी सी जगह में एक सचित्र फीचर के जरिए प्रस्तुत कर अखबार अपने स्थानाभाव की समस्या भी मिल जाती है। इसी तरह किसी स्थानीय दुर्घटना के समाचार के साथ–साथ अगर उस तरह की अन्य घटनाओं का विवरण, रोकथाम के उपायों, प्रभावितों के अनुभव आदि एक सचित्र फीचर के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो इससे पाठक को सम्पूर्ण जानकारी एक साथ मिल जाती है। फीचर के इस उपयोग ने आज फीचर के महत्व को अत्यधिक बढ़ा दिया है।

इस बढ़ते महत्व के कारण फीचर लेखन भी अब पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण विधा हो गई है। इसी के साथ फीचर लेखकों का महत्व भी बढ़ता जा रहा हैं। आज समाचार पत्रों में फीचर डेस्क का महत्व भी बढ़ गया है और उनकी उपयोगिता भी। समाचार पत्रों में अब फीचर के कारण बेहतर प्रस्तुतिकरण और तात्कालिता पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। कई बड़े अखबार समूहों में अब केन्द्रीयकृत फीचर लेखन व्यवस्था भी शुरू हो गई है जिसके तहत महत्वपूर्ण विषयों पर फीचर तैयार कर अखबार के सभी संस्करणों के लिए भेज दिए जाते हैं। इंटरनेट और सूचना तकनीक के चमत्कारों ने आज फीचर लेखन को आसान बना दिया हैं। लेकिन इन्हीं चमत्कारों के आज फीचर लेखन के क्षेत्र में नई चुनौतियों भी खड़ी हो गई हैं। आज फीचर लेखन को इस चीज पर सर्वाधिक ध्यान देना पड़ता है कि उसके फीचर में सारे तथ्य एकदम सही हों, ताजे हो, समीचीन हों और वे पाठक की सारी जिज्ञासाओं का समाधान भी कर सकें।

### 5.3.2 फीचर की विशेषताएँ

किसी अच्छे फीचर की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न होती है–

1. फीचर का आरंभ रोचक होना चाहिए न कि नीरस, उबाऊ, क्लिष्ट और व्यर्थ की अलंकृत शब्दावली से भरा।
2. हृदय पक्ष से जुड़ा होने के कारण इसमें भाषागत सौंदर्य और लालित्य का विशेष स्थान है।
3. फीचर में अनावश्यक विस्तार से बचा जाना चाहिए। गागर में सागर भरना फीचर की अपनी कलात्मकता होती हैं
4. काव्य का सा आनंद देनवाले फीचर श्रेष्ठ फीचर हो सकते हैं।

5. फीचर में प्रयुक्त कल्पनाएं सटीक और सारगर्भित हो।

6. अपने विषय के सभी संबंधित पहलुओं को छूता चलता है। लेकिन विषयों का संतुलित वर्णन आवश्यक है।

### 5.3.3 फीचर लेखन के तत्व

फीचर और उसकी प्रमुख विशेषताओं को जानने के बाद इतना तो स्पष्ट हो जाती है कि फीचर लेखन भी पत्रकारिता क्षेत्र में अपनी तरह का एक विशिष्ट लेखन है, जिसके लिए प्रतिभा, अनुभव और परिश्रम की विशेष आवश्यकता होती है।

फीचर की विशिष्टता और उत्कृष्टता के लिए लेखक का उसकी भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए ताकि वह छोटे वाक्यों और कम शब्दों में लालित्यपूर्ण चमत्कार और सहजता बनाए रख सकें।

फीचर लेखक के पास कवि सा भावुक हृदय, समीक्षक का सा प्रौढ़ चिंतन, इतिहासकार या इतिहास बोध, वैज्ञानिक की सी तार्तिकता, समाजशास्त्री सा समाजबोध तथा भविष्य को परखने की क्षमता होनी चाहिए। फीचर लेखक को अपने परिवेश के प्रति पर्याप्त सजग होना चाहिए और उसके पास एक ऐसी सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए जो आसपास के विविध विषयों को फीचर का विषय बनाने की प्रेरणा दे सके।

### 5.3.4 फीचर लेखन के प्रकार

फीचर पत्रकारिता की एक बहुत ही विस्तृत विधा है। विषयों की विविधता और विस्तार को देखते हुए फीचर को निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैं।

1. **न्यूज फीचर अथवा समाचार फीचर** : ऐसे फीचर का मूलभाव समाचार होते हैं, किसी घटना पूर्ण विवेचन विश्लेषण इस के अंतर्गत किया जाता हैं। फीचर अथवा रूपक की यह सबसे प्रमुख श्रेणी है। आज अधिसंख्य फीचर समाचार आधारित ही होते हैं। दैनिक समाचार पत्रों के साथ–साथ पत्रिकाओं के लिए भी इसी तरह के फीचर आज एक अपरिहार्य जरूरत बन चुके हैं। इस तरह के फीचर समाचार को विस्तार भी देते हैं और जानकारियों को भी उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में इस तरह के फीचर लेखन में ग्राफिक्स, चित्र और रेखाचित्रों का खूब इस्तेमाल होने लगा है और इस वजह से फीचर का परम्परागत स्वरूप भी बदल रहा हैं।

2. **वि□ाश घटनाओं पर आधारित फीचर** : युद्ध, बाढ़, बम विस्फोट, हवाई दुर्घटना आदि पर आधारित फीचर किसी भी अखबार को विशिष्ट बना देते हैं। इस तरह के फीचर अब इलैक्ट्रानिक माध्यमों में भी खूब लोकप्रिय होने लगे हैं।

3. **व्यक्तिपरक फीचर** : व्यक्तिगत फीचर को व्यक्तिगत फीचर भी कहा जाता है। इसमें साहित्य, साहित्य, संगीत, चित्रकला, नाट्य, खेल जगत, राजनीतिक, विज्ञान, धर्म आदि क्षेत्रों में समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों–विशिष्ट व्यक्तियों पर फीचर लिखे जाते हैं अर्थात् किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व या उसकी किसी सामयिक उपलब्धि पर आधारित फीचर ही व्यक्तिपरक फीचर कहलाते हैं। उदाहरणार्थ

सचिन तेंन्दुलकर द्वारा टैस्ट मैचों में 50 शतक पूरे करने पर सभी समाचार पत्रों ने तेंन्दुलकर की उपलब्धियों पर कई तरह के फीचर प्रकाशित किए थे, 2 अक्तूबर के सुअवसर पर महात्मा गांधी पर चर प्रकाशित होते हैं।

4. **त्यौहार, पर्व संबंधी फीचर** : विभिन्न पर्वों और त्यौहारों के अवसर पर इस तरह के फीचर लिखने का प्रचलन हैं। इसमें त्यौहारों, पर्वों की मूल संवेदना उनके स्त्रोतों तथा पौराणिक संदर्भ के उल्लेख के साथ–साथ उन्हें आधुनिक संदर्भ में भी व्याख्यायित किया जाता हैं।

5. **खोजपरक अथवा छानबीन पर आधारित फीचर** : इस श्रेणी में वे फीचर शामिल हैं जिनके लेखन के लिए विशेष रूप से छानबीन की जाती हैं। तथ्यों की खोज की जाती हैं और लोगों से पूछताछ की जाती हैं। उदाहरणार्थ देश में बाघ संरक्षण की दशा–दिशा पर छानबीन कर लिखा गया कोई फीचर या उत्तराखण्ड की जलविद्युत योजनाओं के विश्लेषण पर लिखा गया कोई फीचर।

6. **मनारंज, फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित फीचर** : इस तरह के फीचर भी काफी लोकप्रिया माने जाते हैं क्योंकि यह सभी विषय मनोरंजन से सीधे–साधे जुड़े हैं। फिल्म तो अपने आप में फीचर की ही एक विधा हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों पर आधारित फीचर भी पाठकों और दर्शकों द्वारा पसंद किए जाते हैं।

7. **जनरूचि के विषयों पर आधारित फीचर** : इस तरह के फीचर स्थानीय पाठक अथवा दर्शकों की रूचि को देखते हुए लिखे जाते हैं। स्थानीय समस्याओं, महंगाई, सामाजिक विषयों आदि पर केन्द्रित फीचर इस श्रेणी में आते हैं।

8. **विज्ञान विचार** : नवीनतम वैज्ञानिक उपलब्धियों से पाठकों को परिचित कराने अथवा विज्ञान के ध्वंसकारी प्रभावों की जानकारी देने का यह सशक्त और महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

9. **विज्ञान व तकनीकी पर केन्द्रित फीचर** : विज्ञान की उपलब्धियों के अलावा खगोलीय घटनाओं, चिकित्सा जगत की नई खोजों, इंटरनेट व संचार क्रांन्ति आदि से जुड़े विषयों आदि पर केन्द्रित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के फीचर लेखन के लिए एक विशेष प्रकार की विशेषज्ञता जरूरी समझी जाती हैं।

10. **फोटो फीचर** : फीचर की यह एक और लोकप्रिय श्रेणी हैं। समाचारों में चित्रों के इस्तेमाल के जरिए किसी भी विषय को बहुत कम शब्दों में कहा जा सकता है। फोटो फीचर किसी एक विषय पर केन्द्रित भी हो सकते हैं और विभिन्न विषयों के कोलाज के रूप में भी।

11. **इलैक्ट्रानिक माध्यमों के फीचर** : रेडियो और टेलीविजन समाचारों में भी अब फीचर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। रेडियो रूपक तो पहले से ही काफी लोकप्रिय थे लेकिन अब टेलीविजन समाचार चैनल भी

फीचर का खूब इस्तेमाल करने लग गए हैं। डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक्स जैसे चैनलों के फीचर तो किसी भी दर्शक को बांध देते हैं।

12. **चित्रात्मक फीचर** : ऐसे फीचर जो केवल बोलते चित्रों के माध्यम से अपना संदेश पाठकों को दे जाते हैं। इसे फोटो फीचर कहते हैं।

13. **व्यंग्य फीचर** : सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य की ताजा घटनाओं पर व्यंग्य करते हुए सरस और चुटीली भाषा में हास्य को पुट देकर लिखे गए फीचर इस कोटी में आते हैं।

14. **यात्रा फीचर** : यात्राएं ज्ञानवर्धक और मनोरंजक साथ–साथ होते हैं। इन यात्राओं का प्रभावपूर्ण एवं मनोहारी संस्मरणात्मक चित्रण इन फीचरों में होता हैं।

15. **ऐतिहासिक फीचर** : अतीत की घटनाओं के प्रति मनुष्य की उत्सुकता स्वभाविक हैं। ऐतिहासिक व्यक्तियों, घटनाओं और स्मारकों और नई ऐतिहासिक खोजों पर भी भावपूर्ण ऐतिहासिक फीचर लिखे जा सकते हैं।

विषयवस्तु पर आधारित वर्गीकरण के अलावा भी फीचर की अनेक अन्य अनेक श्रेणियां हैं।र्ण नहीं होते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्मदिन, जयन्ती, प्रमुख राष्ट्रीय और धार्मिक पर्व लिखे जाने वाले फीचर इसी श्रेणी में आते हैं।

### 5.3.5 फीचर की रचना और लेखन

फीचर पत्रकारिता में की ए वर्तमान में ग्राफिक्स आधारित फीचर भी काफी लोकप्रिय हैं। व्यंग्य और हास्य चित्रों पर आधारित रूपक भी रूपक का एक अलग स्वरूप हैं। तिथियों पर आधारित रूपक भी कम महत्वपू क ऐसी विधा हैं। जिसमें लेखन को नियमों की किसी खास सीमा में नहीं बांधा जा सकता हैं। विकसित देशों में पत्रकारिता की एक विधा के रूप में फीचर लेखन बहुत लोकप्रिय हैं। चूंकि भारत में पत्रकारिता का जन्म और विकास राजनीति के साथ हुआ हैं इसलिए यहाँ फीचर की विकास यात्रा अपेक्षाकृत देर से शुरू हुई। यहाँ प्रारम्भिक पत्रकारिता में कलम का उपयोग तलवार के रूप में किया गया। आजादी के बाद के वर्षों में और विशेष रूप से आपातकाल के बाद के वर्षों में अखबारों ने राजनीति से इतर जीवन के वृहत्तर आयामों की खोज करने और जीवन को उसकी समग्रता में देखने समझने का काम तेज कद दिया था। इसी के चलते हमारे देश में फीचर लेखन की एक विशिष्ट शैली विकसित हुई। प्रिंटिंग टैक्नोलॉजी में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों ने फीचर लेखन की उपयोगिता, जरूरत और महत्व तीनों को द्विगुणित कर दिया हैं।

फीचर रचना का मुख्य नियम यह है कि फीचर आकर्षक, तथ्यात्मक और मनोरंजक होना चाहिए। वर्तमान में फीचर के लिए किसी खास प्रकार का ले आऊट, साज सज्जा, आकार–प्रकार या शब्द सीमा का बंधन नहीं रह गया हैं। आज कम से कम शब्दों में फीचर रचना को अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा हैं। इसी तरह अब एक

विषय पर एक बड़ी रचना के बजाय एक साथ छोटी–छोटी कई सूचनाओं–सामग्रियों को प्रस्तुत करके भी फीचर जाने लगे हैं।

मौटे तौर पर फीचर लेखन के लिए 5 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता हैं।

1. **तथ्यों का संग्रह** : जिस विषय या घटना पर फीचर लिखा जाना हैं उससे जुड़े, तथ्यों को एकत्रित करना सबसे जरूरी काम हैं। तथ्यों और जानकारी को जुटाए बिना फीचर की रचना हो हीं नहीं सकती। जितनी अधिक जानकारी होगी, फीचर उतना ही सहयोगी और रोचन बनेगा। तथ्यों के संग्रह में इस बात का भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि तथ्य मूल स्त्रोत से जुटाए जाएं और वह एकदम सही हों। गलत तथ्यों से फीचर का प्रभाव ही उल्टा हो जाता हैं।
2. **फीचर का उद्देश्य** : फीचर लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु फीचर के उद्देश्य का निर्धारण हैं। किसी घटना या विषय पर लिखे जाने वाले फीचर का उद्देश्य तय किए बिना फीचर लेखन स्पष्ट नहीं हो सकता। किसी दुर्घटना से जुड़ा फीचर लिखने के लिए यह तय करना जरूरी है कि दुर्घटना के किस पहलू पर फीचर लिखा जाना हैं, दुर्घटना के इतिहास पर, दुर्घटना के प्रभावों पर, दुर्घटना की रोकथाम के तरीकों पर या दुर्घटना के यांत्रिक पक्ष पर। एक बार उद्देश्य तय हो जाए तो फीचर लेखन का चौथाई काम पूरा हो जाता हैं।
3. **प्रस्तुतिकरण** : फीचर लेखन का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हैं। फीचर लेखन में इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि फीचर मनोरंजक हों। उसे सरस और सुबोध ढंग से प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों का प्रस्तुतिकरण सहज हो और तथ्यों की अधिकता से पठनीयता खत्म न हों।
4. **शीर्षक तथा आमुख** : किसी अच्छे समाचार की तरह ही अच्छे फीचर का शीर्षक और आमुख भी उपयुक्त ढंग से लिखा जाना चाहिए। अच्छे शीर्षक से पाठक सहज रूप से फीचर की ओर आकर्षित हो सकता है। खराब शीर्षक के कारण यह भी हो सकता है कि पाठक का ध्यान उसकी ओर जाए ही नहीं। इसी तरह अच्छा आमुख भी पाठक को बांध सकता हैं। बेतरतीब ढंग से लिखे आमुख के कारण पाठक में अरूचि पैदा हो सकती हैं। शीर्षक की विशेषता यह होनी चाहिए कि वह पाठक को आकृष्ट भी कर ले, पाठक में विषय के प्रति जिज्ञासा भी पैदा करे और सार्थक भी हो। शीर्षक में सिर्फ शब्दों की तुकबन्दी या शब्दों के ध्वन्यात्मक प्रभावों की अधिकता के प्रयोग से भी बचा जाना चाहिए।
5. **साज सज्जा** : लेखन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी पर्याप्त साज सज्जा की तैयारी पूरी न हो जाए। फीचर के साथ इस्तेमाल होने वाले चित्रों, रेखाचित्रों और ग्राफिक्स का चयन भी फीचर रखना का एक जरूरी पहलू हैं। छपाई की वर्तमान तकनीक के कारण फीचर की साज सज्जा अब बेहद आसान हो गई हैं और उसमें तरह–तरह के प्रयोग करने की गुजाइंश भी बढ़ गई हैं।

फीचर लेखन एक कला भी हैं और अब जबकि फीचर का स्वरूप बदल रहा है तो फीचर लेखन की तकनीक और तरीके भी बदल रहें हैं। वर्तमान में फीचर अपनी परम्परागत शैलियों और परिभाषाओं की सीमा तोड़ कर नए–नए बदलते जा रहे हैं।

## 5.4 पाठ के आगे भाग

### 5.4.1 फीचर लेखन एवं छायांकनः

फीचर लेखन में छायांकन का अत्यधिक महत्व होता हैं। प्रारम्भिक ब्रिटिश तथा यूरोपीय समाचार पत्रों में फीचर के साथ प्रकाशित चित्रों के छायाकार के नाम का उल्लेख भी लेखक के समान ही किया जाता था।

पत्रिकाओं में भी फीचर के साथ प्रकाशित होने वाले चित्रों के लिए छायाकार विशेष प्रयत्न करके तस्वीरें खीचते थे। फोटो सम्पादक फीचर को सुन्दर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए बेहद मेहनत करते थे। जैसे–जैसे छपाई की तकनीक बदलती गई है वैसे–वैसे फीचर के साथ प्रयुक्त होने वाले चित्रों का महत्व और उपयोगिता भी बढ़ती गई है। आज तो पत्र पत्रिकाओं में तस्वीरों के बिना फीचर के प्रकाशन की सम्भावना खत्म हो गई है। अब तो सिर्फ या रेखाचित्रों के आधार पर ही फीचर प्रयुक्त किए जाने लगे हैं। आज सचित्र या चित्रात्मक फीचर अधिकाधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। अब तो इस तरह के चित्रात्मक रूपक भी आम हो गए हैं जिनमें चित्रों के जरिए ही पूरी बात कह दी जाती हैं। शीर्षक या चरित्र परिचय या थोड़े से शब्दों के जरिए उस चित्र कथा को प्रस्तुत कर दिया जाता हैं। जबकि पहले सिर्फ एक–दो चित्रों की मदद से फीचर के किसी एक पक्ष को स्पष्ट किया जाता था।

आज के रूपक में कहानी शब्द नहीं बल्कि चित्र कहते हैं और शब्दों का उपयोग चित्रों के जरिए प्रस्तुत सामग्री को सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत करने के लिए ही किया जाता हैं। चित्रात्मक फीचर का प्रभाव भी अधिक स्थाई होता हैं। क्योंकि चित्रों के माध्यम से कही गई बात मस्तिष्क पर अधिक गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। हिरोशिमा नागासाकी में गिरे परमाणु बम के विध्वंस के चित्र हों या भोपाल की यूनियन कार्बाइड त्रासदी के कंकाल वाले चित्र, पाठक के मन में शब्दों की तुलना में आज भी इन्हीं चित्रों के प्रभाव दर्ज हैं। किसी फीचर के साथ एक दो चित्र होने से ही उसका प्रभाव बढ़ जाता हैं और जब चित्र ही सारी कहानी बयां कर रहें हो तो उसका क्या प्रभाव होगा यह सहज की समझा जा सकता हैं। डिजिटल फोटोग्राफी के विकास ने पत्रकारिता में फोटोग्राफी और तस्वीरों के उपयोग के क्षेत्र में में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए हैं।

प्रिंटिग टैक्नोलॉजी में भी अभूतपूर्व बदलाव आ गए हैं। इसकी वजह से फोटोग्राफ्स का चयन, उनकी क्वालिटी और उन्हें कहीं भी भेज सकने की सीमाएं खत्म हो गई हैं। फीचर लिखने वाले के लिए तो अब उपयुक्त तस्वीरों के चयन के लिए इंटरनेट ने भी अपना खजाना खोल दिया हैं। फिर भी बड़े अखबार समूहों में या बड़ी पत्रपत्रिकाओं में अब भी विशिष्ट विषयों पर फीचर तैयार करने के लिए लेखक के साथ फोटोग्राफर को भी भेज दिया जाता हैं और ऐसे फीचर तैयार करने में फोटोग्राफर का काम लेखन से कम नहीं माना जाता। कई बार तो लेखक शब्दों के जरिए भी जिस बात को सही तरह से संप्रेषित नहीं कर पाता, उसी बात को फीचर में मौजूद एक

ही चित्र बिल्कुल साफ कर देता हैं। तस्वीरों की तरह ही रेखाचित्रों और ग्राफिक्स का इस्तेमाल भी फीचर की प्रस्तुति को चार चांद लगा देता हैं। सभी प्रमुख समाचार पत्रों में अब ग्राफिक आर्टिस्ट या ग्राफिक डिजाइनर जैसे विशेषज्ञ अनिवार्य रूप से तैनात किए जाने लगे हैं जो अखबार की नियमित साज सज्जा के साथ–साथ फीचर की प्रस्तुति को बेहतर बनाने में अपना योगदान करते हैं। कहा जा सकता हैं कि रूपक का भविष्य अब चित्रों, रेखाचित्रों और ग्राफिक्स के साथ जुड़ गया हैं और इस तकनीकी प्रगति ने फीचर के महत्व को और भी बढ़ा दिया हैं।

### 5.4.2 फीचर और लेख में अन्तर

पत्रकारिता में समाचारों के बाद लेख और फीचर का स्थान हैं। लेख और फीचर दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं लेकिन दोनों का प्रभाव अलग–अलग होता हैं। फीचर पाठकों की रूचि के अनुरूप, किसी घटना या विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति हैं और गहन अध्ययन पर आधारित गम्भीर प्रमाणित लेखन, लेख की श्रेणी में आता हैं। फीचर दिल को प्रभावित करता हैं जबकि लेख दिमाग को। फीचर एक प्रकार का गद्यगीत हैं जबकि लेख गम्भीर व उच्च स्तर की बहुआयामी गद्य रचनां फीचर किसी घटना या विषय के कुछ आयामों को छूता हैं तो लेख उस घटना के हर एक पहलू को स्पर्श करता हैं, प्रस्तुत करता हैं। एक परिभाषा के मुताबिक फीचर एक कक्ष वाला साफ–सुथरा सुन्दर घर हैं तो लेख अनेक कमरों वाला सुरूचिपूर्ण विशाल भवन। डी एस मेहता ने अपनी पुस्तक 'मॉस कम्युनिकेशन एण्ड जर्नलिज्म इन इण्डिया' में फीचर और लेख के अन्तर को इस प्रकार परिभाषित किया हैं–''The feature is a sort of lyric in prose, a momentary mood garnered in words. An article on the other hand deals with several moods."

पत्रकार पी डी टण्डन के अनुसार '' किताब पढ़कर, आंकड़े जमा कर के लेख किया जा सकता हैं, लेकिन फीचर लिखने के लिए लेखक को अपनी आँख, कान, भावों अनुभूतियों, मनोवेगों और अन्वेषण का सहारा भी लेना पड़ता हैं। लेख लम्बा, गम्भीर, हर व्यक्ति की रूचि के अनुकूल न होते हुए भी प्रशंसनीय हो सकता हैं, लेकिन ये बातें फीचर के लिए जानलेवा हैं। फीचर को रोचक, दिलचस्प और सबकी रूचि के अनुकूल होना ही होता है।''

फीचर और लेख के अन्तर को इस तरह भी समझा जा सकता हैं। 'देश में महंगाई' विषय पर लेख लिखते समय लेखक को महंगाई का अर्थ, पिछली सरकारों के कार्यकाल में महंगाई का स्तर, महंगाई बढ़ने के कारण और इसके निवारण में सरकार की सफलता–विफलता का समग्र विवेचन करना पड़ेगा जबकि इसी विषय में फीचर लिखते समय लेखक सिर्फ महंगाई के प्रभाव से आम आदमी की दिक्कतों, या क्षेत्र विशेष में आम जरूरतों की चीजों की महंगाई या फिर महंगाई बढ़ाने वाली वजहों आदि पर केन्द्रित रोचक सामग्री का प्रस्तुतिकरण करके एक अच्छा फीचर तैयार कर सकता हैं। इसी तरह टू जी स्पैक्ट्रम घोटाले पर लेख लिखते समय लेखक को इसके कारण, इसके दुष्प्रभाव, इससे जुड़े लोगों के हित–अहित आदि सभी विषयों पर गम्भीर सामग्री एकत्र कर उसका सिलसिलेवार प्रस्तुतिकरण करना होगा जबकि फीचर लेखक इस घोटाले से भारतीय राजनीति में आए भूचाल, देश

के नीति निर्धारण मामलों में हो रही रिश्वतखोरी, राडिया की भूमिका या टू जी आवंटन की प्रक्रिया जैसे किसी एक विषय पर ही उपयोगी मनोरंजक और ज्ञानप्रद सामग्री पेश कर अपना काम पूरा कर सकता हैं। कहने का आशय यह हैं कि फीचर और लेख दोनों की विषयवस्तु एक ही हो सकती हैं किन्तु उसका प्रतिपादन दोनों में अलग–अलग तरह से होता हैं।

" The feature is a sort of lyric in prose, a momentary mood garnered in words. An article on the other hand deals with several moods."

D.S. Mehta : Mass Communication and Journalism in India

लेख सामान्यतः किसी विशेष समस्या पर उसके किसी विशेष पहलू का सूक्ष्म और गहन अध्ययन होता हैं। फीचर में इतनी गहराई नहीं होती बल्कि उसमें विषय के किसी एक पक्ष पर कम शब्दों से ही अपेक्षित प्रभाव पैदा किया जाता हैं।

विषय की पृष्ठभूमि के अध्ययन से लेख तो तैयार किया जा सकता हैं लेकिन फीचर नहीं। फीचर लेखन के लिए अनुभूतियों, भावनाओं, अवलोकन तथा कल्पना की आवश्यकता होती हैं। तथ्यों और आंकड़ों को लेकर लेख लिखना आसान हैं किन्तु रूपक लेखन का कार्य कहीं अधिक कलात्मक हैं। लेख और फीचर दोनों की ही शैली भी भिन्न–भिन्न होती हैं। लेख के मामले में इससे काम नहीं चल सकता। फीचर लेखन की शैली तो छोटी नदी के प्रवाह जैसी सरल और गतिमान होनी चाहिए। लेख में लेखक की सीमाएं होती हैं। विषय के पक्ष या विपक्ष में विचार रखने के लिए उसको तर्को का सहारा लेना पड़ता हैं। जबकि फीचर का लेखक उन्मुक्त पक्षी जैसा होता है, उसे कल्पना का प्रयोग करने की स्वच्छन्दता अधिक प्राप्त होती हैं। लेख में लेखक उपलब्ध आधारसामग्री के अनुसार गम्भीरता पूर्वक चीजें प्रस्तुत करनी होती हैं मगर फीचर लेखक को जीवन और जीवन की समस्याओं पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की भी छूट होती हैं। लेकिन इन दोनों विधाओं के बीच इतनी भिन्नताएं होते हुए भी दोनों का ही उद्देश्य एक हैं और वह हैं अपने पाठक को शिक्षित करना, उसे जागरूक बनाना और उसका मनोरंजन करना।

### 5.4.3 रेडियो और टीवी के लिए फीचर लेखन

पत्र पत्रिकाओं की तुलना में इलैक्ट्रानिक संचार माध्यमों में फीचर लेखन का क्षेत्र अधिक विशद हैं और उनमें फीचर के जरिए कुछ कह पाने की सम्भावनाएं भी बहुत अधिक हैं रेडियो फीचर और टेलीविजन फीचर, वैसे तो मुद्रित माध्यमों के फीचर की तरह ही होते हैं लेकिन रेडियो और टीवी के फीचर दोनों के लिखने के तरीके में काफी भिन्नता हैं।

#### (i) रेडियो फीचर

रेडियों फीचर को रेडियो रूपक भी कहा जाता है। यह एक आधुनिक रेडियो विधा है। रेडियो फीचर समाचार पत्रों, एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले फीचर से सर्वथा भिन्न विधा है। रेडियो फीचर वह फीचर हैं जो रेडियों के श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता हैं। इस फीचर को श्रोता न तो देख सकते और न ही पढ़ सकते हैं। लेकिन रेडियों फीचर की सबसे बड़ी खूबी यह हैं कि शब्दों को न पढ़ सकने वाला तबका भी इसका आनन्द ले सकता हैं। पत्र पत्रिकाओं के फीचर की भांति रेडियो रूपक में कल्पनाशीलता, तथ्य, घटना अथवा विषय का विवरण, विवेचन, लोगों के विचार, प्रतिक्रियाएं और रोचकता तो होती हैं, इसमें संगीत और ध्वनियों का अतिरिक्त प्रभाव भी होता हैं। रेडियों फीचर को ''रेडियों की टैक्नोलॉजी के साथ तथ्यों और विश्लेषण की ध्वन्यांकित सर्जनात्मक प्रस्तुति'' भी कहा जाता हैं। इसको प्रभावशाली बनाने में संगीत के प्रभावों और प्रस्तोता की असरदार आवाज का भी योगदान होता हैं। रेडियो फीचर तैयार करते समय कई चीजों को ध्यान में रखा जाता हैं।

1. रेडियो फीचर का विषय श्रोताओं की रूचि के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए।
2. रेडियो फीचर तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसकी शुरूआत भी प्रभावशाली हो।
3. रोचकता और सरलता रेडियो फीचर का मूल तत्व हैं। उसमें नाटकीयता भी होनी चाहिए।
4. रेडियो फीचर में सरल, स्पष्ट व आसानी से समझ में आने वाले शब्दों और भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
5. रेडियो फीचर में संगीत के जरिए उपयुक्त प्रभाव पैदा किए जाने चाहिए।
6. रेडियो फीचर की प्रस्तुति में निरन्तर प्रवाह और मनोरंजन का सामंजस्य होना चाहिए।

भारत में निजी एफ एम चैनलों के बढ़ते प्रभाव और बीबीसी जैसे रेडियो चैनलों की स्तरीय प्रस्तुतियों के बावजूद रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अभी भी आकाशवाणी का ही प्रभुत्व हैं। आकाशवाणी ने रेडियो रूपक लेखन के लिए एक आचार संहिता भी बनाई गई हैं। जिसके प्रमुख नियम इस प्रकार हैं–

- रेडियो फीचर में भारतीय संविधान की मर्यादा का सम्मान होना चाहिए।
- फीचर में धर्म या संप्रदाय पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।,
- रेडियो फीचर का लेखन किसी व्यावसायिक समूह के नाम का प्रयोग, विज्ञापन फीचर में किसी भी मित्र देश की आलोचना नहीं की जानी चाहिए।
- रेडियो फीचर किसी भी व्यक्ति या संस्था को अनावश्यक लाभ पहुंचाने वाला न हो, इसका ध्यान रखा जाना भी बेहद जरूरी हैं।

- फीचर में राज्यों के खिलाफ आक्रामक आलोचना भी नहीं की जानी चाहिए।
- फीचर में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए तथा न ही किसी की मानहानि होनी चाहिए।
- रेडियो फीचर में भारत के राष्ट्रपति, केन्द्र सरकार तथा न्यायालयों की मर्यादा के विरूद्ध कुछ भी नहीं लिखा जाना चाहिए।
- किसी भी रेडियो फीचर से न्यायालय की अवमानना भी नहीं होनी चाहिए।
- किसी भी 'अपील' को आधार मानकर रेडियो फीचर का निर्माण करना सख्त मना है। लेकिन राष्ट्रीय संकट के समय देशहित में फीचर के माध्यम से अपील का प्रसारण उचित हैं।
- फीचर में हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए और न ही कानून और व्यवस्था के विरूद्ध कुछ लिखना चाहिए।
- रेडियो फीचर में किसी भी राजनीतिक दल का नाम लेकर आलोचनात्मक वाक्य नहीं लिखे जाने चाहिए।

रेडियो फीचर आज भी रेडियो की एक लोकप्रिय विधा हैं। यह लोगों का जागरूक करने का भी एक तरीका हैं और उन्हें शिक्षित करने का भी। आज निजी रेडियो चैनल भी रेडियो रूपकों का खूब इस्तेमाल करने लगे हैं और इसमें नए–नए प्रयोग भी होने लगे हैं।

### (ii) टेलीविजन फीचर

टेलीविजन फीचर, फीचर की सबसे नई और आधुनिक विधा हैं। टेलीविजन फीचर की सबसे बड़ी खूबी यह हैं कि इसमें शब्द भी होते हैं और चित्र भी। संगीत भी होता हैं और ध्वनियां भी। इसकी सजीवता, गति और दृश्यात्मकता इसे फीचर की हर विधा से अलग और विशिष्ट बनाती हैं। टेलीविजन फीचर दर्शक को इस लिए भी बांध कर रखता हैं कि दर्शक देख कर, सुन कर और महसूस कर के इसका आनन्द ले सकता हैं। रेडियो फीचर की तरह ही टेलीविजन फीचर के लिए भी कुछ चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

1. टेलीविजन दृश्य माध्यम हैं। इसलिए फीचर की रचना के लिए विषय या घटना से जुड़े दृश्य प्र्याप्त मात्रा में एकत्र किये जाने चाहिए।
2. फीचर की स्क्रिप्ट दृश्यों के आधार पर तैयार की जानी चाहिए। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि शब्दों और दृश्यों में दोहराव न हो। शब्द दृश्यों के पूरक की तरह ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए।
3. फीचर के दृश्यों, चित्रों और शब्दों में सरल प्रवाह होना चाहिए। कन्टिन्युटी का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
4. फीचर में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कम से कम शब्दों में ही बात कह दी जाए। अनावश्यक शाब्दिक विस्तार से बचा जाना चाहिए।

5. भाषा का प्रयोग विषय के अनुरूप किया जाना चाहिए। गम्भीर विषयों में चलताऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
6. दृश्यों के साथ–साथ विषय से जुड़े लोगों के साक्षात्कार और चित्र तथा ग्राफिक्स का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए।
7. साक्षात्कार छोटे–छोटे होने चाहिए। 'बाइट' संक्षिप्त होनी चाहिए और इनके जरिए फीचर का विस्तार होना चाहिए, विषय का दोहराव नहीं।
8. फीचर की एडिटिंग और 'वॉयस' ओवर' स्तरीय होने चाहिए।

टेलीजिवन फीचर मुद्रित या श्रव्य माध्यमों के फीचर से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं क्योंकि इनके जरिए हमें घटना या विषय की दृश्यात्मक जानकारी हासिल होती हैं जो हमें अधिक समय तक याद भी रहती हैं और हमें घटना या विषय से सीधे–सीधे जोड़ भी देती हैं। टेलीविजन फीचर के जरिए दर्शक घर बैठे–बैठे देश विदेश तक की यात्रा कर सकता हैं। इसलिए टेलीविजन फीचर के जरिए जानकारियों के विस्तार का फलक भी बहुत विस्तृत होता हैं। डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक्स जैसे चैनलों में प्रस्तुत फीचर टेलीविजन फीचर के उल्लेखनीय उदाहरण हैं और भारतीय टेलीविजन जगत को अभी इस ऊँचाई को छूना बाकी हैं।

## 5.5 अपनी प्रगति जांचिए

(क) (i) फीचर किसे कहते हैं ?

(ii) फीचर का प्रमुख लक्ष्य क्या हैं ?

(iii) फीचर किसके लिए लिखे जाते हैं ?

(iv) फीचर के कोई दो प्रमुख गुण बताइए ?

(v) यात्रा के फीचर कौन–से होते हैं ?

(ख) (i) समाचार अगर पत्रकारिता की रीढ़ हैं तो फीचर क्या हैं?

(ii) फीचर में लेखक की विचारधारा का क्या महत्व हैं?

(iii) चित्रात्मक फीचर किसे कहते हैं?

(iv) रेडियो फीचर को दूसरे किस नाम से जाना जाता हैं?

(v) 'वॉयस ओवर' क्या हैं?

## 5.6 सारांश

- पत्रकारिता में फीचर अथवा रूपक का आशय ऐसे लेखों से हैं जो जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण जगाते हैं। घटनाओं और विषयों की जानकारी देते हैं, मनोरंजन करते हैं' और ज्ञान भी बढ़ाते हैं।
- फीचर समाचारों को नया आयाम देते हैं। उन्हें नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता हैं। फीचर किसी न किसी सामाजिक विषय अथवा मानवीय भावना आदि के इर्द गिर्द घूमता रहता हैं और समाचार से अलग पाठक, श्रोता या दर्शक को किसी मानवीय संवेदना से जोड़ता हैं। इसलिए फीचर की संरचना में तीन उद्देश्यों को ध्यान रखा जाना चाहिए कि फीचर मार्गदर्शक हो, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक हो।
- फीचर का शीर्षक आकर्षक और नाटकीय होना चाहिए। इसी तरह फीचर की संरचना में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आमुख अथवा प्रस्तावना कलात्मक और और उत्सुकता पैदा करने वाली हो। अगर आमुख अच्छा होगा तो फीचर पर पाठक, श्रोता या दर्शक का ध्यान केन्द्रित होगा। आमुख की ही भांति फीचर का का मुख्य भाग या विवरण भी जानकारियों से परिपूर्ण, मनोरंजक और विश्लेषणयुक्त होना चाहिए।
- फीचर का अंतिम भाग उपसंहार फीचर का एक महत्वपूर्ण अंश होता हैं। फीचर का सही उपसंहार पाठक, श्रोता या दर्शक को कुछ सोचने पर मजबूर कर देता हैं। फीचर का निष्कर्ष इसी भाग में निकलता हैं।
- अच्छे फीचर की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में हैं कि उसके जरिए किस तरह की नई जानकारी दी जा रही हैं। पाठक या दर्शक फीचर के जरिए नई–नई जानकारी हासिल करना चाहते हैं। अच्छे फीचर की खासियत इस बात में भी है कि वह जानकारी को कितने सरल ढंग से प्रस्तुत कर रहा है।
- जानकारी हासिल करने के लिए फीचर लेखक के पास कई तरह के स्त्रोत होते हैं। इसमें पहला स्त्रोत आँखों देखा हाल है। घटना मूलक या समाचार मूलक फीचर लेखन के लिए आँखों देखी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसी तरह बातचीत, पत्र–व्यवहार, पुस्तक व संदर्भ ग्रंथों तथा इंटरनेट आदि द्वारा जुटाई गई जानकारी भी फीचर लेखन में बहुत सहायक होती हैं।
- कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फीचर पत्रकारिता का एक कलात्मक पहलू है और अच्छा फीचर जहां किसी संचार माध्यम को नई पहचान देता है वहीं वह पाठक, श्रोता या दर्शक को भी जानकारियों और मनोरंजन से सरोबार कर देता है।

## 5.7 शब्दावली

**फीचर** : पत्रकारिता के सन्दर्भ में फीचर का अर्थ ऐसे विशेष लेखों से है जो रोचक, मनोरंजक, भाव प्रधान, मानवीय रूचि से जुड़े, मन की संवेदनाओं और अनुभूतियों को जगाने वाले और सामयिक जानकारी तथा ज्ञान बढ़ाने वाले होते हैं।

**खोजपरक फीचर** : इस तरह के फीचर वे होते हैं जिनके लेखन के लिए विशेष रूप से खोजबीन की जाती हैं। तथ्यों की छानबीन की जाती है और तथ्यों की गहराई तक जाकर जानकारियां जुटाई जाती है।

**टेलीविजन फीचर** : टेलीविजन फीचर, फीचर का एक ऐसा रूप हैं जो टेलीविजन के दर्शकों के लिए तैयार किया जाता हैं। इसमें शब्दों और ध्वनियों के साथ–साथ दृश्यों का प्रयोग होने से इसका प्रभाव और प्रवाह दोनों बढ़ जाते हैं।

**वॉयस ओवर** : वॉयस ओवर टेलीविजन में किसी समाचार या फीचर की रचना के दौरान की एक प्रक्रिया है जिसके तहत संवाददाता या प्रस्तोता तैयार क्लिपिंग को अपनी आवाज देता हैं। सरल शब्दों में यह दृश्यों और कहानी में चित्रों के सिलसिले को बनाए रखने वाली आवाज हैं जो दर्शक तक पूरी बात संप्रेषित कर देती हैं।

## 5.8 स्व–मूल्यांकन परीक्षा

प्रश्न 1 फीचर और समाचार में क्या अन्तर हैं?

प्रश्न 2 फीचर की प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं?

प्रश्न 3 फीचर और लेख में अन्तर स्पष्ट कीजिए?

प्रश्न 4 रेडियो फीचर लिखने के लिए आकाशवाणी की आचार संहिता के प्रमुख नियम क्या हैं?

प्रश्न 5 टेलीविजन फीचर तैयार करने में किन–किन बातों का ध्यान रखा जाता हैं?

## 5.9 प्रगति समीक्षा हेतु प्रश्नोत्तर देखे ?

(क) (i) विशेष आलेख को (ii) ज्ञानवर्धक और मनोंरजन करना

(iii) जनसामान्य के लिए (iv) संवेदनशीलता एवं विश्सनीयता

(v) जो यात्राएं ज्ञानवर्धक और मनोरंजनक हों।

(ख) (i) सौन्दर्य बढ़ाने वाली शक्ति

(ii) फीचर की प्रभावशीलता लेखक पर निर्भर करती हैं

(iii) जो बोलते चित्रों के माध्यम से अपना संदेश देते हैं

(iv) रूपक के नाम से

(v) किसी समाचार व फीचर की रचना के दौरान की क्रिया हैं।

## 5.10 संदर्भ ग्रंथ

मनीषा द्विवेदी : पत्रकारिता एवं प्रेस कानून

| | | |
|---|---|---|
| अर्जुन तिवारी | : | सम्पूर्ण पत्रकारिता |
| मीनाक्षी वशिष्ठ | : | पत्रकारिता का बदलता स्वरूप |
| पी.के. आर्य | : | फीचर लेखन प्रतिभा प्रतिष्ठान |
| संतोष कुमार श्रीवास्तव | : | एक परिचय |
| असगर वजाहत | : | टेलीविजन लेखन |
| डॉ. संजीव भानावत | : | समाचार लेखन के सिद्धान्त एवं तकनीकी |

नोट

नोट

नोट

नोट